वार्षिक रिपोर्ट

2021-22

भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

विषय वस्तु

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	
2.	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	
3.	उर्वरक उद्योग का विकास और प्रगति	
4.	प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता और संचलन	
5.	वित्तीय निष्पादन	
6.	उर्वरक क्षेत्र के लिए सहायता उपाय	
7.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	
8.	एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन	
9.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
10.	सतर्कता कार्यकलाप	
11.	राजभाषा का प्रगामी प्रयोग	
12.	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा शारीरिक रूप से विकलांगो का कल्याण	
13.	सेवोत्तम	
14.	अनुलग्नक–**I-XX**	

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2020–21 के लिए देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि का योगदान 20.2 प्रतिशत है। 54.6 प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा उससे संबंधित कार्यकलापों में लगी हुई है (जनगणना 2011)। इसके अतिरिक्त, यह शेष अर्थव्यवस्था में अत्यंत पिछड़ों और अगड़ों के मध्य तारतम्य स्थापित करने का कार्य भी करती है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मपर्याप्तता एवं आत्मनिर्भरता पर निरन्तर बल दिया जाता रहा है और इस दिशा में किए गए संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि खाद्यान्न उत्पादन 1951–52 में 52 मिलियन टन के बहुत मामूली से स्तर से बढ़कर रिकार्ड 296.65 मिलियन टन अनुमानित किया गया है जोकि वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त खाद्यान्न के 285.21 मिलियन टन के उत्पादन से 11.44 मिलियन टन अधिक है।

1.2 अब तक देश ने यूरिया की उत्पादन क्षमता में 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसके परिणामस्वरूप आयातों के अलावा भारत स्वदेशी उद्योग के माध्यम से नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों की अपनी आवश्यकता को काफी हद तक पूरा कर सका है। इसी प्रकार, घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों के संबंध में 50% स्वदेशी क्षमता का विकास किया गया है। तथापि, इसके लिए कच्ची सामग्री और मध्यवर्तियों का मुख्यतः आयात किया जाता है। चूंकि देश में पोटाश (के) हेतु कोई व्यवहार्य स्रोत/भंडार नहीं हैं, इसकी सम्पूर्ण मांग को आयात से पूरा किया जाता है।

उर्वरक उद्योग की वृद्धि

1.3 वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सभी प्रमुख उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन क्रमशः 433.66 एलएमटी और 425.92 एलएमटी था। यह पिछले वर्ष की तुलना में 1.8% से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2020–21 के दौरान (अप्रैल 2021 से दिसम्बर 2021 तक) सभी प्रमुख उर्वरकों का वास्तविक उत्पादन 330.84 एलएमटी है। सार्वजनिक, सहकारी और निजी क्षेत्रों में निवेश की सुगम अनुकूल नीति के फलस्वरूप देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता की तीव्र वृद्धि प्राप्त कर ली गई है।

1.4 वर्तमान में, देश में यूरिया का उत्पादन करने वाले बड़े आकार के 33 यूरिया संयंत्र, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली 21 इकाइयां और उप–उत्पाद के रूप में अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाली 2 इकाइयां हैं।

1.5 वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थापित/पुनः आकलित क्षमता तथा उत्पादन और वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमानित उत्पादन का इकाई–वार ब्यौरा **अनुलग्नक–I** में दिया गया है।

1.6 वर्ष 2020–21 के दौरान संस्थापित / पुनःआकलित क्षमता तथा उत्पादन और वर्ष 2021–22 के दौरान अनुमानित उत्पादन का उत्पादवार एवं क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुलग्नक–II** में दिया गया है।

1.7 वर्ष 2001–02 से 2021–22 तक (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान यूरिया, डीएपी तथा मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन **अनुलग्नक– III** में दिया गया है।

1.8 वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक (दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान यूरिया का इकाई वार उत्पादन **अनुलग्नक–IV** में दिया गया है।

अध्याय–2

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 उर्वरक विभाग के मुख्य कार्यकलापों में उर्वरक उद्योग की योजना बनाना, संवर्धन और विकास करना, उत्पादन की योजना बनाना और निगरानी करना, उर्वरकों का आयात और वितरण करना तथा स्वदेशी और आयातित उर्वरकों के लिए राजसहायता/रियायत के माध्यम से वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करना शामिल है। उर्वरक विभाग के क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यकलापों की सूची **अनुलग्नक–V** में दी गई है।

2.2 उर्वरक विभाग में निम्नलिखित प्रभाग/सम्बद्ध कार्यालय हैं जो निम्नलिखित से संबंधित कार्य करते हैं:

1. उर्वरक परियोजनाएं और आयोजना (यूरिया नीति प्रभाग)
2. फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त उर्वरक (पीएण्डके प्रभाग) और विदेश में संयुक्त उद्यम (आईसी प्रभाग)।
3. उर्वरक आयात, संचलन एवं वितरण (संचलन प्रभाग)
4. पीएसयू प्रभाग (पीएसयू के कार्य को देखना) और बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां
5. उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी) –संबद्ध कार्यालय
6. उर्वरक राजसहायता (एफएस विंग) राजसहायता के भुगतान संबंधी कार्य
7. सामान्य प्रशासन, स्थापना, संसद, समन्वय, सूचना प्रौद्योगिकी, आरटीआई मामले और सतर्कता।
8. योजना, निगरानी तथा नवोन्मेष (पीएमआई)
9. वित्त और बजट (आईएफडी)
10. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)
11. शहरी कम्पोस्ट
12. राजभाषा (हिन्दी प्रकोष्ठ)
13. जहाजरानी प्रभाग
14. एसएसपी प्रकोष्ठ
15. उर्वरक नवोन्मेष
16. उर्वरक अधिनियम

2.1.1 **यूपीपी विंग** यूरिया नीतियों नामतः संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम – III संशोधित नई मूल्य निर्धारण स्कीम–III, नई यूरिया नीति–2015 एवं नई निवेश नीति–2008 और 2012 से संबंधित कार्य करता है ताकि देश में यूरिया उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और किसानों को वहनीय मूल्य पर यूरिया उपलब्ध कराया जा सके। इन नीतियों के अलावा यूपीपी अनुभाग देश में सम्पुष्ट एवं विलेपित यूरिया के उत्पादन और उपलब्धता

को प्रोत्साहित करने के लिए नीति संबंधी कार्य भी करता है और इसके अलावा प्राकृतिक गैस एवं अन्य आदानों अर्थात नेफ्था, कोयला आदि की आवश्यकता संबंधी कार्य भी देखता है।

2.1.2 **पीएण्डके विंग** कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा में पीएण्डके के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करने और देश में पीएण्डके उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहित करने संबंधी कार्य भी करता है। पीएण्डके प्रभाग को एसएसपी समेत नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों के लिए पोषकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति के प्रशासन/कार्यान्वयन संबंधी कार्य सौंपे गए हैं। पूर्व रियायत योजना से संबंधित नीतिगत मामले।

2.1.3 **आईसी विंग** –पीएण्डके उर्वरकों और कच्ची सामग्री/मध्यवर्तियों तथा यूरिया की आवश्यकता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इस प्रभाग को संयुक्त उद्यम (जेवी) लगाने और उर्वरकों/कच्ची सामग्री के संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ दीर्घावधि उठान व्यवस्थाएं शुरू करने तथा उनको अंतिम रूप देने का भी कार्य भी सौंपा गया है। डब्ल्यूटीओ/एक्जिम नीति/वाणिज्य/खान आदि से संबंधित मामलों को भी अंतरराष्ट्रीय समन्वय (आईसी) विंग देखता है।

2.1.4 **संचलन विंग** डीएएण्डएफडब्ल्यू के साथ परामर्श करके राजसहायता प्राप्त उर्वरकों (यूरिया, डीएपी,एमओपी और एनपीके) की आवश्यकता का मौसमवार आकलन और देश के सभी भागों में किसानों के लिए उर्वरकों की पर्याप्त एवं समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है, देश में मासिक आवश्यकता को पूरा करने हेतु उत्पादकों/आयातकों के साथ परामर्श करके सहमत आपूर्ति योजना तैयार करता है। राजसहायता प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों की निगरानी एक आनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली अर्थात एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) और ई–उर्वरक डैशबोर्ड द्वारा की जाती है।

2.1.5 **पीएसयू विंग** सभी नौ पीएसयू अर्थात् आरसीएफ/एनएफएल/एमएफएल/फैक्ट बीवीएफसीएल/फैगमिल/पीडीआईएल/एफसीआईएल/एचएफसीएल से जुड़े वित्तीय निष्पादन, वार्षिक लेखों, समझौता ज्ञापनों, कारपोरेट मामलों में बजटीय सहायता (गैर–योजना), रुग्ण पीएसयू के पुनरुद्धार/पुनर्वास और सभी प्रासंगिक मामलों, दो बहुराज्यीय सहकारी समितियों अर्थात इफ्को/कृभको से संबंधित मामलों, कम्पनियों के विनिवेश से जुड़े मामलों, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियों समेत पीएसयू से संबंधित सभी स्थापना मामले, उर्वरक पीएसयू में अंशकालिक अधिकारियों और गैर–सरकारी निदेशकों को नामित करने संबंधी कार्य करता है।

2.1.6 **एफआईसीसी**, कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में उर्वरक विभाग का एक सम्बद्ध कार्यालय है। एफआईसीसी नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का विनिर्माण करने वाली इकाइयों के लिए मालभाड़ा दरों समेत समूहवार रियायत दरों को आवधिक रूप से तैयार करने और समीक्षा करने, लेखों का रखरखाव करने, उर्वरक कम्पनियों को भुगतान करने/उनसे वसूली करने, लागत निर्धारण और अन्य तकनीकी कार्य करने और उत्पादन डेटा, लागत, एवं अन्य सूचना इत्यादि इकट्ठा करने और विश्लेशण के लिए जिम्मेदार है।

2.1.7 **एफएस विंग** उर्वरक विनिर्माता /आयातक कंपनियों को राजसहायता के भुगतान का कार्य

देखता है। ओमिफ्को/सरणीबद्ध एजेंसियों से आयातित यूरिया की लागत के भुगतान सहित हैंडलिंग एजेन्सियों से यूरिया के पूल इश्यू मूल्य की वसूली, पोत मालिकों को समुद्री मालभाड़े की अदायगी, स्वदेशी एवं आयातित पीएण्डके उर्वरकों, एसएसपी और शहरी कम्पोस्ट के संबंध में मालभाड़ा राजसहायता समेत राजसहायता का वितरण, मालभाड़े की प्रतिपूर्ति, बीमा प्रभार, सीमा–शुल्क, रखरखाव शुल्क इत्यादि के भुगतान संबंधी कार्य देखता है।

2.1.8 **प्रशासन विंग** में प्रशासन, स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), आरटीआई और रोकड़ शामिल हैं। प्रशासन कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति, सफाई व्यवस्था, एयरकंडीशन, फोटो कापी मशीन इत्यादि समेत कार्यालय उपकरणों के रखरखाव, वार्षिक रिपोर्ट, परिणामी बजट, डीडीजी इत्यादि के मुद्रण, सत्कार सेवाओं तथा स्टाफ को आउटसोर्स करने का कार्य करता है। **स्थापना (पूर्व मा.सं.– I।)** उर्वरक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी सभी मामले देखता है। **आईटी अनुभाग** कम्प्यूटरों/सॉफ्टवेयर और इसके सहायक पुर्जों, प्रिंटरों की खरीद, ई–ऑफिस से जुडे. कार्य करता है। आरटीआई से जुडे. सभी मामले भी देखता है। **रोकड़ अनुभाग** वेतन और अन्य अग्रिमों आदि का कार्य देखता है और इस विभाग के भुगतान एवं लेखा कार्यालय के सहयोग से भुगतान हेतु विभिन्न बिलों के प्रक्रिया संबंधी कार्य करता है। अधिकारियों के वार्शिक आयकर की गणना करता है तथा विभिन्न वित्तीय खाता बहियों/रिकार्ड आदि का अनुरक्षण करता है।

2.1.9 **समन्वय अनुभाग** समन्वय से जुड़े सभी मामले देखता है जिनमें विभाग के 2–3 से अधिक अनुभाग/प्रभाग या पीएसयू शामिल होते हैं, शिकायत संबंधी मामले, निजी अभ्यावेदनों संबंधी वीआईपी संदर्भ, ई–समीक्षा, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना आदि शामिल है।

2.1.10 **पीएमआई प्रभाग** उर्वरकों के संबंध में किसी भी दीर्घयोजना के लिए मूल्यांकन करने, उत्पादन इनपुट, समीक्षा तथा नीतियों को तैयार करने संबंधी कार्य करता है। पीएमआई को आयातित वस्तुओं पर रियायती सीमा शुल्क की सुविधा प्राप्त करने के लिए उर्वरक क्षेत्र में परियोजना आयातों के तहत शामिल परियोजना और पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण योजना के लिए तकनीकी–आर्थिक निकासी, त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के आयोजन के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मासिक एवं तिमाही निष्पादन की समीक्षा, जैव उर्वरकों, संतुलित उर्वरकों, मृदा स्वास्थ्य कार्डों, पोषक तत्व अवशोषण के मामले, सूक्ष्म पोषक तत्व इत्यादि और शहरी कंपोस्ट सहित शहरी ठोस अपशिष्ट पर आधारित आर्गेनिक उर्वरकों संबंधी सभी मामले, भारतीय उर्वरक सांख्यिकी (भारतीय उर्वरक परिदृश्य) की ईयरबुक का प्रकाशन, स्वच्छ तकनीकी एवं सामान्य पर्यावरणीय मुद्दे, उर्वरकों और उर्वरक आदानों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों की निगरानी, संसद प्रश्नों/आरटीआई/वीआईपी पत्रों का उत्तर देना; कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और विभिन्न अन्य मंत्रालयों को उनके प्रकाशनों आदि के लिए विभिन्न सूचनाएं प्रस्तुत करने आदि से संबंधी कार्य भी सौंपे गए हैं। यह प्रभाग मुख्य उर्वरकों यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों के उत्पादन आंकडों का संकलन – सभी यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरक, विनिर्माता इकाइयों के वार्षिक और मासिक उत्पादन लक्ष्यों को निर्धारित करना:

प्रमुख उर्वरकों का दैनिक और मासिक आधार पर कंपनी–वार, मौसम–वार, क्षेत्र–वार और पोषक तत्व–वार प्रारुपों पर उत्पादन आंकडों की निगरानी और संकलनः मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए मासिक अ.शा.पत्र तैयार करनाः सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई), और एमओएसपीआई तथा डीआईपीपी (वाणिज्य मंत्रालय), के लिए औद्योगिक उत्पादन की सूची (आईआईपी) के लिए उर्वरकों के उत्पादन की मासिक तीव्र अनुमान का कार्य करता है। पीएण्डआई अनुभाग उर्वरक विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सहित आर्थिक सर्वेक्षण आदि विभिन्न प्रकाशनों के लिए प्रमुख उर्वरकों पर उत्पादन आंकड़े भी मुहैया कराता है। इसके अतिरिक्त नीति निर्माण आदि के लिए संक्षिप्त/विश्लेशणात्मक नोट मुहैया कराये जाते हैं।

2.1.11 **एकीकृत वित्त प्रभाग** (**आईएफडी**) विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य अर्थात वार्षिक बजट तैयार करना, अनुपूरक अनुदान मांगों संबंधित मामले, निधियों का पुनर्समायोजन का कार्य करता है। इसके अलावा आईएफडी द्वारा विभाग के लिए विस्तृत अनुदान मांग भी तैयार किए जाते हैं। आईएफडी विस्तृत अनुदान मांगों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के मामलों, विभिन्न नीतिगत मामलों और राजसहायता भुगतानों की वित्तीय सहमति और लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित समन्वय कार्य भी देखता है।

2.1.12 **सतर्कता विंग** उर्वरक विभाग के कर्मचारियों और उर्वरक विभाग के अंतर्गत पीएसयू के बोर्ड स्तरीय कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न स्रोतों जैसे सीवीसी, डी.ओ.पी.टी इत्यादि से प्राप्त शिकायतों का कार्य देखता है। यह सीवीसी और डीओपीटी के परामर्श से उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू में मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त सतर्कता अनुभाग सम्मत सूची, ओडीआई सूची, वार्षिक संपत्ति विवरण इत्यादि के रख–रखाव और समीक्षा करने और उर्वरक विभाग के कर्मचारियों एवं पीएसयू के बोर्ड स्तरीय अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी जारी करने का कार्य करता है।

2.1.13 **जहाजरानी प्रभाग** हैंडलिंग एजेंट से संबंधित कार्गो के आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शिपिंग दस्तावेजों की जांच–पड़ताल करने, संचालन के काम में व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पोत के चार्टर पार्टी समझौते की निबंधन एवं शर्तों तथा अपवादों की जांच करने, बंदरगाहों पर कार्गों की निकासी तथा खाली करने की निगरानी करने, पोर्ट पर लदान तथा निकासी के समय विलम्ब–शुल्क/डिस्पैच का निपटान करने तथा सीपी के संदर्भ में लगने वाले समय की गणना को अंतिम रूप देने का कार्य करता है। यह प्रभाग प्राप्त यूरिया कार्गों की गुणता तथा मात्रा का पता लगाने, ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कंपनी द्वारा दानेदार यूरिया के उत्पादन, स्टॉक तथा उत्पादन की दैनिक दर की निगरानी करने, यूरिया कार्गों के लदान, आरसीएफ द्वारा दिए गए पोत की विशिष्टताओं की जांच करने, स्थिरता नोट तथा चार्टर पार्टी की निबंधन, शर्तों एवं अपवादों की जांच करने, ओमिफ्को यूरिया सहित यूरिया पोतों का स्थिरीकरण तथा डिस्चार्ज पोर्ट का नामांकन, सामान्य औसत मामलों का अध्ययन तथा समुद्री मध्यस्थता में कांउसिल हेतु सार/राइटअप तैयार करने, भारतीय बंदरगाहों पर आयातित यूरिया को हैंडल करने तथा वितरण करने के लिए पूर्व–अर्हक हैंडलिंग एजेंटों की बोलियों को अंतिम रूप देने तथा

शिपिंग व्यवस्था, आमंत्रण, छान–बीन के संबंध में ओमिफ्को, हैंडलिंग ऐजेंट (इफ्को तथा कृभको) तथा आरसीएफ से समन्वय करने का कार्य भी करता है।

2.1.14 राजभाषा (हिन्दी प्रकोष्ठ) राजभाषा, हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद, विभाग के स्टाफ को हिन्दी प्रशिक्षण करवाने, विभाग तथा उर्वरक कंपनियों में राजभाषा के अंतर्गत आदेशों के कार्यान्वयन, हिन्दी कार्यशालाओं आयोजित कराने, हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार तथा समय–समय पर हिन्दी राजभाषा विभाग को सुझाव देने, हिन्दी के कार्यान्वयन से संबंधित बैठकें आयोजित करवाने से संबंधित कार्य करता है।

2.1.15 डीबीटी प्रकोष्ठः उर्वरक राजसहायता भुगतानों में डीबीटी को शुरू करने से संबंधित कार्य करता हैं। यह प्रकोष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की देख–रेख में एक निदेशक तथा एक अवर सचिव की सहायता से कार्य करता है। डीबीटी प्रकोष्ठ ने सभी राज्यों में चरणबद्ध तरीके से अखिल भारतीय स्तर पर डीबीटी लागू करने के लिए खुदरा विक्रेताओं के प्रशिक्षण, पीओएस की स्थापना आदि की निगरानी करने के लिए विभिन्न राज्यों में एक पीएमयू तथा राज्य समन्वयक तथा प्रायोगिक जिलों में जिला परामर्शदाता नियुक्त किए हैं।

2.1.16 <u>गैर रासायनिक उर्वरकों को बढ़ावा</u>– नीति के तहत, उत्पाद का उत्पादन और खपत बढ़ाने हेतु शहरी कम्पोस्ट के लिए 1500 रूपये प्रति टन की बाजार विकास सहायता हेतु प्रावधान किए गए था। इसे 30.09.2021 से बंद कर दिया गया।

2.1.17 एसएसपी प्रकोष्ठ कोः एसएसपी उद्योगों से संबंधित सभी कार्य जिनमें शामिल है एनबीएस तहत इकाइयों को शामिल करना, संयंत्रों का निरीक्षण/लेखा परीक्षा/रॉक फास्फेट का औचक नमूना इकट्ठा करना, पीडीआईएल/एफईडीओ के पूर्व परीक्षण/ औचक नमूना एकत्रित करना/ पहली बार तकनीकी रिपोर्ट, विपणन व्यवस्थाओं तथा पट्टा करार, के संबंध में रिपोर्टों की जांच, एसएसपी अर्थात लागत, एमआरपी आदि से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने, संपुष्ट/दानेदार एसएसपी हेतु अनुमति तथा एसएसपी से संबंधित अन्य नीतिगत मामलों आदि का कार्य सौपा गया है।

2.1.18. उर्वरक नवोन्मेष उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के प्रयोग, नैनो उर्वरक, उर्वरकों के प्रयोग हेतु ड्रोन का उपयोग, एक राष्ट्र–एक उर्वरक, उर्वरक तथा कच्चे माल की खरीद हेतु दीर्घावधि करार तथा उर्वरक क्षेत्र में अन्य नई पहलों से संबंधित मामलों को देखने का कार्य करता है।

2.1.19. उर्वरक अधिनियम अनुभाग को विभिन्न उर्वरक उत्पादों के संवर्धन तथा विनियमन हेतु एक अलग अधिनियम बनाने हेतु गठित किया गया है। यह अनुभाग उर्वरक विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, भारत में वितरण तथा मूल्य निर्धारण, तथा वकालत आदि सभी पहलुओं को विनियमित करने हेतु एक नया केंद्रीय विधान तैयार करने में मदद करेगा।

2.1.20 उर्वरक विभाग के सभी विंग के कार्यों के प्रमुख सचिव होते हैं और अपर सचिव, संयुक्त सचिवों और आर्थिक सलाहकार द्वारा उनकी सहायता की जाती है।

2.2 उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी)

2.2.1 एफआईसीसी उर्वरक विभाग के तहत एक संबद्ध कार्यालय है और इसके प्रमुख कार्यकारी

निदेशक होते हैं। सचिव (उर्वरक) एफआईसीसी के अध्यक्ष होते हैं और इसके सदस्य (1) कृषि एवं सहयोग संबंधी उर्वरक औद्योगिक नीति एवं संवर्धन (2) व्यय विभाग (3) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (4) प्रशुल्क आयोग (5) यूरिया उद्योग के दो प्रतिनिधि होते हैं। ईडी (एफआईसीसी) इसके सदस्य सचिव होते हैं।

2.2.2 एफआईसीसी का कार्यक्षेत्र एवं कार्य निम्नानुसार हैं:–

क) नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (यूरिया) विनिर्माता इकाईयों हेतु रियायत दरें निर्धारित करना:

ख) लेखा का रख–रखाव करना, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक कंपनियों को राजसहायता भुगतान करना।

ग) उर्वरक विनिर्माता इकाइयों का निरीक्षण करना।

घ) लागत निर्धारण एवं अन्य तकनीकी कार्य करना।

ड.) उत्पादन डाटा, लागत और अन्य संबंधित जानकारी एकत्रित करना एवं विश्लेषण करना।

च) उर्वरक इकाइयों के लिए आवश्यक इनपुट्स की आवश्यकताओं का पता लगाना और आपूर्ति संबंधी सिफारिशें करना।

छ) परिवहन सूचकांक के आधार पर भाड़ा राजसहायता दरों में वार्षिक वृद्धि/कमी की सिफारिश करना।

ज) सरकार द्वारा समय–समय पर समिति को दिए जाने वाले अन्य कार्यों को करना।

2.2.3 एफआईसीसी यूरिया विनिर्माता इकाइयों हेतु भाड़ा दरों सहित रियायत दर की आवधिक गणना करने के लिए और राजसहायता का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। एफआईसीसी स्वदेशी यूरिया की रियायत दर की गणना करने हेतु यूरिया इकाइयों से अपेक्षित डाटा एकत्रित करती है।

2.2.4 एफआईसीसी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी गैस पूलिंग दिशा–निर्देशों के अनुसार गैस पूल डाटा को इक्ट्ठा करने का कार्य करता है। गैस आधारित 28 यूरिया इकाइयों का मासिक भारित औसत गैस पूल मूल्य संकलित किये गये थे और इसे पूल आपरेटर (गेल) को अधिसूचना जारी करने हेतु अग्रेषित कर दिया गया था।

2.2.5 विद्यमान संविदा की मात्रा के अंतर को पूरा करने हेतु यूरिया इकाइयों द्वारा अपेक्षित गैस की अनुमानित त्रैमासिक अतिरिक्त मात्रा को संकलित किया जाता है और इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी गैस पूलिंग दिशा–निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित ईपीएमसी की देख–रेख में गैस की सोर्सिंग हेतु पूल आपरेटर (गेल) को अग्रेषित किया जाता है।

2.2.6 यूरिया इकाइयों से प्राप्त इनवॉइस–वार गैस डाटा की जांच और गणना में लगने वाले समय को सरल और कम करने के लिए ''गैस पूल मूल्य निर्धारण ''साफ्टवेयर माड्यूल दिनांक 01.01.2020'' को एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस)'' के तहत विकसित तथा एकीकृत किया गया है।

2.2.7 एनबीएस नीति के अनुपालन के लिए एनपीके विनिर्माताओं/आयातक से प्राप्त लागत डाटा की आयातित और स्वदेशी एनपीके दोनों उर्वरकों जैसे डीएपी, एमओपी, एसएसपी, मिश्रित उर्वरकों तथा मिश्रण की वर्ष 2012–13 से 2020–21 तक की अनुचित एमआरपी/लाभ की जांच की गई।

खेत में उर्वरकों के छिड़काव में ड्रोन का प्रयोग

एनएफएल को नैनो यूरिया का प्रौद्योगिकी हस्तातंरण

नैनो यूरिया संयंत्र,–इफको, कलोल

अध्याय–3

उर्वरक उद्योग का विकास और प्रगति

प्रमुख उर्वरकों का उत्पादन

3.1 वर्ष 2020–21 के दौरान यूरिया का उत्पादन 246.03 एलएमटी था और डीएपी व मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन 130.95 एलएमटी था। 2021–22 के दौरान यूरिया का अनुमानित उत्पादन 263.74 एलएमटी होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है तथा डीएपी व मिश्रित उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन 133.42 एलएमटी होगा।

3.2 वर्ष 2020–21 के दौरान यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का क्षेत्रवार उत्पादन एवं 2021–22 के दौरान अनुमानित उत्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:

आंकड़े एलएमटी में

क्र. सं.	क्षेत्र	2020-21			2021-22 (अनुमानित)		
		यूरिया	डीएपी		यूरिया	डीएपी	मिश्रित उर्वरक
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	66.63		14.54	64.88		14.37
2.	सहकारी क्षेत्र	69.98	19.24	23.48	67.62	22.87	20.95
3.	निजी क्षेत्र	109.42	18.50	55.19	131.24	16.81	58.42
योग		246.03	37.74	93.21	263.74	39.68	93.74

3.3 विदेश में संयुक्त उद्यम

वर्तमान में भारत की आयात निर्भरता यूरिया के मामले में आवश्यकता की 25%, कच्ची सामग्री अथवा तैयार उर्वरक (डीएपी/एमएपी/टीएसपी) फास्फेट के मामले में 90% और पोटाश के मामले में 100% है। सरकार भारतीय कंपनियों को विदेशों, जो उर्वरक संसाधनों से संपन्न हैं, के साथ पुनर्खरीद व्यवस्था सहित उत्पादन सुविधाओं के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने और भारत को उर्वरकों और उर्वरक आदानों की पूर्ति के लिए दीर्घावधि करार करने हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा, विभाग विदेश में उर्वरक कच्ची सामग्री की प्राप्ति करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है।

3.4 संयुक्त उद्यम परियोजनाएं

अब तक उर्वरक विभाग द्वारा विगत वर्षों के दौरान 5 देशों में संयुक्त उद्यम (जेवी) लगाए गए हैं। उर्वरक क्षेत्र में ऐसे संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VI** पर दिया गया है। यद्यपि वर्ष 2021–22 के दौरान इस विभाग द्वारा किसी भी देश के साथ किसी संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे किन्तु उक्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित देशों के साथ कई प्रमुख गतिविधियां हुई हैं:–

नेपालः

सरकार से सरकार के बीच व्यवस्था के तहत भारत से नेपाल को यूरिया तथा डीएपी की आपूर्ति पर भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने हैं।

रूसः

दोनों देशों के बीच दीर्घावधि करार की संभावना को तलाशने तथा भारत को उर्वरकों की आपूर्ति हेतु पारस्परिक रूप से सम्मत दीर्घावधि करार करने के निबंधन और शर्तों पर विचार–विमर्श करने के लिए दोनों पक्षों के बीच 21 जून, 2021, 4 अगस्त, 2021, 9 सितम्बर, 2021 तथा 30 दिसम्बर,2021 को वीसी बैठकें आयोजित की गई थी। वर्ष 2022 के दौरान रूस से भारत को चार प्रकार के उर्वरकों की 2,50,000 एलएमटी आपूर्ति हेतु दिनांक 21.9. 21 को भारतीय पीएसयू तथा रशियन कंपनी फॉस्ग्रो के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए तथा आपसी सहयोग हेतु आगे के अनुबंधों हेतु विकल्प तलाशे जा रहे है।

सऊदी अरब

उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ भारतीय कंपनियों तथा सऊदी कंपनियों एसएबीआईसी तथा एमएएडीईएन के बीच उर्वरक क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत–सऊदी अरब कंपनियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत दीर्घावधि करार करने हेतु सऊदी अरब के भारतीय दूतावास के समन्वय से 1 जुलाई, 2021) 6 जुलाई, 2021 और 5 अगस्त, 2021 को बैठकों के कई दौर हुए। इसके अतिरिक्त, परस्पर सहयोग के लिये भागीदारी की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।

मोरक्को

उर्वरक विभाग के अधिकारियों सहित भारतीय कंपनियों तथा ओसीपी मोरक्को के बीच संयुक्त समिति/विशेषज्ञ समिति का गठन करके कई बैठकों के कई दौर आयोजित किये गये।

कनाडा

दिनांक 17.12.2021 को शाम 4:00 बजे सचिव (उर्वरक) तथा भारतीय उच्चायुक्त कनाडा के बीच एक बैठक आयोजित की गई जिसमें कनाडा से पोटाश आयात करने वाली भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जीएसएफसी द्वारा कनाडा में खनन के मामले को आगे बढ़ाने हेतु गुजरात राज्य सरकार से इस मामले में बात की जा रही है।

ईरान

ईरान से उर्वरकों विशेष रूप से यूरिया तथा अमोनिया की खरीद हेतु दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाने तथा दीर्घकालिक संबंध बनाने हेतु राजदूत, ईरान इस्लामिक गणराज्य के साथ बातचीत की जा रही है तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई है।

अध्याय–4

वर्ष 2021 के दौरान (28 दिसम्बर, 2021 तक) प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता और संचलन

4.1 खरीफ और रबी मौसम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता/मांग का आकलन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) द्वारा अर्द्धवार्षिक आंचलिक सम्मेलनों में किया जाता है जिसमें उर्वरक कंपनियों, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, राज्य सरकारों, उर्वरक विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आकलित आवश्यकता की सूचना उर्वरक विभाग को दी जाती है। प्रत्येक माह संचलन प्रभाग डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा आकलित उर्वरकों की मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ परामर्श करके सहमत आपूर्ति योजना तैयार करता है। आपूर्ति योजना के अनुसार उर्वरकों की राज्य–वार उपलब्धता और उसकी निगरानी उर्वरक विभाग द्वारा राज्य स्तर तक की जाती है। संबंधित राज्य सरकारें राज्य के अंदर उपलब्धता की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

4.2 यूरिया

4.2.1 पूरे खरीफ 2021 और रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक) मौसमों के दौरान यूरिया की उपलब्धता संतोषजनक रही।

4.2.2 **<u>खरीफ 2021</u>:** खरीफ 2020 के लिए यूरिया की आकलित आवश्यकता **177.53** एलएमटी (रिजर्व आवंटन के बिना) थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के **56.08** एलएमटी (01.04.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और यूरिया के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। खरीफ 2021 के दौरान यूरिया की समग्र उपलब्धता **208.19** एलएमटी थी। खरीफ 2021 के दौरान डीबीटी बिक्री **165.65** एलएमटी थी।

4.2.3 **<u>रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक)</u>:** रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** के लिए यूरिया की आकलित आवश्यकता **112.65** एलएमटी और रबी 2021–22 के पूरे मौसम के लिए **179.00** एलएमटी (रिजर्व आंवटन के बिना) थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के **42.69** एलएमटी (01.10.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और यूरिया के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। यूरिया की समग्र उपलब्धता **125.82** एलएमटी (28 दिसम्बर, 2021 तक) रही। रबी 2021–22 के दौरान बिक्री **91.87** एलएमटी (28 दिसम्बर, 2021 तक) रही।

4.3 डीएपी

4.3.1 खरीफ 2021 और रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** के मौसमों के दौरान डीएपी की उपलब्धता संतोषजनक रही।

4.3.2 **<u>खरीफ 2021</u>:** खरीफ 2021 के लिए डीएपी की आकलित आवश्यकता **65.18** एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत **14.85** एलएमटी के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और डीएपी के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता

सुनिश्चित करने में सहायता मिली। डीएपी की समग्र उपलब्धता संतोशजनक रहीं।

4.3.3 **<u>रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक):</u>**

रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक) के लिए डीएपी की आकलित आवश्यकता **43.79** एलएमटी थी तथा रबी 2021–22 के पूरे मौसम के लिए **58.71** एलएमटी है। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास **14.60** एलएमटी (01.10.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और डीएपी के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। राज्यों के पास डीएपी की उपलब्धता **45.29** एलएमटी (28 दिसम्बर, 2021 तक) थी। रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक) के दौरान डीबीटी बिक्री केवल **37.22** एलएमटी रही।

4.4 एनपीके

4.4.1 खरीफ 2021–22 और रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** मौसमों के दौरान एनपीके की उपलब्धता संतोषजनक रही।

4.4.2 **<u>खरीफ 2021:</u>** खरीफ 2020 के लिए एनपीके की आकलित आवश्यकता **61.87** एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के पास **30.86** एलएमटी (01.04.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और एनपीके के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। राज्यों के पास एनपीके की समग्र उपलब्धता **90.28** एलएमटी थी। खरीफ 2021 के दौरान डीबीटी बिक्री **62.59** एलएमटी थी।

4.4.3 **<u>रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक):</u>** रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** के लिए एनपीके की आकलित आवश्यकता **35.15** एलएमटी थी और पूरे रबी मौसम 2020–21 के लिए **60.86** एलएमटी है। मौसम की शुरुआत राज्यों के **27.86** एलएमटी (01.10.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और एनपीके के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। राज्यों के पास एनपीके की समग्र उपलब्धता **54.40** एलएमटी **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** रही। रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** के दौरान डीबीटी बिक्री केवल **37.04** एलएमटी रही।

4.5 एमओपी

4.5.1 खरीफ 2020 और रबी 2020–21 (नवम्बर, 20 तक) मौसमों के दौरान एमओपी की उपलब्धता संतोषजनक रही।

4.5.2 **<u>खरीफ 2021:</u>** खरीफ 2021 के लिए एमओपी की आकलित आवश्यकता **20.24** एलएमटी थी। मौसम की शुरुआत राज्यों के **10.31** एलएमटी (01.04.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और एमओपी के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। राज्यों के पास एमओपी की समग्र उपलब्धता **20.93** एलएमटी थी। खरीफ 2021 के दौरान डीबीटी बिक्री केवल **14.40** एलएमटी थी।

4.5.3 **<u>रबी 2021–22 (28 दिसम्बर, 2021 तक):</u>** रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** के लिए एमओपी की आकलित आवश्यकता **9.35** लाख मीट्रिक टन रही और रबी 2021–22 के पूरे मौसम के लिए **16.86** एलएमटी है। मौसम की शुरुआत राज्यों के साथ **6.56** एलएमटी (01.10.2021 की स्थिति के अनुसार) के आरंभिक स्टॉक के साथ हुई। कुशल संचलन और एमओपी के समय पर आयात से सभी राज्यों में पूरे मौसम के दौरान पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली। राज्यों के पास एमओपी की उपलब्धता **9.54** एलएमटी रही। **(28 दिसम्बर, 2021 तक)** रबी 2021–22 **(28 दिसम्बर 2021 तक)** के दौरान डीबीटी बिक्री केवल **6.57** एलएमटी रही।

अध्याय–5

वित्तीय निष्पादन

5.1 विभाग का बजट

उर्वरक विभाग क्रमशः यूरिया राजसहायता स्कीम तथा पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति के अंतर्गत यूरिया तथा फास्फेटयुक्त एवं पोटाश (पीएण्डके) मिश्रित उर्वरकों पर राजसहायता के वितरण से संबंधित कार्य देखता है। सचिवालय बजट के अतिरिक्त यूरिया राजसहायता स्कीम तथा पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति के संबंध में 2020–21 की तुलना में 2021–22 के लिए बजट आवंटन निम्नानुसार हैः–

(करोड़ रु.में)

स्कीम	2020–21 के बजट अनुमान	2021–22 के बजट अनुमान	2021–22 के संशोधित अनुमान
सचिवालय व्यय	35.94	37.08	36.28
एनबीएस नीति			
स्वदेशी पीएण्डके	14179.00	12460.00	39062.66
आयातित पीएण्डके	9296.00	8260.00	25087.34
शहरी कम्पोस्ट	29.00	42.00	42.00
एनबीएस नीति के लिए कुल आंवटन	23504.00	20762.00	64192.00
यूरिया राजसहायता			
स्वदेशी यूरिया	38375.00	43236.28	48612.00
आयातित यूरिया	12050.00	19550.00	36250.40
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण राजसहायता			
कार्यालय व्यय	1.00	1.40	1.40
व्यायसायिक सेवाएं	9.00	10.00	26.52
यूरिया राजसहायता के लिए कुल आवंटन	50435.00	62797.68	84990.42
कुल राजसहायता आवंटन (सकल)	73939.00	83559.68	149182.42
आायातित यूरिया की बिक्री से प्राप्त वसूली	2630.00	4030.00	8960.00
कुल राजसहायता आवंटन (निवल)	**71309.00**	**79529.68**	**140222.42**

5.2 आंतरिक तथा अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)

वर्ष 2020–21 के लिए लाभ कमाने वाली पांच उर्वरक सीपीएसईज अर्थात एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फैगमिल), प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल), ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल), राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ), द्वारा सृजित आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) निम्नानुसार है:–

(रु. करोड में)

कम सं.	**सीपीएसई का नाम**	**वास्तविक 2020–21**	**संशोधित अनुमान 2021–22**	**बजट अनुमान 2022–23**
1	बीवीएफसीएल	-101.36	-63.56	-1.86
2	फैगमिल	3.60	4.96	74.21
3	एनएफएल	326.32	281.26	278.92
4	पीडीआईएल	--	--	0.10
5	आरसीएफ	201.03	240.74	293.87

अध्याय–6

उर्वरक क्षेत्र की सहायता हेतु उपाय

6–1 किसानों के लिए वहनीय मूल्य पर उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सतत कृषि प्रगति के लिए आवश्यक संतुलित पोषकतत्व के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी फीडस्टॉक में प्रयोग पर आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाकर अधिकतम करना सरकार की नीति का उद्देश्य है। दिनांक 26 नवम्बर, 2021 की स्थिति के अनुसार देश में यूरिया निर्माण की 33 घरेलू इकाइयां हैं जिनकी कुल पुनःआकलित क्षमता 245.64 लाख मी.टन प्रति वर्श (एलएमटीपीए) है। सभी यूरिया इकाइयां फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस का प्रयोग कर रही हैं। पुनः आकलित क्षमता के साथ यूरिया विनिर्माण इकाइयों का ब्यौरा **अनुलग्नक–VII** पर संलग्न हैं।

6.2 <u>राजसहायता का भुगतान</u>

6.2.1 यूरिया की बिक्री भारत सरकार द्वारा सांविधिक रूप से नियत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर की जाती है। वर्तमान में यूरिया की सांविधिक रूप से नियत एमआरपी यूरिया के 45 किग्रा. हेतु 242 रूपये है। फार्मगेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा प्राप्त निवल बाजार मूल्य के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता के रूप में दिया जाता है। एक इकाई को देय राजसहायता का निर्णय करने के लिए रियायत दर अर्थात प्रत्येक यूरिया विनिर्माण इकाई के उत्पादन की मानक लागत की गणना समय–समय पर सीसीईए के अनुमोदन के साथ विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित वर्तमान नीति प्रावधानों के अनुसार की जाती है। राजसहायता दरों के घटक निम्नानुसार हैं:

(i) परिवर्तनीय लागत जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) ऊर्जा अर्थात प्राकृतिक गैस, आरएलएनजी, नेफ्था की लागत

(ख) ऊर्जा और जल के संयंत्र–इतर प्रयोग की लागत

(ग) बोरियों की लागत

(ii) रूपांतरण लागत अथवा नियत लागतः

(क) वेतन और मजदूरी

(ख) संविदा श्रमिकों की लागत

(ग) उत्प्रेरक, रसायनों और अन्य उपभोज्य वस्तुओं जैसे उपभोज्यों की लागत

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय

(ड.) कारखाना उपरिव्यय, बीमा आदि

यूरिया विनिर्माण इकाइयों की रियायत दर (उत्पादन की मानक लागत) की गणना निम्नलिखित अधिसूचनाओं के नीतिगत प्रावधानों के अनुसार की जाती है:

(क) नई मूल्य–निर्धारण स्कीम (एनपीएस)–III और संशोधित एनपीएस–III (अनुलग्नक–VIII और IX) : निम्नलिखित घटकों पर क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु:

i. सभी यूरिया इकाइयों की नियत लागत

ii. परिवर्तनीय लागत (इकाइयों की ईंधन एवं फीडस्टॉक लागतों को छोड़कर)

iii. दो यूरिया इकाइयों नामतः बीवीएफसीएल–नामरूप–।। और ।।। की ईंधन एवं फीडस्टॉक लागतें।

नोटः संशोधित एनपीएस–।।। को 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित किया गया था। तथापि, अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण, इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 13 मार्च, 2020 को आयोजित की गई अपनी बैठक में यूरिया इकाइयों के लिए नियत लागतों के निर्धारण के लिये संशोधित नयी मूल्य निर्धारण स्कीम–।।। (एनपीएस–।।।) में अस्पष्टताओं को दूर करने विषयक उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

उर्वरक विभाग ने दिनांक 30 मार्च, 2020 की अधिसूचना (अनुलग्नक–6) के जरिये यूरिया इकाइयों के लिए नियत लागतों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य–निर्धारण स्कीम–।।। (एनपीएस–।।।) में अस्पष्टताओं को दूर करने संबंधी सीसीईए के निर्णय को अधिसूचित किया है। यह एमएपीएस–।।। के सहज कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाएगा जिसके परिणामस्वरूप 30 यूरिया विनिर्माता इकाइयों को 350 रु. प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त नियत लागत प्रदान की जाएगी। इस अनुमोदन से 30 वर्ष से अधिक पुरानी तथा गैस इकाइयों में परिवर्तित यूरिया इकाइयों को 150 रु. प्रति मीट्रिक टन की विशेष क्षतिपूर्ति भी प्रदान की जाएगी जिससे इन इकाइयों को सतत उत्पादन के लिए व्यवहार्य बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। संशोधित एनपीएस–।।। के कार्यान्वयन से प्रस्ताव में यथाउल्लिखित सीमाओं के साथ नियत लागत में उनकी वास्तविक वृद्धि की सीमा तक मौजूदा यूरिया इकाइयों को लाभ प्राप्त होगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी इकाई को कोई अनावश्यक फायदा न पहुँचे। यह निर्णय यूरिया इकाइयों के सतत प्रचालनों को सुसाध्य बनाएगा जिसके परिणामस्वरूप किसानों को यूरिया की सतत एवं नियमित आपूर्ति होगी। इन प्रयासों से यूरिया का अधिकतम घरेलू उत्पादन होगा तथा आयात पर निर्भरता कम होगी।

ख) नई यूरिया नीति (एनयूपी–2015) (अनुलग्नक–X): एनयूपी–2015 को दिनांक 25.5.2015 को अधिसूचित किया गया था और 1.6.2015 से लागू किया गया। यह निम्नलिखित घटकों का निर्धारण करती हैः

i. 25 गैस आधारित यूरिया इकाइयों की ईंधन एवं फीडस्टॉक लागत।

ii. उक्त 25 यूरिया इकाइयों द्वारा उनकी संबंधित पुनराकलित क्षमता (आरएसी) से अधिक यूरिया के उत्पादन हेतु रियायत दर।

iii. उक्त यूरिया इकाइयों के लिए वित्त वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य ऊर्जा मानक (टीईएन)।

ग) फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का उपयोग करने वाली इकाइयों के लिए 17 जून, 2015 की अधिसूचना (अनुलग्नक–XI)– इस अधिसूचना के प्रावधानों के द्वारा रियायत दर की गणना करते समय निम्नलिखित का निर्धारण किया जाता हैः

i. 3 यूरिया इकाइयों अर्थात एमएफएल–मणलि, स्पिक – तूतीकोरिन और एमसीएफएल– मंगलौर, जो फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का उपयोग कर रही हैं, की ईंधन एवं फीडस्टॉक लागत।

ii. इन इकाइयों के लिए वर्ष 2018–19 के लिए लक्ष्य ऊर्जा मानक।

घ) एनयूपी–2015 के तहत ऊर्जा मानकों के संशोधन के संबंध में दिनांक 28.032018 की अधिसूचना (अनुलग्नक–XII)

i. एनयूपी–2015 के तहत निर्धारित लक्ष्य ऊर्जा मानदंड (टीईएन) दिनांक 1.4.2018 से 11 यूरिया इकाइयों के संबंध में लागू किये गये।

ii. शेष 14 एनयूपी इकाइयों तथा 3 नेफ्था इकाइयों के लिए लक्ष्य ऊर्जा मानदंड (टीईएन) कतिपय दंडों के साथ 2020 तक दो वर्ष के लिए बढ़ाये गये।

iii.. नेफ्था आधारित तीन यूरिया इकाइयों अर्थात एमएफएल, एमसीएफएल, स्पिक को दिनांक 17 जून, 2015 की नीतिगत अधिसूचना के पैरा (2) के तहत मौजूदा ऊर्जा मानकों की दो अन्य वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2020 तक के लिए अथवा इन इकाइयों के गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त कर लेने, जो भी पहले हो, तक के लिए अनुमति दी गई।

नोटः गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त कर लेने के बाद, एमएफएल – मणलि और एमसीएफएल – मंगलौर ने क्रमशः दिनांक 29 जुलाई, 2019, 12 दिसंबर, 2021 और 13 मार्च, 2021 से प्राकृतिक गैस फीडस्टॉक से अपना उत्पादन आरंभ कर दिया है।

(ड.)दिनांक 7 जुलाई 2020 की अधिसूचना (अनुलग्नक – XIII): शेष 14 गैस आधारित इकाइयों (जिन पर 1.4.2018 से लक्ष्य ऊर्जा मानदंड लागू नहीं किए जा सके) के लिए एनयूपी–2015 के मौजूदा ऊर्जा मानदंडों को बढ़ाई गई पेनल्टी के साथ 30.9.2020 तक और बढ़ा दिया गया। इसके पश्चात, एनयूपी–2015 के लक्ष्य ऊर्जा मानदंड 1 अक्टूबर, 2020 से इन यूरिया इकाइयों पर लागू हो गए हैं।

(च) नई निवेश नीति (एनआईपी) 02 जनवरी, 2013 – 2012 (अनुलग्नक –XIV): इस अधिसूचना में एनआईपी – 2012 के तहत स्थापित नई यूरिया इकाइयों की रियायत दर के निर्धारण के प्रावधान निहित हैं। एनआईपी–2012 और इसके संशोधनों के प्रावधानों के तहत मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) ने पानागढ़, पश्चिम बंगाल में तक नया ग्रीनफील्ड अमोनिया–यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित किया है। मैटिक्स का वाणिज्यिक उत्पादन 1 अक्टूबर, 2017 को आरंभ हुआ। तथापि यह 16 नवम्बर, 2017 से सीबीएम/प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण प्रचालन में नहीं था। गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त करने के बाद मैटिक्स ने 09 सितम्बर, 2021 से उत्पादन पुनः प्रारम्भ किया। चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल–।।।) ने गड़ेपान, राजस्थान में ब्राउनफील्ड परियोजना भी स्थापित की है। सीएफसीएल–।।। का वाणिज्यिक उत्पादन 01 जनवरी, 2019 को प्रारम्भ हुआ। रामागुण्डम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) ने रामागुण्डम, तेलंगाना में एक नया ग्रीनफील्ड अमोनिया–यूरिया कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया है। इसने 22 मार्च, 2021 से उत्पादन शुरू कर दिया है।

(छ)तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से उत्पादित यूरिया हेतु विशेष राजसहायता नीति (अनुलग्नक–XV): कोयला खानों की निकटता तथा यूरिया के उत्पादन हेतु वैकल्पिक फीडस्टॉक के रूप में विकसित होने के कारण उर्वरक विभाग ने पूर्व तलचर फर्टिलाइजर्स संयंत्र के कार्यनीतिक लाभ पर विचार करते हुए कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से तलचर फर्टिलाइजर्स संयंत्र के पुनरुद्धार की संभावना की खोज की है। तदनुसार, कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर एफसीआईएल के पूर्व तलचर संयंत्र को नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स

(आरसीएफ), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) तथा कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के संघ के माध्यम से पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया गया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि कोयला गैसीकरण में अपनी तरह का पहले संयंत्र होने के कारण टीएफएल हेतु यूरिया नीति को सुरक्षित (रिंग फेंस) किया जाना अनिवार्य है। तदनुसार उर्वरक विभाग ने एक सीसीईए नोट प्रस्तुत किया जिसके तहत टीएफएल हेतु विशेष राजसहायता नीति का प्रस्ताव किया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण के माध्यम से उत्पादित यूरिया हेतु उत्पादन शुरू होने की तिथि से 8 वर्षों की अवधि हेतु रियायत दर/राजसहायता साम्या कर पश्चात 12% आईआरआर प्रदान करके निर्धारित की जाएगी। इस उर्वरक विभाग की दिनांक 28 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

6.2.2 ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित अधिसूचनाओं के अतिरिक्त उर्वरक विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय भी अधिसूचित किए हैं:

क) दिनांक 4 सितंबर, 2017 की अधिसूचना के जरिये यूरिया के 45 कि.ग्रा. बोरी की शुरुआत **(अनुलग्नक– XVI)**

ख) संशोधित डीलर/वितरण मार्जिन के संबंध में दिनांक 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना **(अनुलग्नक– XVII)**

ग) स्वदेशी रूप से उत्पादित यूरिया एवं आयातित यूरिया के 100% नीम–लेपन के संबंध में 25 मई, 2015 की अधिसूचना **(अनुलग्नक– XVIII)**

घ) उर्वरक राजसहायता प्रणाली के तहत सभी उर्वरकों पर समान मालभाड़ा राजसहायता नीति के संबंध में दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना **(अनुलग्नक– XIX)**

6.3 उर्वरक राजसहायता में डीबीटी का कार्यान्वयन

6.3.1 परिचय

सरकार ने अक्तूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर 100 प्रतिशत राजसहायता जारी की जाती है। किसानों/क्रेताओं को सभी राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की बिक्री प्रत्येक खुदरा विक्रेता की दुकान पर संस्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण के माध्यम से की जाती है तथा लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी, मतदाता पहचान पत्र आदि से की जाती है।

6.3.2 प्रायोगिक डीबीटी

प्रायोगिक परियोजना 17 जिलों में कार्यान्वित की गई है।

6.3.3 डीबीटी को अखिल भारत स्तर पर शुरू किया जाना :

इसे 01.09.2017 से विभिन्न राज्यों/संघ शासित राज्यों में इसे शुरू कर दिया गया है और मार्च, 2018 तक अखिल भारत स्तर पर इसे शुरू कर दिया गया है।

6.3.4 डीबीटी पीएमयू:

डीबीटी के कार्यान्वयन पर विशेश रूप से नजर रखने के लिए उर्वरक विभाग में एक परियोजना निगरानी कक्ष की स्थापना की गई है। चल रही डीबीटी गतिविधियों पर निगरानी हेतु सभी राज्यों में 24 राज्य समन्वयक नियुक्त किए गए हैं।

6.3.5 पीओएस लगाना एवं खुदरा विक्रेताओं का प्रशिक्षण :

डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक खुदरा

विक्रेता की दुकान पर पीओएस उपकरण लगाना तथा पीओएस उपकरण के संचालन हेतु खुदरा विक्रेताओं का प्रशिक्षण अपेक्षित है।

- समग्र देश में प्रमुख उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं (एलएफएस) ने आज तक **11903** प्रशिक्षण सत्र संचालित किए हैं।
- सभी राज्यों में **2.27 लाख** पीओएस उपकरण लगाए गए हैं।
- दिसम्बर, 2021 तक डीबीटी स्कीम के तहत पीओएस उपकरणों के माध्यम से कुल **2226 लाख मी.टन** उर्वरक की बिक्री की गई है।

6.3.6 उर्वरक में डीबीटी का मूल्यांकनः

- नीति आयोग ने एक स्वतंत्र एजेंसी मेसर्स माइक्रोसेव के माध्यम से डीबीटी के प्रायोगिक जिलों में चार गहन मूल्यांकन करवाए हैं। अध्ययन की मुख्य विशेशताएं इस प्रकार हैं:
- डीबीटी प्रणाली के कार्यान्वयन से उर्वरक वितरण का सरलीकरण हुआ है। सभी जिलों के खुदरा विक्रेताओं और किसानों ने नीम लेपन के कारण यूरिया की 'कोई कमी नहीं' संबंधी सूचना दी है।
- एमएफएमएस आईडी के माध्यम से निगरानी में सुधार हुआ है अर्थात उर्वरक कंपनियों ने राजसहायता भुगतानों में विलंब से बचने के लिए एमएफएमएस प्रणाली पर खोजे न जा सकने वाले खुदरा विक्रेताओं और सहकारी डिपो को अपनी सूची में रखा है।
- खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक वसूली किया जाना कम हुआ है क्योंकि किसानों द्वारा की गई उर्वरक की प्रत्येक खरीद पर पीओएस मशीनों द्वारा बनने वाली रसीद में किसानों द्वारा किया गया एमआरपी का भुगतान और किसानों द्वारा क्रय किए गए उर्वरक की मात्रा पर सरकार द्वारा भुगतान की गई राजसहायता के घटक दोनों का उल्लेख होता है।
- सीमा पार अर्थात किशनगंज से नेपाल और बंगलादेश की सीमा के पार भी बिक्री में कमी हुई है।
- किसानों द्वारा आधार आधारित प्रणाली को अधिक से अधिक वरीयता दी जा रही है।
- यूरिया की बोरी के आकार को घटाने और खुदरा विक्रेता मार्जिन को बढ़ाने जैसी पहलों का सकारात्मक प्रभाव प्रतीत होता है।
- 76.5 प्रतिशत किसान इस बात को जानते हैं कि यूरिया नीम तत्व से लेपित होकर आ रहा है।
- 94.9 प्रतिशत किसान यह मानते हैं कि नीम लेपित यूरिया फसलों के लिए लाभकारी है।
- किसान उर्वरक में डीबीटी का चुनाव इसलिए करते हैं क्योंकि यह वास्तविक केता का हिसाब रखता है, कालाबाजार और विपथन को कम करता है, खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक वसूली को कम करता है और उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य के बारे में जागरूकता पैदा करता है।
- मेसर्स माइक्रोसेव के अध्ययन से प्राप्त सकारात्मक फीडबैक के आधार पर पीओएस उपकरण लगाने के कार्य का विस्तार देश भर में सभी राज्यों/संघ राज्य राज्यों में कर दिया गया था।

6.3.7 डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत राजसहायता का भुगतानः

- डीबीटी प्रणाली में लाभार्थियों को खुदरा विक्रेता द्वारा की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक विनिर्माता कंपनियों को राजसहायता का 100% भुगतान किया जाता है।

- किसान अथवा क्रेता की पहचान या तो बायोमीट्रिक, आधार आधारित–विशिश्ट पहचान संख्या अथवा मतदाता पहचान पत्र अथवा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रमाणित की जाती है।
- आधार–आधारित बायोमीट्रिक प्रमाणन किसान के मृदा स्वास्थ्य कार्ड से जुड़ा होता है।
- इससे लाभार्थी द्वारा धारित कृशि भूमि की मृदा स्वास्थ्य रुप–रेखा के अनुरुप उर्वरकों के उपयुक्त मिश्रण की सिफारिश की जा सकेगी।
- तथापि यह सिफारिश लाभार्थी के लिए बाध्यकारी नहीं होगी और उर्वरकों की बिक्री प्रारंभ में 'नो डिनायल मोड' पर होगी।
- लाभार्थियों को की गई बिक्री खुदरा विक्रेता के पास लगाये गये प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से दर्ज की जाती है। उर्वरकों की बिक्री संबंधी सभी लेन–देन वास्तविक समय आधार पर एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) में ऑन लाइन दर्ज होते हैं।
- दावों पर साप्ताहिक आधार पर कार्रवाई की जाती है और राजसहायता की धनराशि इलेक्ट्रानिक माध्यम से कंपनी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

6.3.8 डीबीटी के लाभ :

- लाभार्थियों का आधार से जुड़ा डाटाबेस तैयार करना।
- अंतिम बिक्री स्थल/खुदरा बिक्री स्थल पर लेनदेन की पारदर्शिता।
- मूल्य श्रृंखला अर्थात विनिर्माताओं से लाभार्थियों तक, के साथ उर्वरकों के संचलन की पारदर्शी एवं तीव्रतर खोज।
- उर्वरकों के विपथन को न्यूनतम करना।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड को डीबीटी के साथ जोड़ने के कारण पोशकतत्वों का इश्टतम उपयोग।

➢ **किसानों को तात्कालिक लाभः**

- खुदरा बिक्री स्थल पर उर्वरकों की तैयार तथा समय से उपलब्धता।
- पीओएस मशीनों के माध्यम से राजसहायता प्राप्त दरों पर उर्वरकों की बिक्री।
- प्रत्येक बिक्री के उपरान्त उर्वरकों की दर दर्शाते हुए पीओएस मशीन के माध्यम से रसीद तैयार की जाती है।
- अधिक मूल्य अथवा अधिक वसूली की कोई संभावना नहीं।
- बिक्री रसीद में क्रय किए गए उर्वरकों के लिए किसान की ओर से सरकार द्वारा वहन की गई राजसहायता दर्शाई जाती है।

➢ **निगरानी एवं चौकसीः** उर्वरक विभाग तथा राज्य सरकारें एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) तथा पीओएस मशीनों के जरिए दर्ज किये गये आंकड़ों के माध्यम से पूरे देश में निम्नलिखित कार्यकलापों की गहनता से निगरानी कर सकता हैं:

- विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता।
- विभिन्न खुदरा बिक्री स्थलों पर किसानों को उर्वरकों की बिक्री।
- किसानों को बेची जा रही उर्वरकों की मात्रा तथा दर।

➢ **अप्रत्यक्ष लाभः**

- 2.26 लाख खुदरा विक्रेताओं के पास पीओएस मशीन लगाने से एक ऐसे माध्यम

का निर्माण होगा जिससे सरकार को ग्रामीण भारत तक पहुंचने के लिए असीमित अवसर उपलब्ध होंगे। यह अन्य मंत्रालयों के लिए सेवा सुपुर्दगी माध्यम हो सकता है।

- लेन–देन के डिजिटाइजेशन से किसानों का क्रय इतिहास बनेगा, वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिसका इस्तेमाल उर्वरक केंद्रों पर लेने–देन इतिहास के आधार पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

6.3.9 फील्ड स्तर पर कार्यान्वयन में आई चुनौतियां

- सभी लाभार्थियों का आधार नामांकन।
- जिला का मृदा स्वास्थ्य कार्ड/सामान्य मृदा प्रोफाइल तैयार करना ।
- भूमि रिकार्डों और मृदा स्वास्थ्य कार्ड को आधार के साथ जोडना।
- विशेश रूप से सुदूर क्षेत्रों में प्रत्येक सेल प्वाइंट पर नेटवर्क कनेक्टिविटी।
- आईटी अनुसंधान को बेहतर करना/खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- जिला स्तर पर खुदरा विक्रेताओं के क्रियाकलापों की निगरानी और नियंत्रित करना तथा खुदरा विक्रेता को जवाबदेह बनाना।

6.3.10 डीबीटी की विभिन्न चुनौतियों का निम्नानुसार समाधान किया गया है:

(क) नेटवर्क कनेक्टिविटी मुद्दों का समाधान कैसे किया जाए।

इन्टरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न प्रचालनात्मक चुनौतियों का समाधान करने के लिए उर्वरक विभाग ने निम्नानुसार विभिन्न विकल्पों का सुझाव दिया है:

- पीओएस मशीनों को वाई–फाई, लैन, पीएसटीएन,सिम आदि जैसे अनेक कनेक्टिविटी विकल्प उपलब्ध कराए गए।
- संबंधित क्षेत्र में अच्छी कनेक्टिविटी वाले टेलीकाम सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के लिए खुदरा बिक्री दुकानों पर नेटवर्क सर्वेक्षण/मूल्यांकन किया जा सकता है।
- पीओएस मशीन में एंटीना जोड़ने जैसे साधारण उपायों से बेहतर सिग्नल प्राप्त सकते हैं।

(ख) व्यस्ततम समय में बिक्री व्यवस्था कैसे संभाली जाये:

व्यस्ततम समय में बिक्री व्यवस्था संभालने के लिए एक अकेला खुदरा विक्रेता खुदरा बिक्री केन्द्र पर एक से अधिक पीओएस मशीन लगा सकता है। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एक खुदरा बिक्री केन्द्र पर अधिकतम 10 पीओएस मशीन का उपयोग करने का प्रावधान है।

(ग) शिकायत निवारण तंत्र

- देश भर में विभिन्न हितधारकों के प्रश्नों का त्वरित उत्तर उपलब्ध करवाने के लिए डीबीटी कार्यान्वयन की प्रारंभिक तैयारी के रूप में 15 सदस्यीय एक समर्पित बहुभाशी हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हेल्प डेस्क शनिवार सहित सभी कार्य दिवसों में 9.30 पूर्वाह्न से 6,00 सायं तक कार्य करेगी। हेल्प डेस्क का टोल फ्री नम्बर 1800115501 है। इसके अतिरिक्त विभिन्न हितधारकों की शिकायतों का त्वरित उत्तर देने के लिए व्हाटसअप का व्यापक तौर पर प्रयोग किया जा रहा है।
- पीओएस मशीनों के सही ढंग से काम न करने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए पीओएस विक्रेताओं अर्थात विजनटेक, एनालॉजिक्स तथा ओएसिस द्वारा अलग टोलफ्री लाइनें उपलब्ध कराई गई हैं। पीओएस विक्रेताओं द्वारा सभी राज्यों में समर्पित जनशक्ति/विक्रेता सहायता प्रणाली उपलब्ध

कराई गई है। इसके अलावा डीबीटी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए तथा हार्डवेयर/साफ्टवेयर समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु उर्वरक विभाग द्वारा डीबीटी राज्य समन्वयकों की नियुक्ति की गई है।

6.3.11 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा अध्ययन दौरे :

विभिन्न विदेशी प्रतिनिधिमंडलों ने उर्वरकों में डीबीटी के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए भारत के विभिन्न ग्रामों के दौरे किये हैं। ऐसे दौरों की सूची निम्नानुसार है:

- सेन्ट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया की टीम ने 24 मई, 2018 को मुम्बई का दौरा किया।
- तंजानिया से प्रतिनिधिमंडल ने 01 जुलाई, 2018 को सोनीपत, हरियाणा का दौरा किया।
- 8 देश के प्रतिनिधियों वाली संयुक्त राश्ट्र की एक टीम ने 29 नवम्बर, 2018 को पानीपत हरियाणा का दौरा किया।

6.3.12 दो चरणों में डीबीटी का कार्यान्वयनः

चरण–। में खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक श्रेणियों पर 100% राजसहायता जारी करने की परिकल्पना है। डीबीटी के चरण–2 में किसान के खातों में नकदी के सीधे अन्तरण की व्यवहार्यता का पता लगाया जाएगा। चरण–2 के कार्यान्वयन हेतु मॉडल का सुझाव देने के लिए विभाग के अनुरोध पर 28.9.2017 को नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेशज्ञ समिति का गठन किया गया है।

6.3.13 डीबीटी 2.0 पहल की जांचः

दिनांक 10 जुलाई, 2019 को डीबीटी 2.0 पहल की गई। गत एक वर्ष से डीबीटी प्रणाली संतोषजनक तौर पर कार्य कर रही है और विभाग विभिन्न हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रणाली में सुधार करने का लगातार प्रयास कर रहा है। डीबीटी 2.0 की कुछ नई पहल निम्नानुसार हैं:–

क) डीबीटी डैशबोर्ड

➢ राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न उर्वरकों की आपूर्ति/उपलब्धता/आवश्यकता की स्थिति के बारे में सही जानकारी प्रदान करने के लिए उर्वरक विभाग ने विभिन्न डैशबोर्ड तैयार किए हैं। यह डैशबोर्ड विभिन्न रिपोर्ट प्रदान करते है, नामतः

(i) उर्वरक भंडार स्थिति (कुल एवं उत्पादन):

- ✓ बंदरगाह पर
- ✓ संयंत्र पर
- ✓ राज्यों में
- ✓ जिला स्तर पर

(ii) मौसम हेतु आनुपातिक आवश्यकता और विभिन्न स्तरों पर भंडार की उपलब्धता।

(iii) शीर्श 20 क्रेता

(iv) नियमित क्रेता

(v) खुदरा विक्रेता जोकि उर्वरकों की बिक्री नहीं करते हैं।

➢ आम जनता उर्वरक विभाग की ई–उर्वरक वेबसाइट (www.urvarak.nic.in) पर क्लीक करके डीबीटी डैशबोर्ड पर जा सकती है।

जिला और राज्य स्तर पर उर्वरक उपलब्धता, दैनिक बिक्री रिपोर्ट आदि के अतिरिक्त शीर्श 20 क्रेताओं की सूची और सर्वाधिक नियमित क्रेताओं की सूची भी बनाई गई है और उसे संबंधित हितधारकों को उपलब्ध कराया गया है। उर्वरक विभाग द्वारा क्रेताओं की यथार्थता को सत्यापित करने हेतु शीर्श 20 क्रेताओं संबंधी घटक का उपयोग किया गया जिसके आधार पर राज्य द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाए किए गए। प्रत्येक जिला कलेक्टर (डीसी) के लॉगइन पर

शीर्श 20 क्रेताओं की सूची भी उपलब्ध होती है जहां जिला कृशि विभाग जिले में शीर्श 20 क्रेताओं को सत्यापित करने के साथ बिक्री की जांच भी करते हैं।

यह उर्वरक क्षेत्र में नयी उपलब्धि है और यह रिपोर्टें सम्पूर्ण मांग एवं आपूर्ति का आकलन करने, प्रतिदिन निर्णय लेने को सरल बनाने और उर्वरक खपत की तुलना में मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेंगी। यह रिपोर्टें राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता एवं बिक्री की वास्तविक निगरानी करने में सहायता करेंगी।

ख) पीओएस 3.0 साफ्टवेयरः

डीबीटी के तहत, देशभर में खुदरा दुकानों पर लगाये गये पीओएस उपकरणों के माध्यम से उर्वरक की बिक्री की जा रही है। अब तक पीओएस प्रचालन में सुधार करने के लिए पीओएस सॉफ्टवेयर के 14 वर्जन जारी किए जा चुके हैं। नई जोड़ी गई विशेशताओं के साथ नवीनतम पीओएस वर्जन 3.0 इस प्रकार हैः–

- नई प्रणाली डीबीटी सॉफ्टवेयर में पंजीकरण, लॉगइन और बिक्री गतिविधि के उपयोग के दौरान आधार वर्चुअल आईडी का विकल्प प्रदान करेगी।
- इसमें किसानों, मिश्रित विनिर्माताओं, प्लांटर एसोसिएशन को की गई बिक्री को अलग से दर्ज किया जाता है।
- इसमें बहुभाषी सुविधा है।
- इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) सिफारिशः क्षेत्र–विशिष्ट, फसल–विशिष्ट सिफारिशों का प्रावधान है।

ग) डेस्कटॉप पीओएस वर्जन

डीबीटी के चालू कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, विभाग ने देशभर में 2.26 लाख खुदरा दुकानों पर पीओएस उपकरण स्थापित किए हैं। विभिन्न परिचालन चुनौतियों नामतः सीमित पीओएस विक्रेताओं, अधिकतम मांग के समय पर बिक्री में तेजी आदि को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पीओएस उपकरणों के लिए वैकल्पिक या अतिरिक्त सुविधा के रूप में पीओएस सॉफ्टवेयर का एक डेस्कटॉप संस्करण विकसित किया है। लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम वाले खुदरा विक्रेता उर्वरक बिक्री के लिए हार्डस्पीड ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग कर सकते हैं। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर अधिक कारगर और सुरक्षित है क्योंकि एप्लीकेशन को उर्वरक विभाग में केन्द्रीय मुख्यालय टीम से सीधे विकसित और नियंत्रित किया जाता है।

(i) पीओएस सॉफ्टवेयर के डेस्कटॉप वर्जन की नई विशेषताएं इस प्रकार हैं–

- समान आईएफएमएस लॉगइन आईडी, पिन और आधार नम्बर के साथ खुदरा विक्रेता पंजीकरण।
- नई प्रणाली में डीबीटी सॉफ्टवेयर में पंजीकरण, लॉगइन और बिक्री गतिविधि के उपयोग के दौरान आधार वर्चुअल आईडी विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- किसानों, मिश्रित विनिर्माताओं, प्लांटर एसोसिएशन को की गई बिक्री को अलग से दर्ज करता है।
- बहुभाषी सुविधा।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) सिफारिश, क्षेत्र–विशिष्ट, फसल–विशिष्ट सिफारिशों के लिए प्रावधान।

(ii) पीओएस सॉफ्टवेयर के डेस्कटॉप वर्जन के लाभ निम्नानुसार हैं–

- पीओएस उपकरणों के लिए वैकल्पिक या अतिरिक्त सुविधा।

- पीओएस उपकरणों और सीमित विक्रेताओं पर निर्भरता कम करता है।
- लैपटॉप और कम्प्यूटर सिस्टम वाले खुदरा विक्रेता उर्वरक बिक्री के लिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा का उपयोग कर सकते हैं।
- चलाने में आसान, पीओएस की छोटे स्क्रीन की तुलना में बड़ी स्क्रीन।
- बहुभाषी सुविधा।
- बिक्री रसीद बहुभाषी होगी।
- अधिक सुरक्षितः उर्वरक विभाग के साथ एकल बिन्दु विकास नियंत्रण।
- अधिकतम मांग के समय पर बिक्री की व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त उपकरण के रूप में काम कर सकता है।

डेस्कटॉप वर्जन खुदरा दुकानों पर उर्वरक व्यवसाय को आसानी से संभालने की सुविधा प्रदान करेगा।

(घ) एंड्राइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन

पीओएस उपकरणों की समस्याओं को दूर करने के लिए पीओएस 3.1 हेतु मोबाइल एप लांच किया गया। एंड्राइड संस्करण के साथ किसी भी बायोमीट्रिक उपकरण और ब्लू टूथ प्रिंटर का उपयोग किया जा सकता है।

6.3.14 पीओएस साफटवेयर 3.1 का आरम्भ

30 सितम्बर, 2020 को पीओएस साफटवेयर 3.1 संस्करण लांच किया।

इस 3.1 संस्करण में बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के साथ–साथ विद्यमान कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए सम्पर्क रहित ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण को शामिल किया गया है। एंड्राइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन और डेस्कटॉप एप भी विकसित किये गये हैं। एंड्राइड संस्करण के साथ किसी भी बायोमीट्रिक उपकरण और ब्लू टूथ प्रिंटर का उपयोग किया जा सकता है।

6.3.15 एसएमएस गेटवे

3.1 संस्करण में निम्न क्रियाकलापों पर एसएमएसव अलर्ट भेजने हेतु प्रावधान किया गया हैः

i. उर्वरकों की खरीद हेतु पीओएस/डेस्कटॉप और एंड्राइड एप्लिकेशन के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेन–देन पर केता खरीद के समय दिए गए नम्बर पर एसएमएस द्वारा इनवायस ब्यौरा भी प्राप्त करेगा।

ii. नए स्टॉक की प्राप्ति/किसानों द्वारा पिछली बार जिस खुदरा दुकान से उर्वरक की खरीद की गई है वहां पर कुल स्टॉक उपलब्धता के संबंध में खुदरा विकेता द्वारा प्राप्ति के बारे में किसानों को एसएमएस।

iii. किसानों द्वारा पिछली बार जिस खुदरा दुकान से उर्वरक की खरीद की गई वहां पर स्टॉक उपलब्धता के बारे में किसानों को आवधिक एसएमएस (मौसम के दौरान पाक्षिक और मौसम के बाद मासिक तौर पर)

6.3.16 सम्मान और पुरस्कार

उर्वरक विभाग ने उर्वरकों के कार्यान्वयन के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति से **डिजीटल इंडिया अवार्ड 2020,** गवर्नेंस श्रेणी में **एसकेओसीएच पुरस्कार 2019 (स्वर्ण)** और सम्पूर्ण (एण्ड टू एण्ड) डिजिटल सेवाओं (जी2सी) के लिए **गवर्नेंस डिजीटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2019** प्राप्त किए।

माननीय राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. का दौरा करते हुए।

माननीय राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. का दौरा करते हुए।

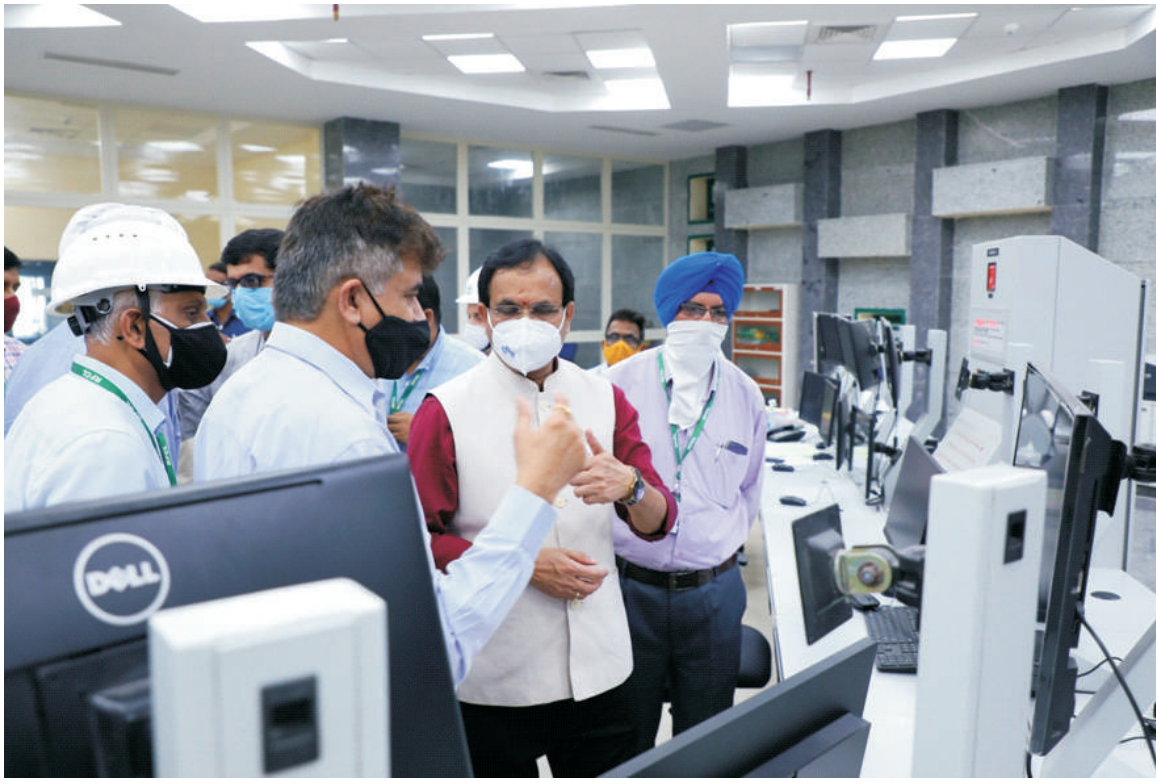

माननीय राज्यमंत्री रामागुण्डम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स संयंत्रों का निरीक्षण करते हुए।

माननीय राज्यमंत्री रामागुण्डम केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स संयंत्र का निरीक्षण करते हुए।

डीबीटी कार्यकलापों की चित्रावली

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा डिजीटल इंडिया अवार्ड 2020

नियंत्रणमुक्त फास्फेटयुक्त (पीएण्डके) एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए राजसहायता नीतिः

6.4 पृष्ठभूमि

6.4.1 किसानों को वहनीय कीमतों पर आदान के रूप में, उर्वरकों की समय पर उपलब्धता, देश में कृशि क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। कृशि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए राजसहायता अथवा रियायत स्कीमें सरकार की नीति का एक अभिन्न अंग रही हैं जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका और रोजगार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

6.4.2 भारत सरकार ने उर्वरकों की बिक्री, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता को विनियमित करने के लिए वर्श 1957 में आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसी एक्ट) के अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) पारित किया। तत्पश्चात उर्वरकों का वितरण विनियमित करने के लिए 1973 में संचलन नियंत्रण आदेश पारित किया गया। फास्फेट पर राजसहायता के अलावा 1977 से पूर्व उर्वरकों पर कोई राजसहायता दिया जाना प्रतीत नहीं होता क्योंकि 1977 के दौरान अन्तर्राश्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें काफी ऊंची थीं।

6.4.3 30 सितम्बर, 2000 तक उर्वरक राजसहायता डीएएण्डएफडब्ल्यू द्वारा चलाई की जा रही थी तथा तत्पश्चात उर्वरक विभाग द्वारा समय–समय पर परिवर्तित मानदण्डों के साथ इसे जारी रखा गया।

6.4.5 मराठा समिति की सिफारिशों पर सरकार ने नवम्बर, 1977 में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य स्कीम (आरपीएस) लागू की। बाद में, फरवरी, 1979 से इसे फास्फेटयुक्त और अन्य मिश्रित उर्वरकों पर भी लागू किया गया और मई, 1982 से इसे एकल सुपर फास्फेट पर भी लागू किया जो 1991 तक जारी रहा। बाद में राजसहायता को आयातित फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों पर भी लागू किया गया।

6.4.6 1990 के दशक के आरम्भ के वर्शों में देश अत्यधिक राजकोशीय घाटे का सामना कर रहा था और विदेशी मुद्रा संकट गहराने का भी खतरा था। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जुलाई, 1991 में उर्वरकों के मूल्य में 40 प्रतिशत की वृद्धि की घोशणा की। कुछेक उर्वरक जो राजसहायता स्कीम के अन्तर्गत थे उन्हें नियंत्रणमुक्त कर दिया गया। तत्पश्चात् उर्वरकों के ऊंचे मूल्यों को देखते हुए उनकी कम खपत की आशंका होने तथा परिणामस्वरूप कम कृशि उत्पादकता होने पर सरकार ने यूरिया के मूल्यों में 10 प्रतिशत वृद्धि वापस ले ली।

6.4.7 दिसम्बर, 1991 में, सरकार ने उर्वरकों के विभिन्न उत्पादों के लिए प्रतिधारणीय मूल्यों के परिकलन की विद्यमान विधियों की समीक्षा करने और सरकारी खजाने पर भार डाले बिना उर्वरकों के मूल्यों को घटाने के बारे में सुझाव देने के लिए उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया। जेपीसी ने 20 अगस्त, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य निश्कर्श और सिफारिशें यह थीं कि राजसहायता में वृद्धि का मुख्य कारण आयातित उर्वरकों की लागत में वृद्धि, जुलाई, 1991 में रूपए का अवमूल्यन और 1980 से 1991 तक स्थिर फार्मगेट मूल्य होना था। समिति उर्वरकों को पूर्णतः नियंत्रणमुक्त रखने के पक्ष में नहीं थी और समिति ने आयातित फास्फेटयुक्त व पोटाशयुक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त करने के साथ यूरिया के उपभोक्ता मूल्य में 10 प्रतिशत कटौती करने की सिफारिश की।

6.4.8 जेपीसी की सिफारिशों के आधार पर, भारत

सरकार ने सभी फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एंड के) उर्वरकों नामतः डीएपी, एमओपी, एनपीके मिश्रित उर्वरक और एसएसपी को 25 अगस्त, 1992 से नियंत्रणमुक्त कर दिया जो 1977 से आरपीएस के अधीन थे जबकि यूरिया को आरपीएस के अधीन ही रखा।

6.4.9 चूंकि, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों (यूरिया) पर राजसहायता जारी रखी गई जबकि फास्फेटयुक्त उर्वरकों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया अतः फास्फेटयुक्त उर्वरकों के मूल्य बाजार में अपेक्षाकृत अधिक हो गए। परिणामस्वरूप, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन और खपत बढ़ गयी और पीएंडके उर्वरकों की खपत घट गयी। इसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजनयुक्त, फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों की खपत में काफी असंतुलन पैदा हो गया। मृदा के उर्वरण में असन्तुलन और फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरक मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों को वहन न कर पाने की आशंका से भारत सरकार ने मूल्य वृद्धि के प्रभाव को कम करने और संतुलित उर्वरण को प्रोत्साहित करने के लिए रबी 1992 से फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के लिए तदर्थ रियायत की घोशणा की।

6.4.10 आरम्भ में तदर्थ रियायत स्कीम डीएपी, एमओपी और एनपीके मिश्रित उर्वरकों पर लागू थी। बाद में इस स्कीम को 1993–94 से एसएसपी पर भी लागू कर दिया गया। राज्य सरकारों द्वारा विनिर्माताओं/आयातकों को रियायतों का वितरण 1992–93 से 1993–94 तक कृशि व सहकारिता विभाग द्वारा प्रदान किये गए अनुदानों के आधार पर किया जाता था।

6.5 अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) का प्रारम्भः

6.5.1 1997–1998 में कृशि व सहकारिता विभाग ने डीएपी/एनपीके/एमओपी के लिए अखिल भारतीय एक समान अधिकतम खुदरा मूल्य दर्शाना आरम्भ किया। एसएसपी के संबंध में एमआरपी दर्शाने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का था। पी एंड के उर्वरकों की एमआरपी 28 फरवरी, 2002 को संशोधित की गई जो डीओपी और एमओपी के मामले में 31.3.2010 तक जारी रही। तथापि, मिश्रित उर्वरकों के मामले में एमआरपी 18 जून, 2008 को संशोधित की गई। जम्मू एवं कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों में उर्वरकों की आपूर्ति के लिए विशेश भाड़ा राजसहायता प्रतिपूर्ति स्कीम 1997 में लागू की गई थी जो 31.3.2008 तक जारी रही। उर्वरकों की कुल सुपुर्दगी लागत सरकार द्वारा दर्शायी गई एमआरपी से निरपवाद रूप से अधिक रही, फार्म गेट पर उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य और एमआरपी में अन्तर की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा विनिर्माताओं/आयातकों को राजसहायता के रूप में की जाती थी।

6.5.2 मार्च, 2008 तक एसएसपी पर राजसहायता का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता था जबकि एमआरपी का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। मई 2008 से सितम्बर 2009 तक की अवधि के लिए एसएसपी की एमआरपी अखिल भारतीय आधार पर डीओएफ द्वारा घोशित की गई। एसएसपी की एमआरपी 1.10.2009 से 30.4.2010 तक खुली छोड़ दी गई और एसएसपी पर 2000 रूपए प्रति मी.टन की नियत राजसहायता दी गई।

6.5.3 रियायत स्कीम के अन्तर्गत पीएंडके उर्वरक पर राजसहायता

1 पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता की संगणना औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बीआईसीपी), जो अब प्रशुल्क आयोग (टीसी) कहलाता है, द्वारा डीएपी और एमओपी पर किये गये लागत मूल्य

अध्ययन पर आधारित थी। 1.4.1999 से राजसहायता दरें तिमाही आधार पर लागत सह दृश्टिकोण पर निर्धारित की जाती थीं। उर्वरकों की कुल सुपुर्दगी लागत सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी से ऊंची रहने के कारण, फार्मगेट स्तर पर उर्वरकों के सुपुर्दगी मूल्य और एमआरपी के बीच के अंतर की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में की जाती थी।

2 मिश्रित उर्वरकों पर राजसहायता की गणना के लिए सरकार ने 1.4.2002 से प्रशुल्क आयोग की सिफारिश पर नई प्रणाली लागू की। मिश्रित उर्वरक निर्माताओं को नाइट्रोजन यानी गैस और नेफ्थां, पाने के लिए फीड स्टाक के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। समय के साथ डीएपी उद्योग ने भिन्न कच्चे माल जैसे फास्फोरिक अम्ल उत्पादन के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उर्वरक विभाग ने एक प्रस्ताव बनाया और सुझाव दिया कि फास्फोरिक अम्ल मूल्य को अन्तर्राश्ट्रीय डीएपी मूल्य से सम्बद्ध कर दिया जाए। मामले को प्रो. अभिजीत सेन की अध्यक्षता वाले विशेशज्ञ समूह को भेज दिया गया। इस समूह की रिपोर्ट अक्तूबर, 2005 में प्रस्तुत की गई और उस पर अन्तर–मंत्रालयी समूह द्वारा विचार किया गया। टीसी ने डीएपी/एमओपी और एनपीके मिश्रित का नए सिरे से लागत मूल्य अध्ययन कराया और दिसम्बर, 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। टीसी की इस रिपोर्ट के आधार पर 31.3.2010 तक राजसहायता की गणना मासिक आधार पर की जाती थी।

6.5.4 रियायत स्कीम का प्रभाव

1 किसानों को दिये जाने वाले पी एंड के उर्वरकों की एमआरपी उसकी सुपुर्दगी लागत से काफी कम थी। इससे पिछले तीन दशकों में उर्वरकों की खपत में वृद्धि हुई है और परिणामस्वरूप देश में खाद्यानों की पैदावार में भी वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले कुछ वर्शों में यह देखा गया है कि देश में कृशि उत्पादकता में उर्वरकों के अतिरिक्त प्रयोग के प्रति रुझान बहुत तेजी से कम हुआ जिससे, कृशि पैदावार लगभग रूक सी गई तथा परिणामस्वरूप कृशि उत्पादन भी। एनपीके का असंगत अनुप्रयोग, बहु–पोशकतत्व की कमी में वृद्धि तथा आर्गनिक खादों के प्रयोग में कमी से मृदा के कार्बन अंश में कमी हुई जिनके परिणामस्वरूप कृशि उत्पादकता रूक गई। उर्वरक क्षेत्र अत्यधिक विनियमित वातावरण में कार्य करता है जिसमें उत्पादन की लागत और बिक्री मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं जिसके कारण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा उर्वरक उद्योग कम लाभप्रदता से प्रभावित हुआ। वस्तुतः पिछले 11 वर्शों में यूरिया क्षेत्र में और पी एंड के क्षेत्र में पिछले 8 वर्शों में कोई निवेश नहीं होने के कारण उर्वरक उद्योग का विकास रूका हुआ था। उर्वरक उद्योग के पास आधुनिकीकरण और दक्षता सुधार के लिए निवेश करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था।

2 उर्वरक क्षेत्र में नवोन्मेश का भी अभाव था क्योंकि उर्वरक कम्पनियों की ओर से बहुत कम नए उत्पाद लाये गए क्योंकि उन्हें राजसहायता प्राप्त उर्वरकों के कारण कम मूल्य मिलता है। उद्योग के पास किसानों पर फोकस करने का कोई प्रोत्साहन नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कृशि विस्तार की सेवाओं का स्तर कम हुआ जो आधुनिक उर्वरक अनुप्रयोग तकनीकों, मृदा स्वास्थ्य और मृदा एवं फसल विशिश्ट उर्वरकों के मृदा जांच आधारित अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

.3 रियायत स्कीम के अन्तर्गत 2005–06 से 2009–10 के दौरान सरकार के राजसहायता

परिव्यय में 500% की तीव्र वृद्धि हुई जिसमें 94 प्रतिशत वृद्धि उर्वरकों और उर्वरक आदानों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण है जबकि केवल 6 प्रतिशत का श्रेय उपभोग में वृद्धि को जाता है।

4 इस प्रकार यह देखा गया कि उत्पाद आधारित राजसहायता व्यवस्था (पूर्व में रियायत स्कीम) सभी हितधारकों अर्थात किसानों, उद्योग और सरकार के लिए घाटे की मामला साबित हो रही थी। तद्नुसार, कृशि उत्पादकता, संतुलित उर्वरण और स्वदेशी उर्वरक उद्योग का विकास, उर्वरक कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा संबंधित सभी मुद्दों पर विचार करते हुये और रियायत स्कीम की खामियों से पार पाने के लिये सरकार ने 1.4.2010 से पीएंडके उर्वरकों के लिए पोशकतत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति लागू की।

6.5.5 पोशक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) नीति (1.4.2010 से प्रभावी)

1 एनबीएस नीति के अन्तर्गत सरकार राजसहायता प्राप्त पी एंड के उर्वरकों नामतः नाइट्रोजन (एन), फास्फेट (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के प्रत्येक पोशक तत्व पर अन्तर्राश्ट्रीय मूल्यों, विनिमय दर, मालसूची स्तर और पीएंडके उर्वरकों के प्रचलित अधिकतम खुदरा मूल्यों सहित सभी संगत कारकों पर विचार करने के पश्चात वार्शिक आधार पर राजसहायता की एक नियत दर (रूपये प्रति किलो आधार पर) की घोशणा करती है। एन, पी, के, एस पोशक तत्वों की प्रति किग्रा. राजसहायता दर को एनबीएस–नीति के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न राजसहायता प्राप्त पी एंड के उर्वरकों पर प्रति टन राजसहायता में परिवर्तित कर दिया जाता है।

2 वर्तमान में पीएंडके उर्वरकों के 25 ग्रेड नामतः डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट (मेसर्स फैक्ट और जीएसएफसी द्वारा उत्पादित), एसएसपी और एनपीकेएस मिश्रित उर्वरकों के 18 ग्रेड एनबीएस नीति के अन्तर्गत आते हैं।

3 इस नीति के अन्तर्गत, पी एंड के उर्वरकों की एमआरपी को मुक्त रखा गया है तथा उर्वरक विनिर्माताओं/विक्रेताओं को यथोचित दरों पर एमआरपी नियत करने की अनुमति दे दी गई है। वास्तव में,घरेलू मूल्य मांग और आपूर्ति तंत्र द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

4 इस नीति के अन्तर्गत द्वितीयक और सूक्ष्म पोशक तत्वों (सल्फर 'एस' को छोड़कर) के साथ राजसहायता प्राप्त पीएंडके उर्वरकों का कोई भी परिवर्तनीय प्रकार राजसहायता के लिए पात्र है जैसा कि एफसीओ के अन्तर्गत प्रावधान है। सूक्ष्म पोशक तत्वों नामतः बोरोन और जिंक के लिए अलग से अतिरिक्त राजसहायता दी जाती है। ऐसे उर्वरकों में मुख्य पोशक तत्वों के साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोशक तत्वों ('एस' को छोड़कर) के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अलग से प्रति टन राजसहायता दी जाती है।

5 सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में और कृशि व किसान कल्याण सहकारिता विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), व्यय विभाग (डीओई), योजना आयोग तथा कृशि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डीएआरई) के संयुक्त सचिव स्तर के प्रतिनिधियों के साथ एक अन्तर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। यह समिति सरकार (उर्वरक विभाग) द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए वित्तीय वर्श के आरम्भ होने से पूर्व 'एन' 'पी' 'के' और 'एस' के लिए प्रति पोशकतत्व राजसहायता की संस्तुति करती है। आईएमसी द्वितीयक ('एस' को छोड़कर) और सूक्ष्म पोशकतत्वों वाले पुश्ट

राजसहायता प्राप्त उर्वरकों पर प्रति टन अतिरिक्त राजसहायता की संस्तुति करती है। समिति विनिर्माताओं/ आयातकों के अनुप्रयोग के आधार पर और भारतीय कृशि अनुसंधान परिशद् (आईसीएआर) द्वारा उसकी आवश्यकता का मूल्यांकन करने पर सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए राजसहायता व्यवस्था में नए उर्वरकों को भी शामिल करने की संस्तुति करती है।

6 तैयार उर्वरकों के आयात, उर्वरक आदानों और स्वदेशी इकाइयों के उत्पादनों के साथ उर्वरकों के वितरण और संचलन की निगरानी ऑन–लाइन वेब आधारित ''उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस)'' के माध्यम से की जाती है जैसा कि पीएण्डके उर्वरकों के लिए रियायत स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा था।

7 भारत में उत्पादित/आयातित नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का 20 प्रतिशत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ईसीए) के अन्तर्गत संचलन नियंत्रण में रखा जाता है। उर्वरक विभाग कम पहुंच वाले क्षेत्रों में आपूर्ति को पूरा करने के लिए इन उर्वरकों के संचलन को विनियमित करता है।

8 एनबीएस के अतिरिक्त रेल, सड़क मार्ग और तटीय नौवहन/अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के संचलन और वितरण के लिए मालभाड़ा दिया जाता है ताकि देश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी उर्वरकों की व्यापक उपलब्धता बनी रहे।

9 मिश्रित उर्वरकों सहित राजसहायता प्राप्त सभी पीएंडके उर्वरकों का आयात मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन रखा गया है। एनबीएस अमोनियम सल्फेट को छोड़कर आयातित मिश्रित उर्वरकों के लिए भी उपलब्ध है। तथापि अमोनियम सल्फेट (एएस) के मामले में एनबीएस केवल मेसर्स फैक्ट के घरेलू उत्पादन पर ही लागू है।

10 यद्यपि यूरिया को छोड़कर राजसहायता प्राप्त उर्वरकों का बाजार मूल्य मांग और आपूर्ति की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होता है, फिर भी उर्वरक कम्पनियों से उर्वरक बोरी पर लागू राजसहायता सहित खुदरा मूल्य (आरपी) स्पश्ट रूप से मुद्रित करना अपेक्षित है। ईसी एक्ट के अधीन मुद्रित एमआरपी से अधिक पर की गयी कोई भी बिक्री एक दण्डनीय अपराध है।

11 नाफ्था आधारित कैप्टिव अमोनिया के प्रयोग से मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी विनिर्माताओं को 'एन' के उत्पादन की उच्च लागत की क्षतिपूर्ति के लिए अलग से अतिरिक्त राजसहायता भी दी जाती है जो अधिकतम दो वर्शों के लिए है जिसके दौरान इकाइयों को या तो गैस में परिवर्तन करना अपेक्षित होता है या फिर फीडस्टॉक के रूप में आयातित अमोनिया का प्रयोग करना होता है। अतिरिक्त राजसहायता की प्रमात्रा को व्यय विभाग के परामर्श से उर्वरक विभाग द्वारा प्रशुल्क आयोग के अध्ययन और संस्तुतियों के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

12 एनबीएस उर्वरक उद्योग के माध्यम से किसानों को दी जाती है। पीएंडके उर्वरकों के विनिर्माताओं/आयातकों को एनबीएस का भुगतान विभाग द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया जाता है।

6.5.6 <u>एनबीएस नीति के अन्तर्गत प्रति किलो और प्रति मीट्रिक टन राजसहायता दरें:</u>

अन्तर–मंत्रालयी समिति की संस्तुतियों के आधार पर, सरकार ने पोशकतत्वों नामतः 'एन', 'पी', 'के' व 'एस' के लिए एनबीएस की प्रति किलो दरों की वित्तीय वर्श 2010–2011 से 2020–21 के लिए निम्नवत घोशणा की है:–

वर्ष	एनबीएस दरें			
पोषक तत्व	'एन' (नाइट्रोजन)	'पी' (फास्फेट)	'के' (पोटाश)	'एस' (सल्फर)
1 अप्रैल –31 दिसम्बर 2010*	23.227	26.276	24.487	1.784
1 जनवरी –31 मार्च 2011**	23.227	25.624	23.987	1.784
2011-12	27.153	32.338	26.756	1.677
2012-13	24	21.804	24	1.677
2013-14	20.875	18.679	18.833	1.677
2014-15	20.875	18.679	15.5	1.677
2015-16	20.875	18.679	15.5	1.677
2016-17	15.854	13.241	15.47	2.044
2017-18	18.989	11.997	12.395	2.24
2018-19	18.901	15.216	11.124	2.722
2019-20@	18.901	15.216	11.124	3.562
2020-21	18.789	14.888	10.116	2.374
2021-22	18.789	45.323	10.116	2.374

रेक स्थल से खुदरा स्थलों तक द्वितीयक भाड़े के लिए 300 रूपए प्रति मी.टन सहित।

** द्वितीयक भाड़े के 300 रूपए प्रति मी.टन को छोड़कर।

@ वर्ष 2018–19 की एनबीएस दरें 01.04.2019 से वर्ष 2019–20 की एनबीएस दरों की अधिसूचना की तारीख तक जारी रही। वर्ष 2019–20 की एनबीएस दरें 07 अगस्त 2019 को अधिसूचित की गई थीं और ये 07.08.2019 से प्रभावी हुईं।

एनबीएस नीति के अन्तर्गत कवर किये गए पीएंडके उर्वरकों के विभिन्न ग्रेडों पर वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2020–21 के लिए प्रति मी.टन राजसहायता **अनुलग्नक–XX** में दी गई है।

6.5.7 संपुष्ट उर्वरकों के संबंध में राजसहायता

एनबीएस नीति के अनुसार सूक्ष्म पोशकतत्व नामतः बोरोन और जिंक वाले संपुश्ट उर्वरकों पर भी नियत राजसहायता दी जाती है। वर्श 2010–11 से 2020–21 के लिए राजसहायता की दरें इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	एफसीओ के अनुसार संपुष्टि के लिए पोशक तत्व	संपुष्ट उर्वरकों की प्रति मी.टन अतिरिक्त राजसहायता (रु .प्रति मी.टन में)
1.	बोरोन 'बी'	300
2.	जिंक 'जेडएन'	500

6.5.8 महंगे फीडस्टॉक के प्रयोग द्वारा उत्पादित मिश्रित उर्वरकों पर अतिरिक्त राजसहायता

एनबीएस नीति के अन्तर्गत नाफ्था/ईंधन तेल/एलएसएचएस को फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करके मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी विनिर्माताओं को 'एन' के उत्पादन की उच्च लागत की क्षतिपूर्ति के लिए 1.4.2010 से 31.3.2012 तक दो वर्शों के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। इस अवधि के दौरान कम्पनियों को अपने फीडस्टॉक को गैस में परिवर्तित करने अथवा आयातित अमोनिया का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इसके अनुसार एफएसीटी, एमएफएल और जीएनएफसी ने अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्राप्त की थी। 31.3.2012 के आगे सरकार ने 04.10.2013 तक केवल फैक्ट के लिए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति

अनुमोदित की थी। इन इकाइयों को मुहैया करायी गयी अतिरिक्त प्रतिपूर्ति की दरें निम्नवत हैं:

कम्पनी का नाम	उर्वरकों की श्रेणियां	अतिरिक्त क्षतिपूर्ति (अनंतिम) की दरें (रु./एमटी)
एफएसीटी (कोचीन)	20-20-0-13	3121
	20.6-0-0-13	3658
एमएफएल, मणलि	20-20-0-13	5434
	17-17-17-0	4640
जीएनएफसी, भरूच	20-20-0-0	2534

उपर्युक्त तदर्थ अतिरिक्त मुआवजा प्रशुल्क आयोग की अंतिम सिफारिश के अधीन अनंतिम आधार पर घोषित किया गया था। प्रशुल्क आयोग की अंतिम सिफारिश प्रस्तुत कर दी गई है। उल्लिखित उर्वरक कम्पनियों हेतु तदर्थ अतिरिक्त मुआवजा का अंतिम निर्धारण वर्तमान में विचाराधीन है।

6.5.9 माल–भाड़ा राजसहायता नीति

दिनांक 1.4.2010 से 31.12.2010 तक एनबीएस नीति के तहत राजसहायता प्राप्त पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के वितरण/संचलन के लिए भाड़ा राजसहायता रेल भाड़े तक सीमित थी जबकि द्वितीयक भाड़ा (रेक पॉइंट से जिलों तक) नियत राजसहायता का भाग माना जाता था। सीधे सड़क संचलन के संबंध में भाड़ा प्रतिपूर्ति वास्तविक दावों के अनुसार अदा की जाती थी बशर्ते यह अधिकतम 500 कि.मी. तक के रेल भाड़े के बराबर हो।

दिनांक 01.01.2011 से 31.3.2012 तक, सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के प्रारंभिक संचलन (संयंत्र या बन्दरगाह से रेल द्वारा विभिन्न रेक पॉइंटों तक) तथा द्वितीयक संचलन (नजदीकी रेक पॉइंटों से सड़क द्वारा जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों तक) के संबंध में भाड़े की प्रतिपूर्ति उस अवधि के दौरान यूरिया के लिए लागू एक समान भाड़ा राजसहायता नीति के अनुसार अदा की जाती थी। सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के सीधे सड़क संचलन के लिए (संयंत्र या बंदरगाह से ब्लॉक तक सड़क द्वारा) भाड़ा राजसहायता की वास्तविक दावों के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाती थी जो कि अधिकतम 500 कि.मी. के रेल भाड़े के बराबर थी। 1.4.2010 से 31.3.2012 तक सीधे सड़क संचलन के लिए भाड़े की प्रतिपूर्ति हेतु दरें निम्न प्रकार थीं :–

संचलन (किमी.)	दरें रु./मी.टन
Upto 100	108
101-200	183
201-300	256
301-400	327
401-500	400

दिनांक 01.04.2012 से पीएंडके उर्वरकों की मालभाड़ा राजसहायता इस प्रकार है:

(i) सभी पीएंडके उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) के प्रारम्भिक मालभाड़े की प्रतिपूर्ति रेलवे रसीद के अनुसार वास्तविक रेल भाड़े के आधार पर की जाती है।

(ii) सभी पी एंड के उर्वरकों (एसएसपी सहित) के द्वितीयक संचलन की कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाती।

(iii) सभी पी एंड के उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) की सीधे सड़क संचलन के लिए भाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति वास्तविक दावे के आधार पर की जाती है जो उर्वरक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी समान रेल मालभाड़ा के

अधीन है। तथापि, सीधे सड़क मार्ग से संचलन अधिकतम 500 कि.मी. तक ही अनुमत्य होगी।

(iv) सभी पी एंड के उर्वरकों (एसएसपी को छोड़कर) को दुर्गम क्षेत्रों नामतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, 7 पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए द्वितीयक संचलन के लिए विशेश क्षतिपूर्ति की जाती है।

(v) उर्वरक संचलन को तटीय जहाजरानी/अंतरदेशीय जलमार्ग माध्यम के साथ ही ऐसे सडक संचलन की अनुमति है जोकि गंतव्य जिला में रेक प्वाइंट तक तटीय संचलन/अंतरदेशीय जलमार्ग संचलन का अनुसरण करते हैं, जिससे वे प्राथमिक संचलन के तहत मालभाडा राजसहायता की प्रतिपूर्ति के पात्र हो जाते हैं।

6.5.10 <u>एनबीएस व्यवस्था के अन्तर्गत पी एंड के उर्वरकों के मूल्य (एम आर पी)</u>

1 देश तैयार उत्पादों या इसकी कच्ची सामग्रियों के लिए पोटाशयुक्त क्षेत्र में पूर्णतः और फास्फेटयुक्त क्षेत्र में 90 प्रतिशत की सीमा तक आयात पर निर्भर है। राजसहायता नियत होने के कारण अन्तर्राश्ट्रीय मूल्यों में किसी भी उतार–चढ़ाव से पीएंडके उर्वरकों के घरेलू मूल्य प्रभावित हो जाते हैं।

2 एनबीएस नीति के अन्तर्गत कम्पनियों को स्वयं एमआरपी नियत करने की अनुमति है। एनबीएस को लागू करने के पीछे उर्वरक कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की मंशा थी ताकि बाजार में विविध उत्पादों की उपलब्धता उचित मूल्यों पर हो सके। तथापि पीएंडके उर्वरकों के मूल्य काफी अधिक बढ़ गए हैं और कम्पनियों द्वारा नियत मूल्यों के औचित्य पर संदेह व्यक्त किए गए हैं। मूल्यों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी का कारण अन्तर्राश्ट्रीय बाजार में कच्चे माल/तैयार उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि, यूएस डॉलर की तुलना में रुपए का अवमूल्यन और कम्पनियों द्वारा लाभ का अधिक मार्जिन रखना भी है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में काफी हो–हल्ला मच गया है, परिणामस्वरूप उर्वरकों के प्रयोग में असंतुलन भी हो गया है। इसलिए पीएंडके कम्पनियों द्वारा नियत मूल्यों पर नियंत्रण के उद्देश्य से, सरकार ने अपनी 8.7.2011 की अधिसूचना द्वारा उर्वरक कम्पनियों को एनबीएस व्यवस्था के अन्तर्गत पी एंड के उर्वरकों के मूल्य यथोचित स्तर पर नियत करने का निदेश दिया। उर्वरक कम्पनियों द्वारा नियत मूल्यों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एनबीएस नीति और वर्श 2013–14 के लिए दरों की घोशणा करते समय 1.4.2012 से प्रभावी एनबीएस नीति में निम्नलिखित खण्ड जोड़े गए हैं:–

(i) सभी उर्वरक कम्पनियों के लिए अपने राजसहायता के दावों के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षानुसार प्रमाणित लागत आंकड़े प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ताकि उर्वरक कम्पनियों द्वारा पी एंड के उर्वरकों की एमआरपी की निगरानी की जा सके।

(ii) उन मामलों में जहां समीक्षोपरांत, एमआरपी की अतार्किकता साबित हो जाती है अथवा जहां उत्पादन की लागत अथवा अर्जन और बोरो पर मुद्रित एमआरपी के बीच परस्पर कोई संबंध स्थापित नहीं होता वहां राजसहायता सीमित की जा सकती है अथवा नकारी जा सकती है चाहे उत्पाद एनबीएस के अन्तर्गत राजसहायता का पात्र ही क्यों न हो। राजसहायता तंत्र के दुरुपयोग के साबित मामले में, उर्वरक विभाग, आईएमसी की सिफारिश पर, स्वयं किसी कम्पनी अथवा उर्वरक कम्पनी के उर्वरकों के किसी ग्रेड/ग्रेडों को एनबीएस स्कीम से हटा सकता है।

(iii) एमआरपी की तर्कसंगतता बारों पर मुद्रित एमआरपी के संदर्भ से निर्धारित की जायेगी।

6.5.11 उर्वरक विभाग ने दिनांक 15.11.2019 के अपने कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से पीएण्डके उर्वरक उत्पादों की अंतिम एमआरपी की तर्कसंगतता की जांच करने हेतु तर्कसंगतता दिशा–निर्देशो को अंतिम रूप दिया है। पीएण्डके उत्पाद की नियत उत्पादन लागत से अधिक और उपर का 12% लाभ अनुचित माना जाता है। एनबीएस स्कीम के तहत पंजीकृत पीएण्डके उर्वरकों की अंतिम उत्पाद लागत की गणना करने हेतु विभाग में एफआईसीसी के माध्यम से लागत डाटा के विश्लेशण की प्रक्रिया की जाती है।

पिछले वर्ष के दौरान पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता परिव्यय

(रु. करोड़ में)

वर्ष	पीएंडके उर्वरकों पर राजसहायता	पी एंड के उर्वरकों हेतु राजसहायता व्यवस्था
2005-06	6596.19	रियायत स्कीम
2006-07	10298.12	
2007-08	16933.80	
2008-09	65554.79	
2009-10	39452.06	
2010-11	41500.00	एनबीएस व्यवस्था
2011-12	36107.94	
2012-13	30576.10	
2013-14	29426.86	
2014-15	20667.30	
2015-16	21937.56	
2016-17	19000.01	
2017-18	22237.00	
2018-19	24080.35	
2019-20	26335.00	
2020-2021 (ब.अ.)	23475.00	

6.1 उर्वरकों की गुणवत्ता

1 भारत सरकार ने उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ईसीए) के अधीन एक अनिवार्य वस्तु घोशित किया है और इस अधिनियम के अन्तर्गत उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 (एफसीओ) अधिसूचित किया है। एफसीओ के प्रावधानों के अनुसार, केवल वही उर्वरक, जो आदेश में निर्धारित गुणता के मानकों को पूरा करते हैं, किसानों को विक्रय किये जायेंगे। राज्य सरकारों से एफसीओ के अन्तर्गत यथा निर्धारित उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने की अपेक्षा की जाती है ताकि उर्वरकों के

विनिर्माता/आयातक द्वारा उर्वरकों की गुणवत्ता आपूर्ति सुनिश्चित हो सके और यदि उर्वरक घटिया/अवमानक पाये जाते हैं तो उन्हें ईसी अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

- आयातित उर्वरकों की गुणवत्ता जांच भारत सरकार की उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा की जाती है। इसकी बिक्री तभी की जा सकती है जब इसकी गुणवत्ता एफसीओ विनिर्देशों के अनुसार पायी जाए।

2. गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन पर ईसीए 1955 के अन्तर्गत दण्ड प्रावधानों में अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन और सजा शामिल है और यदि सात वर्श तक की जेल की सजा हो जाती है तो प्राधिकार प्रमाणपत्र को निरस्त करने के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी। उर्वरक विभाग अवमानक उर्वरकों की बिक्री पर कोई राजसहायता नहीं देता और यदि इसका भुगतान कर दिया गया है तो दण्ड ब्याज के साथ इसकी वसूली की जाती है। यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उर्वरक विभाग उन सभी उर्वरकों का गुणता प्रमाणपत्र प्राप्त करता है जिन पर राजसहायता दी गई है।

3. उर्वरक विभाग ने एसएसपी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए हैं जो कि हमेशा से एक मुद्दा रहा है। कुछेक उपाय निम्नवत हैं:–

- एफसीओ के अन्तर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार एसएसपी विनिर्माण इकाइयों की तकनीकी क्षमता का पता लगाने के प्रयोजन से एसएसपी की तत्कालीन विद्यमान/नई इकाइयों का पीडीआईएल/एफईडीओ द्वारा प्रथम बार तकनीकी निरीक्षण करना।

- यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इकाइयां राजसहायता प्राप्ति का दावा करने के लिए राजसहायता स्कीम के नीतिगत दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यमान एसएसपी इकाइयों का पीडीआईएल/एफईडीओ द्वारा छमाही निरीक्षण करना।

- पीडीआईएल/एफईडीओ से सिफारिश प्राप्त कर लेने के पश्चात एफसीओ के अनुसार रियायत स्कीम के अन्तर्गत एसएसपी विनिर्माण के लिए उपयुक्त विभिन्न स्त्रोतों/देशों के रॉक फास्फेट की विभिन्न श्रेणियों की सिफारिश और अधिसूचना। एसएसपी इकाइयों को केवल अधिसूचित रॉक फास्फेट के उपयोग की अनुमति है।

- सरकार एसएसपी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कुछेक मामलों में पीडीआईएल/एफईडीओ के माध्यम से आयातित रॉक–फास्फेट की गुणवत्ता की जांच भी करती है।

- विभाग पीडीआईएल और एफईडीओ के माध्यम से एसएसपी इकाइयों का आवधिक निरीक्षण करता है।

अध्याय–7

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

<u>सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम</u>

7.1 दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी)

1. संगठन का संक्षिप्त अवलोकन

दि फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (एफ ए सी टी) जो वर्ष 1943 में निगमित किया गया, जो भारत के सर्वप्रथम बडे पैमाने के उर्वरक कंपनियों में एक है। केरल के उद्योगमंडल स्थित एफ ए सी टी ने 1947 में उत्पादन शुरू किया। प्रारंभ में शेषसाई ब्रदर्स द्वारा समर्थित वैयक्तिक क्षेत्र का था, जो वर्ष 1960 में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बन गया और 1962 के अंत तक भारत सरकार एफ ए सी टी का मुख्य शेयरधारी बन गया।

दूसरा उर्वरक एकक बी पी सी एल–कोची रिफाइनरीस के निकट अंबलमेडु में दो चरणों में स्थापित किया गया (अंबलमेडु उद्योगमंडल से लगभग 30 कि मी दूर है) चरण–I अमोनिया–यूरिया कॉम्प्लेक्स 1973 में शुरू किया गया और चरण–II, जिसमें 1976–1978 के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड, फोसफोरिक एसिड और सम्मिश्र उर्वरक संयंत्र शामिल है जिसे वर्ष 1976–78 के दौरान शुरू किया गया। उक्त एकक को कोचीन संभाग का नाम दिया गया है।

एफ ए सी टी का 1990–91 के दौरान केप्रोलेक्टम के उत्पादन के लिए उद्योगमंडल में पेट्रोकेमिकल संभाग के शुरूआत के साथ और विकास हुआ और एफ ए सी टी ने उस समय पेट्रोकेमिकल उद्योग में विविधता का उदय देखा।

1960 में रसायन और उर्वरक संयंत्रों के रूपांकन (डिजाइन) और निर्माण की देशी क्षमता के विकास की आवश्यकता को समझकर एफ ए सी टी ने फेडो के नाम पर एक अभियांत्रिकी और परामर्शी स्कंध की स्थापना (फेक्ट इंजीनियरिंग एण्ड डिज़ाइन ऑर्गनाइज़ेशन) की। 1966 में एक विरचना (प्रेवीकेशन) संभाग एफ ई डब्ल्यू (फेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स) की भी स्थापना की गई।

कंपनी ने 9 साल के अंतराल के बाद सितंबर 2021 को केप्रोलेक्टम संयंत्र का पुनःप्रचालन शुरू किया। केप्रोलेक्टम संयंत्र के पुनःप्रचालन से आयात के लिए प्रतिस्थापन होगा और सरकार की "आत्मनिर्भर भारत अभियान" नीति मजबूत होगी। कंपनी ने 30 नवंबर तक कुल 7720 एमटी केप्रोलेक्टम का उत्पादन किया है। केप्रोलेक्टम उत्पादन का पुनःप्रचालन शुरू करने से कंपनी के कारोबार और वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा।

1.1 एफ ए सी टी के मुख्य उत्पाद

उत्पाद	संस्थापित क्षमता
1. फेक्टमफोस (एन पी 20:20)	6,33,500 मी टन प्रति वर्ष
2. अमोनियम सल्फेट	2,25,000 मी टन प्रति वर्ष
3. केप्रोलेक्टम	50,000 मी टन प्रति वर्ष

2 लक्ष्य / उद्देश्य

एफ ए सी टी का उद्देश्य उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स और अन्य कारोबारों जैसे अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है।

3. औद्योगिक और व्यावसायिक प्रचालन (पिछले वर्ष और चालू वर्ष के अनुमान)

3.1 प्रत्यक्ष निष्पादन (क्षमता के प्रति)

उत्पादन	संस्थापित क्षमता (मी टन प्रति वर्ष)	2020-2021 (गत वर्ष)		2021-22 (चालू वर्ष)		
		उत्पादन (मी टन)	क्षमता उपयोग (%)	2021 नवंबर तक उत्पादन (मी टन)	2021-22 के लिए अनुमानित उत्पादन (मी टन)	अनुमानित क्षमता उपयोग (%)
फेक्टमफोस (एन पी 20:20:0:13)	6,33,500	8,61,455	136 %	5,13,521	8,00,000	126%
अमोनियम सल्फेट	2,25,000	2,45,676	109%	70,755	1,50,000	66%
केप्रोलेक्टम	50000	अक्तूबर 2012 से संयंत्र बंद कर दिया गया। सितंबर '21' के दौरान पुनः प्रारंभ किया गया		7,720	25,000	100% (छह महीने के लिए यथानुपात)

3.2 उत्पादन में मुख्य विचलन के कारण यदि है:

वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी सर्वकालीन उच्च उत्पादन और बिक्री निष्पादन हासिल कर सकती है। प्रमुख कच्चे माल की सीमित उपलब्धता और उच्च कीमतों ने 2021–22 की पहली छमाही का उत्पादन को प्रभावित किया।

3.3 विपणन

वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी का विपणन निष्पादन नीचे दिया गया है:

विपणन	2020-21 के दौरान बिक्री	नवंबर 2021 तक बिक्री	2021-22 के लिए बिक्री अनुमान
उत्पाद			
फेक्टमफोस	923040	504361	800000
अमोनियम सल्फेट	251448	80838	150000
व्यापारित उत्पाद			
एम ओ पी (आयातित)	132036	29088	29088
एन पी के 16:16:16 (आयातित)	27964	0	0
ऑर्गेनिक	13238	8576	15000
ऑर्गेनिक प्लस	2717	1693	2500

वर्ष **2021–22** के दौरान, अनुपलब्धता और उच्च लागत को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने उर्वरकों का आयात नहीं किया है। तथापि, एफ ए सी टी वैश्विक उर्वरक बाजार को देख रहा है और स्थिति में सुधार होने पर उर्वरकों का आयात करना चाहता है।

3.4 वित्तीय निष्पादन (रुपए करोड में)

वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान, एफ ए सी टी ने अपने इतिहास में सबसे अधिक प्रचालन लाभ हासिल किया।

	2020-21 वर्ष के लिए	अप्रैल-नवंबर 2021 की अवधि के लिए	2021-22 के लिए अनुमान
कारोबार (रुपए करोड)	3259	2286	4003
कर पूर्व लाभ (रुपए करोड)	352	95	147
कर के बाद लाभ (रुपए करोड)	352	95	147

4.1 नए निवेश / परियोजनाएँ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी के सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार को भूमि की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करते हुए 608 करोड़ रुपए की कैपेक्स योजनाओं का अनुमोदन दिया है। कंपनी एक नया 1650 टी पी डी उत्पादन क्षमतावाला एन पी संयंत्र स्थापित कर रही है, जिसमें संबद्ध संभार तंत्र (लॉजिस्टिक्स) और कच्चे माल की परिवहन सुविधाओं के साथ–साथ संयंत्रों के सुचारू प्रचालन और कंपनी के प्रत्यक्ष प्रचालन को बाधित करने को कम करने के लिए अन्य आवश्यक पूंजी कार्य हैं। कैपेक्स परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

कैपेक्स परियोजनाओं के कार्यान्वयन से कंपनी का उर्वरक उत्पादन 10 लाख मी टन से बढ़कर 15 लाख मी टन हो सकता है और आगामी वर्षों में निरंतर प्रचालन लाभ के साथ वर्ष 2024–25 तक कारोबार ₹3200 करोड़ से बढ़कर ₹7000 करोड़ तक बढ जाएगा।

4.2 रुग्ण / कमजोर एकक स्थिति / कार्य योजना का पुनरुद्धार

कंपनी ने बकाया राशि के निपटान और उत्पादन एवं बंदरगाह सुविधाओं को मजबूत करने के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसरण करते हुए, एफ ए सी टी ने कोचीन संभाग की अपनी 481.79 एकड़ भूमि केरल सरकार / किन्फ्रा को बिक्री की है और बिक्री का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार प्राप्त प्रतिफल मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार सतत विकास के लिए क्षमता विस्तार परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

भूमि की बिक्री ने निवल सम्मति को बेहतर बनाने और संचित हानि को कम करने में मदद की। हालांकि, संचित हानि को खत्म करने और सकारात्मक निवल मूल्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऋण और ब्याज दरों पर ब्याज के बोझ को कम करने के लिए एक वित्तीय पुनर्गठन की आवश्यकता है। कम्पनी का संशोधित वित्तीय पुनर्गठन प्रस्ताव उर्वरक विभाग में विचाराधीन है। विस्तार और

आधुनिकीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ, पुनरुद्धार प्रस्ताव कंपनी को ₹14 लाख मी टन में बढ़े हुए उर्वरक उत्पादन क्षमता और ₹ 7000 करोड़ के कारोबार में बदल देगा।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 मानव शक्ति

दिनांक 01.12.2021 को नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या 1719 है। वर्ष 2021–2022 के दौरान, कंपनी ने अब तक कुल 46 प्रबंधकीय कर्मचारियों की भर्ती की है, जिसमें 45 प्रबंधन प्रशिक्षुओं, एक लेयर1 अधिकारी और 62 अप्रबंधकीय कर्मचारी (समेकित वेतन पर) नियुक्ति की हैं।

5.2 शिकायत निवारण प्रक्रिया

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रक्रिया का उद्देश्य शिकायतों के निवारण के लिए आसानी से सुलभ प्रणाली प्रदान करना और उचित उपाय अपनाना है जो सभी कर्मचारियों की शिकायतों का शीघ्र निवारण सुनिश्चित करेगा ताकि प्रणाली में कर्मचारियों का भरोसा बढ़े और परिणामस्वरूप संगठन की उत्पादकता एवं क्षमता मे सुधार हो।

5.3. अल्पसंख्यकों का कल्याण

निगम स्तर पर एक अ ज/अ ज जा शिकायत कक्ष कार्यरत है जिसमें अध्यक्ष, जो मुख्य संपर्क अधिकारी भी हैं, कंपनी के विभिन्न संभागों के संपर्क अधिकारी और अ ज/अ ज जा से संबंधित दो अधिकारी शामिल हैं। कक्ष अ ज/अ ज जा के आरक्षण और कंपनी में अ ज/अ ज जा के कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित मामलों को देखता है। अ ज/अ ज जा के संपर्क अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के संपर्क अधिकारी भी है। कंपनी के पास ओ बी सी के लिए भी एक संपर्क अधिकारी है।

5.4 प्रशिक्षण एवं विकास

कंपनी अपने कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण के साथ–साथ बाहरी प्रशिक्षण भी प्रदान करती है

वर्ष 2020–21 और दिसंबर, 2021 तक कंपनी द्वारा प्रदान किए गए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षणों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

आंतरिक प्रशिक्षण के ब्यौरे

वर्ष	2021-22 (अप्रैल-दिसंबर)	2020-21
आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या	74	61
कुल सहभागी	1953	1071

वर्ष	2021-22 (अप्रैल-दिसंबर)	2020-21
आयोजित कार्यक्रमों की कुल संख्या	26	47
प्रशिक्षित अधिकारियों की कुल संख्या	56	109

6.0 सी एस आर और लगातार विकास

कंपनी ने इस अवधि के दौरान विभिन्न सामाजिक दायित्व उपायों को प्राथमिकता देना जारी रखा। एफ ए सी टी अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट प्रदान करके, पी एम केयर्स फंड में योगदान देकर, स्थानीय निवासियों को सामग्रियों की आपूर्ति, स्वच्छता अभियान आदि द्वारा कोविड के खिलाफ की लड़ाई में राष्ट्र के साथ खड़ा था। पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न विषयों के अंतर्गत एफ ए सी टी का सी एस आर व्यय नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	विषय	सी एस आर व्यय (रुपए लाखों में)	कुल सी एस आर व्यय (रुपए लाखों में)
2019-20	स्कूली शिक्षा	2.4	2.4
2020-21	कोविड सहायता	5.73	12.12
	पीएम केयर्स फंड	6.39	
2021-22 (नवंबर 2021 तक)	ऑक्सीजन संयंत्र (यूपी के लिए 1 और केरल के लिए 2)	85.34	103.23
	छात्रों को टैबलेट कंप्यूटर	9.4	
	कीटनाशक जाल की आपूर्ति	4.98	
	कोविड सहायता	3.51	

एफ ए सी टी की अन्य सी एस आर गतिविधियों में उद्योगमंडल के आस–पास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, जहां संयंत्र स्थित हैं, किसानों को मिट्टी परीक्षण सेवाएं आदि शामिल हैं।

7 संगठन के निष्पादन को सुधारने के लिए अगुवाई

कंपनी के निष्पादन में सुधारने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई शुरू की है:

i. **अधिकतम उत्पादन क्षमता:** – अमोनिया संयंत्र के बिना बाधा के प्रचालन के लिए एफ ए सी टी ने वर्ष भर आर एल एन जी की आपूर्ति की व्यवस्था की है। इससे कंपनी उर्वरक उत्पादन को अधिकतम करने में सक्षम है।

ii. **कैप्रोलैक्टम संयंत्र का पुनःप्रचालनः–** कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अपने केप्रोलेक्टम प्रचालन को फिर से शुरू किया। संयंत्र स्थिरता प्राप्त कर रहे हैं। पूर्ण भार प्रचालन पर यह एक वर्ष के लिए उच्च स्तर पर 800–900 करोड़ रुपए का सुधार करेगा।

iii. **उर्वरकों का आयातः–** कंपनी ने 2020–21 वर्ष के दौरान लगभग 1.9 लाख मी ट उर्वरकों का आयात और विपणन किया है, ताकि समग्र निष्पादन में सुधार किया जा सके और किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। बढ़ती कीमतों और सीमित उपलब्धता को देखते हुए कंपनी वर्ष 2021–22 के लिए व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कम योजना बना रही है।

iv. **अखिल भारत (पैन इंडिया) प्रचालनः–** कंपनी ने उत्तर–भारत स्थित राज्यों में विपणन नेटवर्क विस्तार करते हुए पूरे भारत में (पैन इंडिया) को उर्वरक विपणन प्रचालन का विस्तार किया है।

v. **रासायनिक व्यापारः–** : कंपनी ने अमोनिया और सल्फूरिक एसिड जैसे रसायनों का विपणन शुरू किया है। साथ ही केप्रोलेक्टम के प्रचालन को फिर से शुरू करने के क्रम में सोडा ऐश और नाइट्रिक एसिड का विपणन भी शुरू किया।

vi. एफ ए सी टी आवश्यक कच्चे माल की हैंडलिंग और भंडारण सुविधाओं के साथ एक नया 1650 टी पी डी कॉम्प्लेक्स एन पी संयंत्र स्थापित कर रहा है। इससे कंपनी 2024–25 तक अपने उर्वरक उत्पादन को 10 लाख मी टन से बढ़ाकर 15 लाख मी टन कर सकेगी।

माननीय राज्य मंत्री कैप्रोलेक्टम ऑपरेशन को पुनःआरम्भ करने का उद्घाटन करते हुए

FLAGGING OFF CAPROLACTAM CO

एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड (फेगमिल)

1. सिंहावलोकन

एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड का निगमन दिंनाक 14.02. 2003 को फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआईएनल) के भारतीय उर्वरक निगम के जोधपुर खनन संस्थान (जेएमओ) के अविलयन के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 50.00 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी रु. 50.00 करोड़ है।

2. विजन / मिशन

2.1 विजन

भूमि सुधार एवं मृदा में गंधकीय पोषकतत्वों द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि हेतु जिप्सम सहित कार्यनीतिक खनिजों के खनन में अग्रणी बनना तथा सीमेन्ट उद्योग तथा उर्वरकों के विभिन्न किस्मों के उत्पादन के लिए आरओएफ जिप्सम की आपूर्ति के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास करना।

2.2 मिशन

कम्पनी का लक्ष्य भारत में अथवा संसार के किसी भी भाग में जिप्सम तथा अन्य खनिजों एवं उसके उत्पादों तथा उर्वरकों के विभिन्न किस्मों का विनिर्माण एवं कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायनिक कम्पाउण्ड कम्पाएण्ड ण्ड सहित उप–उत्पादों के संबंध में उनके यौगिक और मिश्रण सहित सभी प्रकार के व्यापार स्थापित करना एवं बढ़ाना।

3. औद्योगिक / व्यापार प्रचालन :–

3.1 वास्तविक प्रदर्शन

(रू करोड़ में)

उत्पादन	क्षमता (मी. टन / प्रति वर्ष)	2020 - 21 पिछला वर्ष		2021-22 वर्तमान वर्ष		
		उत्पादन (मी. टन)	क्षमता उपयोग (प्रतिशत)	उत्पादन नवम्बर 2021 तक उत्पादन (मी. टन)	2021 - 22 के लिए अनुमानित (मी. टन)	अनुमानित क्षमता उपयोग %
जिप्सम	1106000	504871	45.65	269524	435800	39.40

प्रदर्शन में प्रमुख अंतर का कारण यदि कोई है – शून्य

विपणन	बिक्री 2020 – 21		नवम्बर 2021 तक बिक्री		बिक्री अनुमान 2021 – 22	
	मात्रा (मी. टन)	राशि (रू करोड़)	मात्रा (मी. टन)	राशि (रू करोड़)	(मी. टन)	राशि (रू करोड़)
जिप्सम	505340	37.81	260458	22.99	435800	38.06

प्रदर्शन में प्रमुख विचलन का कारण यदि कोई है – शून्य

3.2 वित्तीय प्रदर्शन

	वर्ष 2020-21	अप्रैल – नवम्बर 2021	अनुमानित 2021-22
कारोबार (रू करोड़)	37.81	22.99	38.06
कर से पूर्व लाभ (रू करोड़)	18.22	10.16	15.65
कर पश्चात् लाभ (रू करोड़)	13.48	7.61	11.71

4.1 नए निवेश / परियोजनाएँ :–

कम्पनी ने नए निवेशों को लेकर निम्न कदम लिए है :

(1) रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट आदि महत्वपूर्ण खनिजों के कारोबार में प्रवेश के लिए फेगमिल द्वारा क्रमशः पूर्वेक्षण पट्टे व खनन पट्टों के लिए आवेदन किया गया है

4.2 रुग्ण/कमजोर इकाइयों का पुनरुद्धार – स्थिति कार्य योजना

लागू नहीं।

5. मानव संसाधन प्रबन्ध

5.1 कर्मचारी 31.03.2021 तक

सम्बंधित कर्मचारी की संख्या						
समूह	**कुल कर्मचारी**	**अनुसूचित जाति**	**अनुसूचित जनजाति**	**पूर्व सैनिक**	**दिव्यांग**	**अन्य पिछड़ा वर्ग**
अ	21	03	-	-	-	06
ब	08	01	-	-	-	01
स	08	-	-	-	-	02
द	01	-	-	-	-	-
कुल	**38**	**04**	**-**	**-**	**-**	**09**

5.2 जनता की शिकायत का निवारण

शिकायत प्रकोष्ठ लोक शिकायत और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु कार्य कर रहा है स वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं हैं।

(i) लोक शिकायत के लिए :–

प्रधान कार्यालय जोधपुर में शिकायत प्राप्त होती है , जिसका निवारण शिकायत प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है, वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं है ।

(ii) कर्मचारी की शिकायत के लिए :–

(अ) विभिन्न खानों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को अपनी शिकायत संबंधित क्षेत्र प्रबंधक के माध्यम से महाप्रबंधक को प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।

(ब) मुख्य कार्यालय, जोधपुर में कार्य कर रहे कर्मचारी की शिकायत संबधित अनुभाग प्रमुखों के माध्यम महाप्रबंधक को प्रस्तुत की जाती है, वर्तमान में कोई शिकायत लंबित नहीं हैं ।

5.3 कल्याणकारी योजनाएं:

कम्पनी महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण की दिशा में उचित ध्यान देती है ।

(i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण:

कंपनी समाज के कल्याण तथा कर्मचारियों के लिए विभिन्न सामाजिक योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है , जिसके अन्तर्गत कंपनी कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृति, ट्यूशन शुल्क (02 बच्चे) साथ ही बच्चों के अध्ययन की सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति भी करती है ।

(ii) दिव्यांगों का कल्याण

अभी कम्पनी में कोई भी दिव्यांग कर्मचारी नहीं है । हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार,दिव्यागों के कंपनी में नियुक्ति के लिए पद आरक्षित किया गया है ।

5.4 प्रशिक्षण

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठयक्रम में भाग लेने वाले कर्मचारी की संख्या	स्थान	अवधि (दिन में)
1.	सामानों का सार्वजनकि प्रापण- इनसाइट जेम एवं ई प्रोक्यूरमिट	1	एनपीसी, जयपुर	2
2.	अ.जा/अ.ज.ज/अन्य पिछड़ा वर्ग के के लिए आरक्षण	1	एनपीसी, जयपुर	3

(अ) मेक इन इण्डिया / स्टार्ट अप इण्डिया / स्किल इण्डिया के अंतर्गत प्रशिक्षण की सुविधा–

वर्ष के दौरान प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत 05 प्रशिक्षु नियुक्त किये गये।

(ब) एमएसएमई विक्रेताओ से खरीद

वर्ष 2020–21 के दौरान रु.0.13 करोड़ का क्रय एमएसएमई विक्रेताओं से किया गया।

6. निगमित सामाजिक दायित्व और सतत् विकास

समाज का एक अंग होने के कारण कम्पनी खदानों के आसपास स्थित गांवों में स्वयं सहायता समूह द्वारा शिक्षा, प्रशिक्षण, रहन सहन की स्थिति में सुधार के लिए सामाजिक आर्थिक एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम सचालित करती है। इसके लिए कम्पनी ने एक सी.एस.आर योजना तैयार की है जिसमें प्रतिवर्ष पिछले तीन वर्षों के लाभ के औसत का कम से कम 2% हिस्सा खर्च किया जाता है । वर्ष 2020–21 मे रु. 61.89 लाख के लक्ष्य के प्रति में रु.62.14 लाख, (पिछले वर्ष रु.114.48 लाख) शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, पीने का पानी व पी एम केयर्स फण्ड आदि पर व्यय किए गये ।

7. संगठन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पहलः

अन्य खनिजों में के क्षेत्र में प्रवेश करनाः

फेगमिल उर्वरक विभाग के समर्थन से, खान मंत्रालय से 19 दिसम्बर, 2018 को रोक फॉस्फेट के दो (02) ब्लॉक और डोलोमाइट का एक ब्लॉक प्राप्त किया है । रोक फॉस्फेट के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस हेतु क्रमशः 05/07/2019 एवं 14/10/2019 को आवेदन तथा डोलोमाइट के लिए खनन पट्टे हेतु दिनांक 04/07/2019 को आवेदन कर दिया गया था । प्रस्ताव वर्तमान में राजस्थान सरकार के पास विचाराधीन है ।

स्वच्छता पखवाडा मनाया

मास्क और सैनिटाइजर का वितरण

7.3 फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल)

1 संगठन का संक्षिप्त विहंगावलोकन

फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सिंदरी (झारखंड), तलचर (ओडिशा), रामागुंडम (तेलंगाना), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) एवं कोरबा (छत्तीसगढ़) में पांच इकाइयां हैं। पुरानी उर्वरक प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा की अधिक खपत और ऊर्जा की गुणता एवं मात्रा में कमी के कारण कंपनी घाटे में चल रही थी तथा इससे इसकी निवल संपत्ति का ह्रास हुआ।

इकाइयों के प्रचालनों का बंद होना

भारत सरकार (जीओआई) ने सितंबर, 2002 में एफसीआईएल के प्रचालनों को बंद करने और उसके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) के तहत कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया। इन इकाइयों के पास पर्याप्त भूमि, रिहायशी क्वार्टरर्स और कार्यालय भवन, रेलवे साइडिंग, विद्युत और जल के संबंधित स्रोत्र जैसी बड़ी ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

एफसीआईएल की बंद पड़ी उर्वरक इकाइयों का पुनरुद्धार

एफसीआईएल के पूर्ण–विकसित ढांचों और उर्वरक की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 2008 में एफसीआईएल औरर एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार के सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया।

ईसीओएस की सिफारिशों पर सीसीईए ने 04/08/2011 को गोरखपुर और कोरबा इकाइयों का 'बोली माध्यम' से और रामगुंडम, तलचर एवं सिंदरी इकाइयों का पीएसयू द्वारा 'नामांकन आधार ' पर भू–उपयोग और अवसंरचना के बदले में एफसीआईएल को न्यूनतम 11% इक्विटी प्रदान करते हुए पुनरुद्धार हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

इकाइयों का शीघ्र पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए सीसीईए ने एफसीआईएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए भारत सरकार के ऋण और ब्याज की माफी हेतु 09/05/2013 को अनुमोदन प्रदान किया। तत्पश्चात बीआईएफआर ने 27/06/2013 को एफसीआईएल को अपने कार्यक्षेत्र से विपंजीकृत कर दिया। वर्तमान में एफसीआईएल की नामावली में 02 कर्मचारी हैं।

कंपनी की बंद इकाइयों के पुनरूद्धार संबंधी कार्य की प्रगति

रामागुंडम इकाई

12.7 लाख एमटी प्रतिवर्ष की क्षमता के गैस आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने हेतु नामित पीएसयू नामतः ईआईएल (26% साम्या), एनएफएल (26% साम्या) तथा एफसीआईएल (11% साम्या) द्वारा एक संयुक्त उद्यम कंपनी, नामतः रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को निगमित किया गया है। संयंत्र को 22.3.2021 को शुरू कर दिया गया है।

तलचर इकाई

कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) नामतः आरसीएफ, सीआईएल, गेल और एफसीआईएल द्वारा तलचर इकाई (ओडिशा) के पुनरुद्धार के लिए परियोजना–पूर्व गतिविधियां प्रगति पर हैं। एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामतः तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) को निगमित किया गया। संयंत्र की स्थापना हेतु शेल कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का चयन किया गया है। गैसीकरण संयंत्र, अमोनिया–यूरिया संयंत्र और ऑफ–साइट की स्थापना हेतु एलएसटीके निविदाएं जारी की

गई। एफसीआईएल और टीएफएल के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले रियायत करार को सचिवों की अधिकारप्राप्त समिति (ईसीओएस) ने अनुमोदन प्रदान किया।

सिंदरी तथा गोरखपुर इकाइयां

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को नामित पीएसयू नामतः एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से एफसीआईएल की बरौनी इकाई के साथ ही सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के पुनरुद्धार का निर्णय लिया। एफसीआईएल और एचएफसीएल भी संयुक्त उद्यम के भागीदार होंगे जोकि भूमि उपयोग के बदले प्रत्येक परियोजना में 11% की साम्या प्राप्त करेंगे। पुनरुद्धार प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल ने एक अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का भी गठन किया है। इकाइयों के पुनरुद्धार के उद्देश्य हेतु 'हिदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)' नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गयी है। एचयूआरएल द्वारा सभी परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। सिंदरी और गोरखपुर परियोजनाओं हेतु एफसीआईएल और एचयूआरएल के बीच रियायत करार के साथ–साथ पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एफसीआईएल, एचयूआरएल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों हेतु प्रतिस्थापन करार पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। गोरखपुर परियोजना को दिनांक 7.12.2021 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एचयूआरएल– गोरखपुर यूरिया संयंत्र का उद्घाटन

उद्घाटन के दौरान प्रधान मंत्री का एचयूआरएल – गोरखपुर यूरिया संयंत्र का दौरा

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एचयूआरएल– गोरखपुर यूरिया संयंत्र का उद्घाटन

उद्घाटन के दौरान प्रधान मंत्री का एचयूआरएल – गोरखपुर यूरिया संयंत्र का दौरा

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एचयूआरएल– गोरखपुर यूरिया संयंत्र का उद्घाटन

2 विज़न / मिशन

एफसीआईएल की बंद चार इकाइयों नामतः सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम और तलचर प्रत्येक में यूरिया की 12.7 लाख एमटीपीए क्षमता की स्थापना द्वारा देश में घरेलू यूरिया की उपलब्धता में आत्मिनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एफसीआईएल की सभी बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार किया जाना।

3 औद्योगिक / व्यावसायिक प्रचालन (गत वर्ष और चालू वर्ष के अनुमान)

3.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

	वर्ष 2020–21 के लिए	अप्रैल–दिसम्बर, 2021 की अवधि के लिए (अनुमानित)	2021–22 के लिए अनुमान (अनुमानित)
कारोबार (करोड़ रु)	52.14	23.38	31.18
कर पूर्व लाभ (करोड़ रु)	61.46*	1.84	2.46
कर पश्चात लाभ (करोड़ रु)	51.05*	2.00	1.85

*आरएफसीएल से 44.90 करोड़ रुपये का शेयर प्राप्त किया गया।

4 कार्य निष्पादन विशेषताएं

4.1 गत वर्ष एवं चालू वर्षः शून्य (एफसीआईएल की सभी इकाइयों का नामित पीएसयू द्वारा पुनरुद्धार किया जा रहा है)।

4.2 **नई निवेश/परियोजनाएं:** इकाइयों की भूमि और अवसंरचना को नामित पीएसयू के संयुक्त उद्यम द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रखा गया है जो उनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही अवसंरचना एवं भूमि के बदले एफसीआईएल को 11% इक्विटी प्रदान करेंगे।

4.3 **रूग्ण/कमजोर इकाइयों की पुनरुद्धार–स्थिति/कार्ययोजना:** पुनरुद्धार ब्यौरे ऊपर पैरा 1 के अंतर्गत दिए गए हैं।

5 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 **जनशक्ति** – 01.12.2021 की स्थिति के अनुसार मात्र 2 कर्मचारी नामावली में हैं।

5.2 **शिकायत निवारण** – चूंकि कारपोरेशन की नामावली में मात्र 2 कर्मचारी ही हैं इसलिए कोई शिकायत निवारण समिति नहीं है।

5.3 **अल्पसंख्यकों का कल्याण** – चूंकि कारपोरेशन की नामावली में मात्र 2 कर्मचारी ही हैं इसलिए कोई अल्पसंख्यक कल्याण समिति नहीं है।

5.4 **प्रशिक्षण** – चूंकि कारपोरेशन की नामावली में मात्र 2 कर्मचारी ही हैं इसलिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया गया है।

6 सीएसआर एवं सतत विकास

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के मामले में कंपनी ने वर्ष 2020–21 में सीएसआर कार्यकलापों के लिए प्रधान मंत्री राहत कोष में 11.16 लाख रू. जमा किए हैं।

7 संगठन के कार्यनिष्पादन में सुधार की पहल

एफसीआईएल की सभी इकाइयों का नामित पीएसयू के संयुक्त उद्यम द्वारा पुनरुद्धार किया जा रहा है।

7.4 हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)

1 संगठन का संक्षिप्त विहंगावलोकन

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की बरौनी (बिहार), दुर्गापुर और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में तीन इकाइयां हैं। पुरानी उर्वरक प्रौद्योगिकियों, उच्च ऊर्जा खपत, बिजली की गुणता एवं मात्रा की कमी के कारण कंपनी घाटे में चल रही थी तथा इसका निवल मूल्य कम हो रहा था।

इकाइयों का प्रचालन बंद होना

भारत सरकार (जीओआई) ने सितंबर, 2002 में एचएफसीएल के उर्वरक संयंत्रों के प्रचालनों को बंद करने और उसके सभी कर्मचारियों को स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम (वीएसएस) के तहत कार्यमुक्त करने का निर्णय लिया। इन इकाइयों के पास पर्याप्त भूमि बैंक, रिहायशी क्वार्टरर्स और कार्यालय भवन, रेलवे साइडिंग, विद्युत और जल के संबंधित स्रोत्र जैसी बड़ी ढाचागत सुविधाएं उपलब्ध है।

एचएफसीएल की बंद पड़ी इकाइयों का पुनरुद्धार

एचएफसीएल के पास उपलब्ध पूर्ण–विकसित अवसंरचना और उर्वरक की मांग पर विचार करते हुए भारत सरकार ने अक्टूबर, 2008 में एचएफसीएल की बंद पड़ी इकइायों के पुनरुद्धार के सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया।

ईसीओएस की सिफारिशों पर सीसीईए ने 04/08/2011 को बरौनी, दुर्गापुर इकाई तथा हल्दिया डिविजन का बोली माध्यम से पुनरुद्धार करने का अनुमोदन दिया।

इकाइयों का शीघ्र पुनरुद्धार सुनिश्चित करने के लिए सीसीईए ने एचएफसीएल के निवल मूल्य को सकारात्मक बनाने के लिए भारत सरकार के ऋण और ब्याज की माफी हेतु 25/05/2016 को अनुमोदन प्रदान किया। तत्पश्चात बीआईएफआर ने एचएफसीएल को अपने कार्य क्षेत्र से 12/07/2016 को विपंजीकृत कर दिया। वर्तमान में एचएफसीएल की नामावली पर 01 (एक) कर्मचारी है।

<u>कंपनी की बंद पड़ी इकाइयों के पुनरुद्धार की प्रगति</u>

बरौनी इकाई

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13.7.2016 को नामित पीएसयू नामतः एनटीपीसी, सीआईएल और आईओसीएल के संयुक्त उद्यम के माध्यम से एफसीआईएल की सिंदरी और गोरखपुर इकाइयों के साथ ही बरौनी इकाई के पुनरुद्धार का निर्णय लिया। एचएफसीएल और एफसीआईएल भी संयुक्त उद्यम के भागीदार होंगे जोकि भूमि प्रयोग तथा उपलब्ध अन्य अवसंरचना के बदले प्रत्येक परियोजना में 11% की साम्या प्राप्त करेंगे। पुनरुद्धार प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्रिमंडल ने एक अंतर मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया। पुनरुद्धार के उद्देश्य हेतु हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई। बरौनी परियोजना हेतु एचएफसीएल और एचयूआरएल के बीच हस्ताक्षर किए गए। आईएमसी के अनुमोदन के साथ बरौनी परियोजना हेतु एचएफसीएल, एचयूआरएल और ऋणदाताओं के प्रतिनिधि के बीच प्रतिस्थापन करार पर हस्ताक्षर किए गए। बरौनी परियोजना ने 99% की समग्र प्रगति की है।

एचयूआरएल द्वारा स्थल पर निर्माण गतिविधियां प्रगति पर हैं।

2 विज़न/मिशन

एचएफसीएल की तीन बंद पड़ी इकाइयों नामतः बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया संभाग में प्रत्येक में यूरिया की 12.7 लाख एमटीपीए क्षमता की स्थापना द्वारा देश में घरेलू यूरिया की उपलब्धता में आत्मनिर्भरता प्राप्त किए जाने हेतु एचएफसीएल की सभी बंद पड़ी इकाइयां का पुनरुद्धार करना।

3 औद्योगिक/व्यावसायिक प्रचालन (गत वर्ष एवं चालू वर्ष के अनुमान)

3.1 वास्तविक निष्पादन (क्षमता की तुलना में): लागू नहीं क्योंकि एक इकाई का पुनरुद्धार किया जा रहा है और दो इकाइयां बंद हैं।

3.2 वित्तीय निष्पादन

	वर्ष 2020–21 के लिए	अप्रैल–दिसम्बर, 2021 की अवधि के लिए*	2021–22 के लिए अनुमान*
कारोबार (करोड़ रु)	15.93	12.00	16.00
कर पूर्व लाभ (करोड़ रु)	11.01	8,81	11.75
कर पश्चात लाभ (करोड़ रु)	9.42	7.28	9.70

* अनंतिम

4 कार्यनिष्पादन विशेषताएं

4.1 पिछला वर्श और वर्तमान वर्शः शून्य (बरौनी इकाई का पुनरुद्धार नामांकन में माध्यम से किया जा रहा है तथा अन्य दो इकाइयां बंद पड़ी हैं)।

4.2 नए निवेश/परियोजनाएंः बरौनी इकाई की भूमि और अवसंरचना को नामित पीएसयू के संयुक्त उद्यम द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रखा गया है जिससे उनके द्वारा प्रयुक्त की जा रही अवसंरचना एवं भूमि के बदले एचएफसीएल को 11% की साम्या (इक्विटी) मिलेगी।

5 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 जन शक्ति – 30.11.2021 की स्थिति के अनुसार मात्र 1 कर्मचारी नामावली में है।

5.2 शिकायत निवारण – चूंकि कारपोरेशन की नामावली में मात्र 1 ही कर्मचारी है इसलिए कोई शिकायत निवारण समिति नहीं है।

5.3 अल्पसंख्यक कल्याण – चूंकि कारपोरेशन नामावली में मात्र 1 कर्मचारी है इसलिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है।

5.4 प्रशिक्षण – चूंकि कारपोरेशन की नामावली में मात्र 1 कर्मचारी ही है इसलिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं जाता है।

6 सीएसआर एवं सतत विकास

एचएफसीएल सीएसआर अंशदान के तहत नहीं आता है क्योंकि कंपनी ने केवल पिछले 2 वर्श के दौरान ही लाभ कमाया है।

7.5 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1. संगठन के बारे में संक्षिप्त जानकारीः

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल) को दिसंबर 1966 में भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के एमोको इंडिया इनकॉर्पोरेशन (एमोको) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें भारत सरकार का हिस्सा इक्विटी शेयर पूंजी का 51% था। वर्ष 1972 में, एनआईओसी ने एमोको के 50% हिस्से का अधिग्रहण किया और शेयरधारिता पद्धति, भारत सरकार की 51% एवं एमोको और एनआईओसी 24.5% की हो गई ।

1985 में, एमोको ने अपने शेयरों का विनिवेश किया, जिन्हें भारत सरकार और एनआईओसी द्वारा 22.07.1985 को अपने संबंधित शेयरों के अनुपात में खरीदा गया था। संशोधित शेयर होल्डिंग पद्धति भारत सरकार 67.55% और एनआईओसी 32.45% थी। 1994 में शेयर अधिकार जारी करने के बाद, भारत सरकार और एनआईओसी की शेयरधारिता 69.78% और 30.22% हो गई।

1997 के दौरान, एमएफएल ने ₹10 के अंकित मूल्य और ₹5 प्रति शेयर के प्रीमियम के साथ 2,86,30,000 शेयरों के सार्वजनिक निर्गम किया था।

वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी और शेयरधारिता पैटर्न इस प्रकार हैः

शेयरधारक	प्रदत्त शेयर पूँजी (₹ करोड़ में)	शेयरधारित %
भारत सरकार	95.85	59.50
ना.फट्रान इंटरट्रेड कंपनी (एनआईसीओ) ल मटेड [पहले एनआईओसी के नाम से जाना जाता था]	41.52	25.77
सार्वजनिक	23.73	14.73
कुल	161.10	100.00

एमएफएल के विभिन्न संयंत्रों की उत्पादन क्षमता नीचे दी गई हैः

संयंत्र	संस्था पत क्षमता/दिन	वा र्षक क्षमता	नियोजित प्रौद्यो गकी

अमोनिया	1050 एमटी	3.46 लाख मी.टन	मेसर्स हल्दोर टोपसो ए/एस, डेनमार्क
यूरिया	1475 एमटी	4.86 लाख मी.टन	मेसर्स यूरिया टेक्नोलॉजीज इंका, यूएसए
एनपीके	सी-ट्रेन: 960 एमटी	2.80 लाख मी.टन	मेसर्स हिंदुस्तान डोर ओ लवर, भारत

2 मिशन / विजन

वैश्विक कुशल संचालन के माध्यम से राष्ट्र के कृषक समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए, उर्वरक उद्योग में अग्रणी बनना और उर्वरकों, कृषि रसायनों एवं अन्य पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के गुणवत्ता वाले उत्पादों के उत्पादन और विपणन सुनिश्चित करना।

3. औद्योगिक / व्यापार संचालन (पिछले वर्ष और चालू वर्ष का अनुमान)

3.1 वास्तविक प्रदर्शन (क्षमता के सापेक्ष)

उत्पादन	संस्था पत क्षमता (मी.टन/वर्ष)	2020-21 (पूर्व वर्ष)		2021-22 (चालू वर्ष)		
		उत्पादन (मी.टन)	क्षमता उपयो गता (%)	उत्पादन अप्रैल-नवंबर 2021 (मी.टन)	अनुमान 2021-22 (मी.टन)	अनुमानित क्षमता उपभोग (%)
यूरिया	4,86,750	4,80,865	98.8	3,29,351	4,86,750	100.0
एनपीके	2,80,000	53,565	19.1	17,140	63,940	22.8

प्रमुख विचलन का कारण यदि कोई हो : कुछ नहीं

विपणन प्रदर्शन

उत्पाद	बिक्री		
	2020-21 के दौरान	2021-21 नवंबर'21 तक	अनुमानित 2021-22
स्व वनिर्माण उत्पाद			
एनपीके 17-17-17 (मी.टन)	51868.35	18751.75	64000
नीम ले पत यूरिया (मी.टन)	479402.32	326741.94	487000
जैव उर्वरक (मी.टन)	157.00	150.20	225.00
व्यापारित उत्पाद			
जैव कीटनाशक – नीम (केएल)	96.67	94.19	110.00
जै वक खाद (मी.टन)	5046.28	4792.76	6000
सटी कम्पोस्ट (मी.टन)	6403	7813.5	9000

प्रमुख विचलन का कारण यदि कोई हो : कुछ नहीं

3.2 वित्तीय प्रदर्शनः

	वर्ष 2020-21 के लिए	अप्रैल-नवंबर - 2021 की अवधि के लिए	2021-22 के लिए अनुमान
कारोबार (रु करोड़ों में)	**1532.79**	**1189.09**	**1621.25**

कर देने से पूर्व लाभ (रु करोड़ों में)	**2.87**	**33.02**	**65.00**
कर अदायगी के बाद लाभ (रु करोड़ों में)	**2.87**	**33.02**	**65.00**

4.1 नए निवेश / परियोजनाएं :

- विशिष्ट ऊर्जा कमी अध्ययन मैसर्स हल्डोर टोपसो द्वारा किया गया था और कंपनी न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मेसर्स हल्डोर टोपसो द्वारा प्रस्तावित योजना को लागू करने के लिए धन जुटाने की प्रक्रिया में है।
- उपयोगिता संयंत्र बॉयलर–II में ईंधन को फर्नस तेल से आरएलएनजी में बदलने के लिए जारी किए गए कार्य का प्रारंभ ।
- ठंडे पानी के बहाव के उपचार के लिए समर्पित आरओ संयंत्र की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और इसके फरवरी 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है जिससे कच्चे पानी की उपयोगिता में अत्यधिक कम होगी ।
- अमोनिया, यूरिया और उपयोगिता संयंत्र के लिए अगस्त 2021 के दौरान नई निर्बाध विद्युत आपूर्ति (यूपीएस) इकाई स्थापित और चालू की गई है। इससे इन इकाइयों की उच्चतम विश्वसनीयता प्राप्त हुई।

4.2 रुग्ण इकाइयों / स्थिति का पुनरुद्धार :

एमएफएल का पुनरुद्धार पैकेज भारत सरकार के सक्रिय विचाराधीन है ।

5 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 मानवशक्ति

वर्ग	कर्मचारी 30.11.2021 को (*)	30.11.2021को कर्मचारियों का वर्गीकरण (*)					
		अजा	अजजा	भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	अ पव	अन्य
क	210	42	2	0	0	86	80
ख	119	38	3	0	3	50	25
ग	187	58	0	1	1	117	10
कुल	**516**	**138**	**5**	**1**	**4**	**253**	**115**

(*)पृथक्करण / वीआरएस / सेवानिवृत्ति के बाद

वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का समय से निस्तारण किया गया।

5.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

- अल्पसंख्यकों के कल्याण की देखभाल के लिए, निम्नलिखित कल्याणकारी उपाय किए गए हैं।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर के जन्मदिन मनाने के लिए प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन को 30,000/– रुपये दिए जा रहे हैं।
- तंदै पेरियार के जन्मदिन मनाने के लिए ओबीसी एसोसिएशन को 30,000/– रुपये दिए जा रहे हैं।

- कंपनी के परिसर के अंदर सभी कल्याण एसोसिएशनो को आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ कार्यालय कक्ष प्रदान किया गया है।
- प्रबंधन द्वारा निर्धारित किराया कल्याण एसोसिएशनो को शहर में उनके कार्यालय के लिए दिया जा रहा है।

5.4 प्रशिक्षण

अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान तकनीकी, सॉफ्ट और जीवन कौशल पर 192 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

6. सीएसआर और सतत विकास

क्र सं.	सीएसआर परियोजना या चन्हित गति व ध	परियोजना में शा मल क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) उस राज्य और जिले को निर्दिष्ट करें जहाँ परियोजनाएँ या कार्यक्रम शुरू कए गए थे।	रा श परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई रा श उप-शीर्ष: (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अव ध तक संचयी व्यय	खर्च की गई रा श : प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (रु लाख में)
1	ग्रेटर चेन्नै कॉरपोरेशन जोन 2 को च कत्सा उपकरणों की आपूर्ति (10000 ट्रिपल लेयर फेस मास्क और 10 पल्स ऑक्सीमीटर)	-	चेन्नै	-	-	-	1.16
2	एमएफएल संयंत्र मण ल, चेन्नै के पास हरिकृष्णपुरम गांव (500 परिवारों के पास) को पाइपलाइन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति	-	मण ल चेन्नै	-	-	-	5.43
3	चन्नसेक्कडु मण ल में स्काउट मास्टर ऑफ पु लस बॉयज एंड गर्ल्स क्लब को मानदेय	-	मण ल चेन्नै	-	-	-	0.55
4	हरिकृष्णपुरम, म णल और माथुर के पड़ोस के इलाकों में को वड -19 से प्रभा वत लोगों को चावल और कराने का सामानों का वतरण	-	मण ल, मातूर चेन्नै	-	-	-	0.49
5	सरकारी स्टेनली अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना	-	चेन्नै	-	-	-	38.6
6	राजीव गांधी अस्पताल में ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना में आं शक योगदान	-	चेन्नै	-	-	-	2.00

7	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष - तिरुवोट्रियूर तालुका	-	चेन्नै	-	-	-	0.10
	कुल						48.33

7. संगठन के प्रदर्शन में सुधार के लिए कदम :

1	फॉस्फोरिक ए सड के कैप्टिव उत्पादन की संभावना तलाशना।
2	डीएपी के उत्पादन के लए ग्रेनुलेटर की खरीद और स्थापना की पहल।
3	अमोनियम सल्फेट और तरल नाइट्रोजन के उत्पादन के लए एक परियोजना अध्ययन कया गया है।
4	भंडारण से अमोनिया वाष्प को द्र वत करने के लए एक नया प्रशीतन कंप्रेसर पैकेज की खरीद शुरू की गई है।
5	नए कॉम्प्लेक्स ग्रेड 12:32:16 के उत्पादन का पूर्ण परीक्षक (ट्रायल रन) सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
6	म श्रत उर्वरकों का व्यापार शुरू कया गया है।

Madras Fertilizers Limited
(A Govt. of India - Public Sector Undertaking)
MANALI, CHENNAI - 600 068
"Azadi ka Amrit Mahotsav" INDIA @ 75
Celebrating 5 Years of DBT
Tree Planting Festival
MADURAI REGION-TAMILNADU

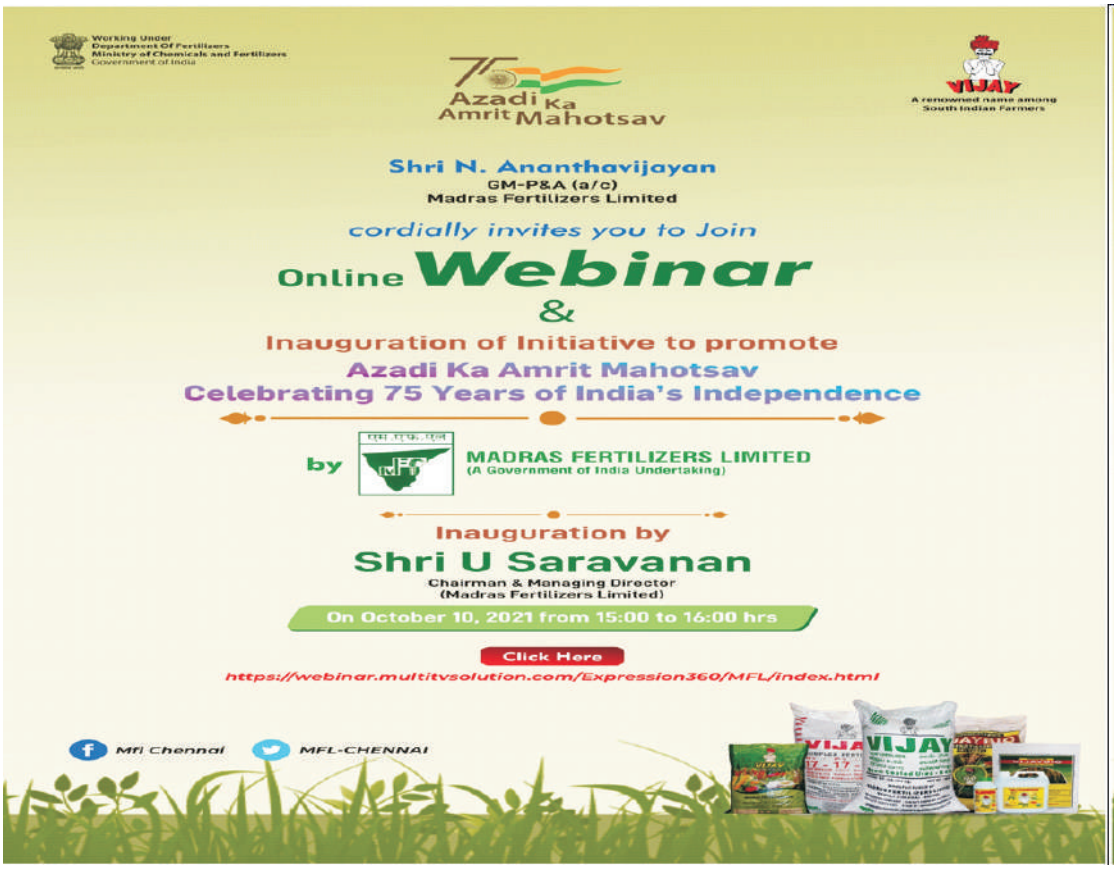
Working Under
Department Of Fertilizers
Ministry of Chemicals and Fertilizers
Government of India
Azadi Ka Amrit Mahotsav
VIJAY
A renowned name among South Indian Farmers
Shri N. Ananthavijayan
GM-P&A (a/c)
Madras Fertilizers Limited
cordially invites you to Join
Online Webinar
&
Inauguration of Initiative to promote
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Celebrating 75 Years of India's Independence
by
MADRAS FERTILIZERS LIMITED
(A Government of India Undertaking)
Inauguration by
Shri U Saravanan
Chairman & Managing Director
(Madras Fertilizers Limited)
On October 10, 2021 from 15:00 to 16:00 hrs
Click Here
https://webinar.multitvsolution.com/Expression360/MFL/index.html
Mfl Chennai
MFL-CHENNAI

7.6 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

1. संगठन का संक्षिप्त विवरण

एनएफएल जो वर्तमान में एक अनुसूची 'ए' और मिनी रत्न (श्रेणी– I) कंपनी है, को दिनांक 23 अगस्त 1974 को निगमित किया गया था और इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में है। इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी 490.58 करोड़ रुपए है जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा 74.71% और 25.29% वित्तीय संस्थानों और अन्य के पास है।

एनएफएल के पांच गैस आधारित अमोनिया–यूरिया संयंत्र अर्थात् पंजाब में नंगल और बठिंडा संयंत्र, हरियाणा में पानीपत संयंत्र और मध्य प्रदेश में गुना जिले में विजयपुर में दो संयंत्र हैं। कंपनी की वर्तमान में कुल वार्षिक संस्थापित क्षमता 35.68 एलएमटी है और यह देश में कुल यूरिया उत्पादन के लगभग 15% हिस्से के साथ देश में यूरिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

यूरिया के निर्माण के अलावा, कंपनी जैव–उर्वरक के चार स्ट्रेन (नामतः अजोटोबैक्टर, राइजोबियम, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (पीएसबी) और जिंक सॉल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (जेडएसबी)), बेंटोनाइट सल्फर (मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर करने के लिए एक मूल्य वर्धित उत्पाद) और नाइट्रिक एसिड, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट जैसे विभिन्न औद्योगिक रसायन तथा अपने फ्लैगशिप बीज वर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणित बीजों का उत्पादन भी करती है।

विनिर्माण के अलावा, एनएफएल आयातित उर्वरकों, प्रमाणित बीजों, कृषि रसायनों, शहरी कम्पोस्ट, पानी में घुलनशील उर्वरकों आदि जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों के व्यापार में भी शामिल है।

कंपनी अब एक बहु–उत्पाद कंपनी है, जो बाजार में लोकप्रिय ब्रांड नाम 'किसान' के रूप में सम्पूर्ण भारत में मौजूद है।

2. विजन / मिशन

कंपनी का **विज़न** "सभी हितधारियों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ उर्वरकों और उससे परे एक अग्रणी भारतीय कंपनी बनना" है।

इसका **मिशन** "गुणवत्ता, सुरक्षा, नैतिकता, व्यावसायिकता और पारिस्थितिकी के लिए चिंता के साथ ऊर्जा संरक्षण में उच्चतम मानकों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत, कृषि समुदाय और अन्य ग्राहकों को उर्वरकों एवं अन्य उत्पादों तथा सेवाओं की समय पर आपूर्ति के माध्यम से उनकी संतुष्टि के अनुरूप सेवा देने और हितधारकों के लाभ को अधिकतम करने हेतु प्रतिबद्ध एक गतिशील संगठन बनना " है।

3. औद्योगिक / व्यापार प्रचालन (विगत वर्ष और चालू वर्ष के अनुमान)

3.1 वास्तविक प्रदर्शन

3.1.1 उत्पादन प्रदर्शनः

उत्पादन	यूएम	वा र्षक संस्था पत क्षमता	2020-21		2021-22		
			उत्पादन	पुनर्मूल्यां कत/ संस्था पत क्षमता के संबंध में क्षमता उपयोग (%)	अक्तू. 2021 तक वास्तविक उत्पादन	2021-22 के लए अनुमान	पुनर्मूल्यां कत/ संस्था पत क्षमता के संबंध में अनुमानित सी.यू. (%)
यूरिया	एलएमटी	35.68*	37.99	118	20.23	36.86	114

जैव उर्वरक	एमटी	650	684	105	316	700	108
बेंटोनाइट सल्फर	एमटी	25000	14072	80	10755	20000	80
नाइट्रिक ए सड	एमटी	91400#	67491	67	48213	67499	74
अमोनियम नाइट्रेट (एएन)	एमटी	118800##	8620	7	13110	15199	13
सो डयम नाइट्रेट	एमटी	1980	907	52	564	1370	-
सो डयम नाइट्राइट	एमटी	2970	1800	61	1029		-
प्रमा णत बीज (क्विंटल) - एसएमपी के तहत	क्विंटल	-	279440	-	-	200000	-
कृ ष रसायन (बठिंडा) $	(केएल/एमटी)	-	-	-	-	1200	-

* पुनर्मूल्यांकित क्षमताः 32.31 एलएमटी। वर्ष 2012–13 के दौरान विजयपुर–I और II में क्षमता वृद्धि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संस्थापित क्षमता बढ़कर 35.68 स्डज हो गई।

दो स्ट्रीमों के लिए 182800 मीट्रिक टन की संस्थापित क्षमता, तथापि वर्तमान में केवल एक स्ट्रीम ही प्रचालनरत है।

दो स्ट्रीमों के लिए 237600 मीट्रिक टन की संस्थापित क्षमता, तथापि वर्तमान में केवल एक स्ट्रीम ही प्रचालनरत है

3.1.2 बिक्री प्रदर्शनः

वपणन/बिक्री	**2020-21** के दौरान बिक्री	वास्त वक बिक्री (अप्रैल ~ अक्तू. **21**)	**2021-22** के लए बिक्री अनुमान
स्वयं वनि र्मत			
यूरिया (एलएमटी)	39.65	20.02	36.86
जैव उर्वरक (एमटी)	528	302	700
बेंटोनाइट सल्फर (एमटी)	20028	11057	20000
नाइट्रिक ए सड (एमटी)	61387	38294	67499
अमोनियम नाइट्रेट (एमटी)	8619	13121	15199
सो डयम नाइट्रेट (एमटी)	1024	564	533
सो डयम नाइट्राइट (एमटी)	1800	1029	837
कृ ष रसायन (केएल/एमटी)	-	-	1200
आयातित उर्वरक			
डीएपी (एलएमटी)	5.09	2.55	5.00
एमओपी (एलएमटी)	1.04	0.54	1.00
एनपीके + एपीएस (एलएमटी)	2.43	0.87	2.50
कुल	**8.56**	**3.96**	**8.50**
यूरिया सरकारी खाता (एलएमटी)	10.45	4.02	7.00
एसएसपी (एमटी)	27717	6879	50000
कम्पोस्ट (एमटी)	21767	19831	25000
जल में घुलनशील उर्वरक (एमटी)	538	Nil	1500

कैल्शियम नाइट्रेट (एमटी)	Nil	Nil	500
बीज (क्विंटल)			
घरेलू व्यापार	120	Nil	200000
एसएमपी के अंतर्गत स्वयं के बीज	185430	9745	
कृ ष रसायन (कलो/लीटर) (केवल व्यापार कए गए)	559569	650527	700000

3.2 वित्तीय प्रदर्शनः

मद	वर्ष **2020-21** के लए	अप्रैल- सतं.'**2021** की अव ध के लए	अनुमान **2021-22**
प्रचालनों से राजस्व (करोड़)	11906	6342	15595
कर पूर्व लाभ (करोड़)	344	70	51
कर पश्चात लाभ (करोड़)	250	51	38

4 नए निवेश / परियोजनाएं

4.1 कार्यान्वित/कार्यान्वयनाधीनः

क) संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी, मैसर्स आरएफसीएल के माध्यम से रामागुंडम संयंत्र का पुनरुद्धारः

मेसर्स ईआईएल और मेसर्स एफसीआईएल के सहयोग से तेलंगाना राज्य के रामागुंडम में पुराने एफसीआईएल संयंत्र के पुनरुद्धार के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया गया, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 6338.16 करोड़ (संशोधित लागत) और वार्षिक यूरिया क्षमता 12.71 एलएमटी है। इस संयुक्त उद्यम में मेसर्स एनएफएल एंड मेसर्स ईआईएल, दोनों की इक्विटी भागीदारी 26% और मेसर्स एफसीआईएल की 11% और अन्य की 37% (तेलंगाना सरकार–11%, मैसर्स गेल–14.3% और एचटी रामागुंडम–3.90%, डेनिश एग्रीबिजनेस फंड– 3.90% और आईएफयू– 3.90%) है।

ख) परियोजना की शून्य तिथि 25–09–2015 थी और इसे शून्य तिथि से 36 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। आरएफसीएल ने लगभग 42 महीने की देरी के बाद 22–03–2021 को यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया। यह देरी मुख्य रूप से जीआईटीएल द्वारा गैस पाइपलाइन के निर्माण में देरी और तेलंगाना सरकार द्वारा पानी/बिजली की कनेक्टिविटी में देरी के कारण हुई है। भारत सरकार द्वारा दिनांक 23–03–2020 को कोविड–19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण परियोजना के पूरा होने में और अधिक देरी हुई। पूर्व में मुख्य रूप से ईपीसीएम द्वारा उपकरण विनिर्देशों और वाणिज्यिक शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद निविदाएं जारी करने के कारण देरी हुई थी।

ग) एनयूपी–2015 के अंतर्गत पानीपत, बठिंडा और नंगल में 675 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एकीकृत ऊर्जा बचत योजनाओं का कार्यान्वयन। जीटीजी–एचआरएसजी की परियोजना को तीनों कार्य स्थलों पर दिनांक 30–11–2019 तक पूरा किया जाना था। तथापि, महामारी के प्रसार और अन्य अपरिहार्य कारणों से, जीटीजी–एचआरएसजी की कमीशनिंग गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। बठिंडा और नंगल में जीटीजी–एचआरएसजी को में नियमित उपयोग में लाया गया है, जबकि पानीपत में जीटीजी–एचआरएसजी को चालू करने में देरी अप्रैल 2021 में कोविड–19 मामलों में अचानक वृद्धि

होने के कारण विदेशी विशेषज्ञों के हटा दिए जाने के कारण हुई थी। दिनांक 18–10–2021 को विदेशी विशेषज्ञ पुनः पानीपत कार्य स्थल पर पहुंचे और 10–11–2021 को जीटीजी–एचआरएसजी की हॉट कमीशनिंग फिर से शुरू हुई। विश्वसनीयता परीक्षण किया गया और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण रन (पीजीटीआर) दिसंबर 2021 के तीसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।

घ) विजयपुर I और II यूनिटों में 235 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ऊर्जा कटौती योजनाएं। विजयपुर–I में योजना का एक हिस्सा अक्टूबर '2020 में पूरा हुआ और शेष वित्तीय वर्ष 2021–22 के भीतर पूरा कर लिया जाएगा।

ङ) कृषि कीटनाशकों के उत्पादन के लिए बठिंडा यूनिट में कृषि रसायन संयंत्र प्रगति पर है। शेड के सिविल निर्माण का करीब 95 फीसदी कार्य पूरा हो चुका है। संयंत्र के जनवरी 2022 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

च) इंदौर में बीज प्रसंस्करण संयंत्र प्रगति पर है और संयंत्र के वित्तीय वर्ष 2021–22 के भीतर पूरा होने की संभावना है।

छ) नंगल में नाइट्रिक एसिड संयंत्र की दूसरी स्ट्रीम का पुनरुद्धार 2022 तक पूरा होने की संभावना है।

5.2 रुग्ण/ कमज़ोर यूनिटों का पुनरुद्धार–स्थिति / कार्य योजना

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एनएफएल ने पहले ही संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात् रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) के माध्यम से रामागुंडम में एफसीआईएल के बंद यूरिया संयंत्र का पुनरुद्धार कर दिया है, जिसे मार्च'21 में चालू किया गया था।

5 मानव संसाधन विकास

5.1 मानव शक्ति

दिनांक 31–03–2021 की स्थिति के अनुसार मानव शक्ति:

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी/एसटी/ओबीसी/एक्सएसएम/पीएच की संख्या				
		एससी	एसटी	ओबीसी	एक्सएसएम *	पीएच **
क	1511	284	76	194	1	10
ख (अ धकारी)	110	34	14	7	1	2
ख (कामगार)	1017	270	53	99	4	9
ग	504	82	30	149	10	28
घ	31	11	0	9	1	0
घ (सफाई सेवक)	40	40	0	0	0	0
कुल	**3213**	**721**	**173**	**458**	**17**	**49**

दिनांक 31–10–2021 की स्थिति के अनुसार मानव शक्ति:

वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	एससी/एसटी/ओबीसी/एक्सएसएम/पीएच की संख्या				
		एससी	एसटी	ओबीसी	एक्सएसएम *	पीएच **
क	1471	284	71	187	1	8
ख (अ धकारी)	124	31	13	6	0	3
ख (कामगार)	955	258	47	96	3	8

ग	488	75	29	142	10	28
घ	30	11	0	9	1	0
घ (सफाई सेवक)	38	38	0	0	0	0
कुल	**3106**	**697**	**160**	**440**	**15**	**47**

* एक्सएसएम – भूतपूर्व सैनिक ** पीएच दृदिव्यांग

5.2 शिकायत निवारण

एनएफएल, कॉर्पोरेट कार्यालय और सभी इकाईयों में कर्मचारियों के लिए एक "शिकायत निवारण प्रकोष्ठ" कार्यरत है। वर्ष 2020–21 के दौरान, 52 शिकायतें प्राप्त हुई और उनका समाधान किया गया। ऑनलाइन मोड के माध्यम से शिकायतों के पंजीकरण के लिए, प्रत्येक क्लाइंट/ग्राहक अपनी शिकायतों को http://pgportal.gov.in पर सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं या एनएफएल वेबसाइट www.nationalfertilizers.com पर हमारे फीडबैक खंड में अपनी ऑनलाइन प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

5.2 अल्पसंख्यकों का कल्याण

- ✓ इकाईयों और कार्यालयों के सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों ने विभिन्न समुदायों के त्योहार भाईचारे के साथ मनाए।
- ✓ एनएफएल सभी समुदायों की समानता में विश्वास करता है और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण संबंधी साक्षात्कार बोर्ड में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व जैसे सरकार के सभी विनियमों का अनुसरण करता है।

3.3 प्रशिक्षण

- ✓ वर्ष 2020–21 के दौरान, कर्मचारियों को 10491 मानव–दिवस का प्रशिक्षण दिया गया और महिला कर्मचारियों को 548 मानव–दिवस का प्रशिक्षण दिया गया (10491 मानव–दिवसों में सहित) अर्थात् प्रत्येक कर्मचारी को 3.1 मानव–दिवस का प्रशिक्षण दिया गया।
- ✓ राजकोषीय वर्ष 2020–21 में, प्रशिक्षण केन्द्रों में , हमने अपने संयंत्रों, अंचल कार्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालय में आंतरिक और बाहरी फैकल्टी के माध्यम से कर्मचारियों के लिए 442 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं।
- ✓ कोविड–19 महामारी के कारण व्यक्तिगत प्रशिक्षण गतिविधियों को रोक दिया गया और एनएफएल ने वेबिनार/ऑनलाइन कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा। वेबिनार कार्यक्रम एफएआई, स्कोप, एनपीसी, आईसीएसआई, सीआईआई, आईएसटीएम और एनएएचआरडी जैसे प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रदान किए गए।

6. सीएसआर और सतत विकास

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी सीएसआर के माध्यम से समाज में समावेशी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2020–21 के लिए 340.00 लाख रुपये के सीएसआर बजट का आवंटन किया और वर्ष के दौरान 606.24 लाख रुपए व्यय किए। इसमें पिछले वर्षों में अनुमोदित किंतु वर्ष 2020–21 में आगे बढ़ाई गई योजनाओं पर किया गया व्यय शामिल है।

अपने सीएसआर कार्यक्रमों के माध्यम से, कंपनी स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण और समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों की सहायता कर रही है। कंपनी द्वारा शुरू की गई वित्त वर्ष 2020–21 की प्रमुख सीएसआर परियोजनाओं

में से एक, 152.78 लाख रुपये के बजट में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए थी अर्थात् कुल जनशक्ति के 2.5% की न्यूनतम अनिवार्यता के अतिरिक्त प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक इकाई को 38.20 लाख रुपये का आवंटन किया गया था। परियोजना में व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव के माध्यम से विभिन्न प्लेसमेंट से जुड़े कौशल प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में युवाओं की सहायता करने की परिकल्पना की गई थी।

इसके अतिरिक्त, समय की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने कोविड–19 महामारी को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन किया। इस पहल के अंतर्गत, कंपनी ने सरकार के कोविड–19 टीकाकरण कार्यक्रम में सहायता करने के लिए चंडीगढ़ में वैक्सीन के भंडारण के लिए कोल्ड चेन उपकरण प्रदान किए।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सीएसआर परियोजनाएं शुरू कीं। चिकित्सा अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए, कंपनी ने उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती और जिला सुल्लतानपुर में सरकारी अस्पतालों में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसें प्रदान कीं। ये एम्बुलेंसें गंभीर रोगियों और उन लोगों को सेवा प्रदान करेंगी जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है। साथ ही, कंपनी ने जिला अस्पताल, बस्ती (उ.प्र.) में चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए। इसके अलावा, मौजूदा सुविधाओं के अनुपूरक के रूप में सिविल अस्पताल, नंगल को फाउलर बेड प्रदान किए गए थे।

शिक्षा के क्षेत्र में, कंपनी की सभी यूनिटों ने स्कूल डेस्क और बेंचों, आईटी सक्षम स्मार्ट बोर्डों, झूलों, पंखों, आरओ सुविधाओं आदि के प्रावधान के माध्यम से अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की सहायता की है। नंगल यूनिट ने स्मार्ट कक्षाओं, कंप्यूटरों, शैक्षिक खिलौनों आदि जैसे नवीनतम शैक्षिक साधनों के प्रावधान के माध्यम से नवीनीकरण और रूपांतरण के लिए खमाचों गांव, नवाशहर में एक सरकारी स्कूल को गोद लिया है। साथ ही, बठिंडा यूनिट ने बठिंडा में महंत गुरबंता दास मूक एवं बधिर (स्कूल फॉर डेफ एंड डंब) में स्मार्ट कक्षाएं संस्थापित कीं।

कंपनी ने नंगल यूनिट के पास के गांवों में स्थानीय निवासियों के लिए क्षेत्र में उचित प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए 325 एलईडी सोलर स्ट्रीट लाइटें भी लगाईं। सोलर स्ट्रीट लाइट पर्यावरण अनुकूल हैं क्योंकि वे ऊर्जा के नवीकरणीय रूप का उपयोग करती हैं और उन्हें रखरखाव की कम आवश्यकता होती है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष 2021–22 के लिए 345.21 लाख रुपये के सीएसआर बजट का अनुमोदन किया है और अधिकांश धन 7 ऑक्सीजन संयंत्र लगाने, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के प्रावधान, कीटनाशक जालों के वितरण आदि जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया है।

सतत विकास

- ✓ इस मोर्चे पर एक सुसंगत और नियंत्रित दृष्टिकोण रखने के लिए कंपनी की एक संपूर्ण सतत विकास नीति है।
- ✓ पर्यावरण में सुधार के लिए सभी यूनिटों में वनरोपण को अपनाया गया है। भावी पीढ़ी के लिए स्वच्छ और हरित भूमि हेतु वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न यूनिटों में और उनके आसपास कुल 9847 पेड़ पौधे लगाए गए। सभी यूनिटों के लिए प्रारंभ से लेकर अब तक संचयी रूप से लगभग 8.69 लाख वृक्ष रोपित किए गए हैं।
- ✓ एनएफएल की सभी यूनिटें उप–मृदा जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया में हैं। इससे जल संरक्षण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि और आसपास हरियाली बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- ✓ एनएफएल ने नंगल, बठिंडा और पानीपत यूनिटों

में हीट रिकवरी स्टीम जेनरेशन (एचआरएसजी) के साथ जीटीजी (गैस टर्बो जेनरेटर) स्थापित किए हैं और बठिंडा और नंगल में जीटीजी–एचआरएसजी परियोजना ने मई, 2021 में अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है और पानीपत में इसके दिसंबर, 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

- ✓ जीटीजी–एचआरएसजी की सफल शुरूआत के बाद, ये यूनिटें कम ऊर्जा खपत और कम सीओ उत्सर्जन के साथ काम करेंगी।
- ✓ वर्ष 2020–21 के दौरान एनएफएल यूनिटों में लगभग 1611 पारंपरिक लाइटों को बदलकर पर्यावरण अनुकूल एलईडी लाइटें लगाई गईं। पानीपत यूनिट को छोड़कर, जहां फ्लेमप्रूफ लाइटिंग को बदलकर एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं, एनएफएल की सभी यूनिटों ने अब अपनी पारंपरिक लाइटिंग को बदलकर एलईडी लाइटें लगा ली हैं।
- ✓ समुदाय के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सुनिश्चित करने के लिए, सभी एनएफएल यूनिटों के आस–पास के गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं।
- ✓ कंपनी पहले चार प्रकार के जैव–उर्वरकों अर्थात् राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, पीएसबी और जिंक घुलनशील बैक्टीरिया (जेडएसबी) का पाउडर और तरल दोनों आधार में उत्पादन कर रही थी। जैव–उर्वरकों के शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए, एनएफएल धीरे–धीरे पाउडर जैव–उर्वरकों से तरल जैव–उर्वरकों में शिफ्ट हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप लिग्नाइट का उपयोग कम हुआ है, जिसका उपयोग पाउडर जैव–उर्वरकों के लिए कैरियर के रूप में किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कम हुआ है। वर्ष 2020–21 के दौरान 527.65 मीट्रिक टन तरल और पाउडर जैव–उर्वरकों की बिक्री हुई थी।
- ✓ एनएफएल वर्ष 2020–21 के दौरान विभिन्न राज्यों में स्थित विनिर्माताओं से प्राप्त 21767 मीट्रिक टन शहरी कम्पोस्ट की बिक्री द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के स्वप्न के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके अलावा एनएफएल की विजयपुर यूनिट बायोडिग्रेडेबल कचरे से कम्पोस्ट का उत्पादन करती है और इसका इकाई परिसर में बागवानी में पर्यावरण अनुकूल खाद के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शहरी कम्पोस्ट एक मृदा कंडीशनर है जिसका उत्पादन बायो–डिग्रेडेबल कचरे से होता है। शहरी कचरे से कम्पोस्ट न केवल मिट्टी को कार्बन और प्राथमिक / द्वितीयक पोषक तत्व प्रदान करेगी बल्कि शहर को साफ रखने में भी मदद करेगी। एनएफएल आगे इस क्षेत्र में कारोबार व्यापार (ट्रेडिंग बिजनेस) बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है।

7. संगठन के प्रदर्शन में सुधार के लिए की गई पहल

- ✓ कृषि रसायनों के नए अणुओं का व्यापार।
- ✓ पानी में घुलनशील उर्वरकों और कैल्शियम नाइट्रेट का आयात और बिक्री।
- ✓ जिंक घुलनशील जीवाणु आधारित जैव–उर्वरकों का उत्पादन एवं बिक्री।
- ✓ असम और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यूरिया की बिक्री के लिए बीवीएफसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे कंपनी, एक अखिल भारतीय कंपनी बन गई।
- ✓ जैव कीटनाशकों की बिक्री के लिए अन्वेषण।
- ✓ एनएफएल में ईआरपी का कार्यान्वयन प्रगति पर है।
- ✓ बड़े पैमाने पर सेवानिवृत्ति के कारण जनशक्ति की कमी के कारण जोखिम को कम करने के लिए जनशक्ति का युक्तिकरण/भर्ती।
- ✓ विकास के नए अवसरों की पहचान करने, विकास रणनीतियों और प्रत्येक अवसर के लिए कार्यान्वयन के लिए खाका (रोडमैप) तैयार करने हेतु परामर्शी फर्म नियुक्त की गई।

श्री निरलेप सिंह राय, एनएफएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, का कार्यभार ग्रहण करने के बाद डा. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ भेंट करते हुए

डा. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा श्री भगवंत खुबा, माननीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा (केन्द्र) राज्य मंत्री नैनो यूरिया तरल उर्वरक की तकनीकी अंतरण हेतु एनएफएल और इफको के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह के दौरान सचिव (उर्वरक), एनएफएल (बाएं) और इफको (दाएं) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

डा. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा श्री भगवंत खुबा, माननीय रसायन और उर्वरक तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री और सचिव (उर्वरक) की उपस्थिति में एनएफएल (बाएं) और इफको (दाएं) के वरिष्ठ अधिकारी नैनो यूरिया तरल उर्वरक की 'तकनीक के अंतरण' के लिए समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान–प्रदान करते हुए।

डा. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री को एनएफएल के पानीपत संयंत्र के दौरे के दौरान सीआईएसएफ द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है।

कोविड संबंधी देखभाल सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए एनएफएल ने भोपाल, लखनऊ, गोरखपुर और इंदौर में 04 चिकित्सा ऑक्सीजन जनरेटर संयंत्र स्थापित किए।

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)

1. संगठन की संक्षिप्त रूपरेखा:

राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) का गठन पूर्व की फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 6 मार्च, 1978 को किया गया। कंपनी के पास रु.800 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी और रु. 551.69 करोड़ की प्रदत्त पूंजी है। कंपनी में सरकार की होल्डिंग 75% है। शुरूआत में कंपनी के पास ट्रॉम्बे में केवल एक इकाई थी। 1985 में, थल में आरसीएफ की एक और इकाई की स्थापना की गई जो ट्रॉम्बे से लगभग 100 किमी. दूर स्थित है। आरसीएफ की पोर्टफोलियों में यूरिया, संयुक्त उर्वरक, जैव उर्वरक, माइक्रो पौष्टिक, 100% पानी में घुलनशील उर्वरक और औद्योगिक रसायनों की एक लंबी श्रृंखला जैसे अनेक उत्पाद शामिल हैं।

2. कंपनी का विजन ,मिशन एवं मूल्य कथन:

विजन:

भारतीय बाजार में प्रमुख स्थान के साथ उर्वरकों और रसायनों के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय कॉर्पोरेट होना, संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना, पर्यावरण की उचित देखभाल करना और हितधारकों के अधिकतम मूल्य को सुनिश्चित करना।

मिशन:

व्यावसायिक उत्कृष्टता के माध्यम से तीव्र विकास के साथ विश्वसनीय, नैतिक और सामाजिक दायित्वपूर्ण पद्धति से हितधारकों के मूल्यों को अधिकतम बनाने के उद्देश्य से उर्वरकों और रसायनों का निर्माण एवं बिक्री करना।

मूल्य कथन: आरसीएफ व्यवसाय के सभी पहलुओं में ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और हितधारकों के साथ अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए परिणाम प्रदान करने हेतु और उच्चतम गुणवत्ता के लिए प्रयास करेगा।

3. औद्योगिक/व्यापारिक प्रचालन (गत वर्ष और चालू वर्ष के अनुमान)

3.1 प्रत्यक्ष निष्पादन:

उत्पादन	संस्थापित क्षमता (एमटीपीए)	2020-21 (गत वर्ष)		2021-22 (चालू वर्ष)		
		उत्पादन	क्षमता उपभोग	अक्टू. 2021 तक उत्पादन	2021-22 के लिए अनुमानित उत्पादन	अनुमानित क्षमता उपयोग
ट्रॉबे में यूरिया	3,30,000	3,37,585	102.30	2,15,975	3,56,026	107.89
थल में यूरिया	20,00,000	19,12,360	95.62	9,94005	18,60,000	93.00
कुल नीम यूरिया	23,30,000	22,49,945	96.56	12,09,980	22,16,026	95.11
संयुक्त उर्वरक						
सुफला (15:15:15)	4,20,000	5,37,045	127.87	3,14,175	5,83,825	139.01

*एएनपी (सुफला 20:20:0) संयंत्र आर्थिक अस्थिरता के कारण दिसम्बर 2015 से बंद है ।

आरसीएफ जैव–उर्वरक (बायोला), सूक्ष्म पोषक तत्व और 100 प्रतिशत पानी में घुलनशील उर्वरकों का भी उत्पादन करता है। वर्ष 2020–21 में, बायोला का 121.15 किली, मायक्रोला का 303.416 किली, और 100 % पानी में घुलनशील उर्वरक (सुजला) का 5390 मी.टन उत्पादन किया है। इन विशेष उर्वरकों का उत्पादन बाजार की माँग के अनुसार किया गया है।

उर्वरकों के अतिरिक्त कंपनी मेथनोल, कॉसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अमोनियम बाइकार्बोनेट, डायमिथाइल असेटामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, मिथाइल अमाइन्स, अरगॉन इत्यादि जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादों का भी उत्पादन करती है ।

कोविड 19 महामारी के बावजूद, थाल और ट्रॉम्बे इकाई दोनों में सभी उर्वरक संयंत्रों को इष्टतम लोड पर संचालित किया गया था। वर्ष 2020–21 में कंपनी ने लगभग 27.87 लाख मी.टन उर्वरक (22. 50 लाख मे.टन यूरिया + 5.37 लाख मे.टन सुफला 15:15:15) का उत्पादन किया।

'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के हेतु, सितंबर 2020 से मेथनॉल संयंत्र का उत्पादन भी पुनः आरंभ किया गया है। साथ ही अन्य औद्योगिक रसायनों के उत्पादन, जैसे कि एएन मेल्ट, अमोनियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड को भी बढ़ा दिया गया है जिससे कि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। ट्रांबे इकाई में अमोनिया–एक संयंत्र का उत्पादन अक्टूबर 2020 से पुनः आरंभ कर दिया गया है, जिससे कि अमोनिया की घरेलू मांग को पूरा किया जा सके।

दिसंबर 2020 में, यूरिया पुनरुत्थान के तहत ऊर्जा बचत योजनाओं को आरसीएफ ट्रॉम्बे इकाई में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। यूरिया पुनरुत्थान के पूरा होने के बाद, दैनिक आधार पर 0.19 जीसीएएल/मी.टन की ऊर्जा बचत हासिल की जाती है।

कोविड महामारी की चुनौतीपूर्ण स्थिति में, घरेलू अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से, आरसीएफ ने आरसीएफ कारखाने में घरेलू उपयोग के लिए आइएसओ प्रोपील अल्कोहल (आईपीए) आधारित हैंड सैनिटाइज़र विकसित किया है। आरसीएफ ने जुलाई 2020 में आईपीए आधारित हैंड क्लींजिंग जेल "आरसीएफ सॅफरोला" भी बाजार में लाया है। आरसीएफ ने वर्ष 2020–21 में जैव उत्तेजक (बायो स्टिमुलेंट) का विकास और व्यवसायीकरण भी किया है।

बिक्रीः

विपणन	एकक	2020-21 में बिक्री	अक्तूबर 2021 तक बिक्री	2021-22 हेतु बिक्री का अनुमान
यूरिया	लाख मी.टन	**22.62**	**12.07**	**22.67**
सुफला **(15:15:15)**	लाख मी.टन	**5.43**	**3.08**	**6.00**
उर्वरकों का व्यापार **(**डीएपी, एमओपी, **imp** एनपीके, कम्पोस्ट उर्वरक, एसएसपी और डब्ल्यूएसएफ आदि)	लाख मी.टन	**3.31**	**1.74**	**2.72**
बायोला	कि.ली.	**112.45**	**79.52**	**125.00**
माइक्रोला	कि.ली.	**347.36**	**239.73**	**360.00**
100% पानी में घुलनशील उर्वरक	मी.टन	**6,575.80**	**2,454.94**	**5,000.00**
पीएच बैलंसर	कि.ली.	**11.99**	**7.23**	**12.00**

3.2 वित्तीय कार्यनिष्पादनः

	वर्ष 2020-21 हेतु	अप्रैल से सितंबर 2021 की अवधि हेतु	वर्ष 2021-22 हेतु अनुमान
कारोबार (रु.करोड़ में)	8670.67	5065.36	11276.95
कर अदायगी पूर्व लाभ (रु.करोड़ में)	516.17	443.22	584.49
कर अदायगी उपरांत लाभ (रु.करोड़ में)	373.11	329.20	437.37

इफ्को द्वारा आरसीएफ को नैनो यूरिया (तरल) की प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आरसीएफ थल इकाई को वर्ष 2020 के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए आईसीसी मेरिट का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

उर्वरक क्षेत्र की श्रेणी में आरसीएफ को प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है।

4 नए निवेश / परियोजनाएं

4.1 कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं

कोविड–19 महामारी के प्रकोप के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के कारण कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं कार्यक्रम में बाधा आई।

- **ट्रांबे में गैस टर्बाइनः** नए ऊर्जा मानदंडों को पूरा करने के लिए, आरसीएफ ट्रॉम्बे इकाई में 2X65 एमटीपीएच क्षमता के हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर (एचआरएसजी) के साथ 2 X 25 मेगावाट का गैस टर्बाइन जनरेटर (जीटीजी) स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रॉम्बे में अमोनिया और यूरिया संयंत्रों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करना है। दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को कमीशनिंग और प्रदर्शन गारंटी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है, परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है और यूरिया की अपेक्षित ऊर्जा बचत 0.30 जीकेएल / मी.टन है।

- **ट्रांबे अमोनिया**–पांच संयंत्र पुनरूत्थान (केबीआर स्कीम): अमोनिया–पांच पुनरुत्थान परियोजना, ट्रॉम्बे इकाई के ऊर्जा मानदंडों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुधार योजनाओं के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें संवहन क्षेत्र में हीट एक्सचेंजर्स के प्रतिस्थापन, सिंथेसिस गैस कंप्रेसर (एसजीसी), आईडी फैन की ड्राइव टरबाइन रेट्रोफिटिंग और संश्लेषण अनुभाग में अमोनिया डिहाइड्रेटर का प्रावधान शामिल है। इस योजना के तहत अमोनिया के 0.25 जीसीएएल / मी.टन की ऊर्जा की बचत के परिणाम की परिकल्पना की गई है, और यह अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

- **थल में ईटीपी उन्नयनः** बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए निरंतर आधार पर, आरसीएफ ने आरसीएफ, थल इकाई में ईटीपी उन्नयन परियोजना शुरू की है। ईटीपी के उन्नयन से लगभग 9,000 एम3 / दिन इफ्ल्युएंट का उपचार संभव हो सकेगा। उपचारित अपशिष्ट का लगभग 55–58% पुनः पुनर्चक्रित किया जाएगा और संयंत्र में पुनः उपयोग किया जाएगा। उसी के लिए कार्य आदेश दिया गया है और साइट की गतिविधियां प्रगति पर हैं।

4.2 सक्रिय विचाराधीन नई परियोजनाएं :

- ट्रॉम्बे में नया एएन मेल्ट प्लांटः कच्चे माल की विशिष्ट खपत को कम करने और संयंत्र की ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से, आरसीएफ, ट्रॉम्बे में नया एएन मेल्ट प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। आद्योपान्त (एलएसटीके) ठेकेदार की व्यवस्था करने के लिए निविदा जारी की गई है। अनुमानित परियोजना लागत रु.88.50 करोड़ है।

- आरसीएफ ट्रॉम्बे में नया सीएनए प्लांटः आरसीएफ, ट्रॉम्बे में मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रक्रिया पर आधारित न्यू कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड (सीएनए) संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता तलाश रहा है। विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। अनुमानित परियोजना लागत लगभग रु.50 करोड़ है।

- आरसीएफ थल इकाई में नए एनपीके परियोजना की स्थापनाः आरसीएफ, आरसीएफ थल इकाई में एनपीके कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट (डीएफआर) तैयार करने और परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के अध्ययन के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

- **ट्रॉम्बे में शून्य द्रव निर्वहनः** आरसीएफ ट्रॉम्बे यूनिट में उत्पन्न होने वाले प्रक्रिया पानी के उपचार और पुनर्चक्रण के लिए जीरो एफ्लुएंट डिस्चार्ज (जेडईडी) संयंत्र स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है ।

4.3 बीमार / कमजोर इकाइयों का पुनरूद्धार – स्थिति / कार्रवाई योजना

- **तालचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेडः**

रुग्ण उर्वरक इकाइयों के पुनरूद्धार की योजना के अंतर्गत उर्वरक विभाग द्वारा, आरसीएफ को उड़ीसा के तलचर में फर्टिलाइजर कॉरपोर्रेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) इकाई का फीडस्टॉक के रूप में कोयला गैसीकरण मार्ग के माध्यम से पुनरुद्धार करने हेतु तीन भागीदारों में से एक के रूप में नामित किया गया है। इस परियोजना में 2200 एमटीपीडी अमोनिया संयंत्र और 3850 एमटीपीडी यूरिया संयंत्र की उत्पादन क्षमता शामिल है।

परियोजना के लिए आवश्यक भूमि और कुछ सुविधाएं एफसीआईएल द्वारा प्रदान की जा रही हैं। परियोजना मेसर्स एयर प्रोडक्ट्स (तत्कालीन मेसर्स शेल इर्स्टन्स) से अत्याधुनिक कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।

अनुमानित परियोजना पूंजीगत लागत रु.13,277 करोड़ (आरसीएफ शेयर प्रस्तावित इक्विटी भागीदार होने के कारण रु.1,184 करोड़ है)। कोयला गैसीकरण और अमोनिया–यूरिया संयंत्रों हेतु आशय पत्र (लेटर ऑफ इंटेंट) (एलओआई) को क्रमशः 11 सितंबर और 19 सितंबर 2019 को मैसर्स वुहान द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

अन्य साइट गतिविधियां प्रगति पर है। यह परियोजना देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका लक्ष्य प्राकृतिक गैस के स्थान पर घरेलू स्रोतों से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कोयले के फीड स्टॉक के वैकल्पिक स्रोत के उपयोग को प्राप्त करना है। इस परियोजना की सफलता एक निर्णायक पहलू साबित होने की उम्मीद है, और यह आरएलएनजी आयातों को कम करने की दिशा में कोयला से रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन हेतु एक मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे देश के पूर्वी हिस्से के लिए आवश्यक यूरिया उत्पादन क्षमता को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

- **ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) – नामरूप इकाई का पुनरुद्धारः**

बीवीएफ़सीएल परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम में प्रस्तावित शेयर धारिता एनएफ़एल 28%, ऑयल इंडिया लिमिटेड 18%, आरसीएफ़ 17%, बीवीएफ़सीएल 11% और असम सरकार 26% है। प्रस्तावित परियोजना 1.27 लाख मी.टन प्रति वर्ष की क्षमता के यूरिया संयंत्र के लिए है। अनुमानित परियोजना लागत लगभग 7628 करोड़ रुपए है। परियोजना के लिए संभाव्यता अध्ययन पीडीआईएल द्वारा किया जा रहा है।

5. मानव संसाधन प्रबंधनः

5.1 जन शक्ति : 1 नवम्बर 2021 को कर्मचारियों की संख्याः

समूह	01.11.2021 को कुल	अजा	अजजा	अपिव	पीडब्ल्यूबीडी	पूर्व-सैनिक	अल्पसंख्यक
ए	1301	224	72	226	15	0	72
बी	794	99	75	119	10	1	43
सी	596	87	54	185	12	2	35
डी	8	3	1	3	1	0	1
योग	**2699**	**413**	**202**	**533**	**38**	**3**	**151**

अजा/अजजा, पूर्व–सैनिक, दिव्यांग और अन्य पिछड़े वर्ग के रोजगारः

भर्ती और पदोन्नति में अजा/अजजा, पूर्व–सैनिक, दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के बारे में दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। कुल 2699 कर्मचारियों में 413 अजा, 202 अजजा, 533 अपिव, 3 पूर्व सैनिक और 38 पीडब्ल्यूबीडी कंपनी की नामावली पर हैं।

5.2 शिकायत निवारणः

कार्मिकों से संबंधित मामलों में कंपनी द्वारा एक शिकायत निवारण प्रणाली ऑनलाइन/ऑफलाइन विकसित की गई है। कामगारों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रबंधन और कामगारों की समान प्रतिनिधित्व के साथ एक सांविधिक शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया गया है। जनता की शिकायतों के लिए कंपनी ने अपने वेबसाइट पर "ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण सिस्टम" शुरु किया है। कोई भी पीड़ित व्यक्ति पंजीकरण के लिए समर्पित नंबर के माध्यम से कंपनी से संपर्क कर सकता है।

- **अजा/अजजा शिकायत कक्षः** सभी आरक्षण श्रेणी के कर्मचारी अपनी शिकायतों के समाधान के लिए किसी भी समय संपर्क अधिकारी से सहायता/परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क अधिकारी द्वारा अजा/ अजजा कर्मचारियों की शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक रजिस्टर रखा गया है। शिकायतों का समाधान तत्परता पूर्वक किया जाता है। कंपनी के शिकायत निवारण कक्ष द्वारा अजा/अजजा श्रेणी के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की शिकायतों का ध्यान रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अजा कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए एक शिकायत समिति गठित की गई है।

- **यौन उत्पीड़न कक्षः** आरसीएफ ने कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 21 (1) के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति (आरसीएफ आईसीसी) का गठन किया है।

- आंतरिक शिकायत समिति प्रत्यक्ष या प्रबंधन के माध्यम से कार्य–स्थल पर महिला/पुरुष से प्राप्त यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जांच करती है और इसकी रिपोर्ट प्रबंधन को प्रस्तुत करती है। कक्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट को कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करता है। अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार घोषणा कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की जाती है।

5.3 अल्पसंख्यंकों का कल्याण

कल्याण के उपायः

- दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन : आरसीएफ दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में नीतियों को लागू करने के लिए उचित ध्यान रखता है। इस बारे में नियम के अनुसार दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षण रोस्टर रखा गया है। पीडब्ल्यूडी के लिए नीति को लागू करने के लिए एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है।

- अल्पसंख्यकों का कल्याण और डीलरशिप में आरक्षणः आरसीएफ ने नीति के रूप में भर्ती चयन बोर्ड में अल्पसंख्यंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है ताकि सेवाओं में अल्पसंख्यकों

की पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जा सके।

- महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण और जेंडर मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए किए गए प्रयास और पहल। आरसीएफ में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए विकास, प्रशिक्षण, चुनौतीपूर्ण कार्य, सीखने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। तकनीकी क्षेत्रों में ॲप्रेंटिस / प्रचालक प्रशिक्षणों में महिलाओं को उचित संख्या में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है।

- महिलाएं तकनीकी / गैर तकनीकी / प्रबंधन के पदों पर कार्यरत है और उनमें से कुछ तो संगठन में उच्च प्रबंधन पदों तक गई हैं। कल्याण और कर्मचारी लाभ योजनाओं को आरसीएफ के महिला और पुरुष कर्मचारियों के लिए समान रूप से लागू है।

- आरसीएफ 'कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के शून्य सहनशीलता की पॉलिसी' और लिंग समानता पर नीति जारी करने में अग्रणी रहा है। आरसीएफ ने कार्य–स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण,निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 21 (1) के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया है। कमेटी के रिपोर्ट की मुख्य बातों को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है।

- मातृत्व लाभ, नर्सिंग अवकाश इत्यादि जैसे कानूनी जरुरतों के अनुसार सभी लाभ महिला कर्मचारियों को दिए जाते हैं। महिलाओं के लिए विशेष जांच / कैंपों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मातृत्व अवकाश को 180 दिनों तक और गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन या गर्भपात के लिए अवकाश को 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर अवकाश को 90 दिन कर दिया गया है। पुरुष कर्मचारियों को अधिकतम दो जीवित बच्चों के लिए अधिकतम 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की अनुमति है।

- आरसीएफ सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम (विप्स) की स्थापना (1990) से ही एक अग्रणी सदस्य रहा है।

- इस पहल को मजबूत करने के लिए, कंपनी की अपनी जेंडर समानता नीति है और जेंडर मुख्य धारा की गतिविधि के लिए जेंडर बजट प्रदान किया गया है।

5.4 प्रशिक्षण

डिप्लोमा / बी.एससी. विद्यार्थियों के लिए संयंत्र प्रचालन, संयंत्र प्रक्रियाओं और अनुरक्षण, सुरक्षा विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कौशल भारत (स्किल इंडिया) के तहत, आरसीएफ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।

6. सीएसआर एवं निरंतर विकासः

"निगमित सामाजिक दायित्व" के अंतर्गत अभियानों के अंग के रूप में राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ) ने स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण विकास, कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में कई परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों के लाभ और सामान्य भलाई के लिए है। यह परियोजना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप है। आरसीएफ ने वर्ष 2020–21 में सीएसआर गतिविधियों पर रु.4.21 करोड़ व्यय किया किया। संक्षेप में गतिविधियां निम्नवत हैं:

- **समीप के गांवों को पीने के पानी की आपूर्ति:** आरसीएफ इकाई के, पानी संचय से बिछाई गई पाइप लाइन थल इकाई के आस–पास के सात गांवों को पिछले 25 वर्षों से पीने का पानी दे रहा है। गावों के 17,900 से अधिक निवासियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया।

- **स्वच्छ भारत अभियान :** स्वच्छता को बढ़ावा देने और आस–पास के क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने के लिए, आरसीएफ ने रायगढ़ जिले में कुरुल और नवगांव ग्राम पंचायत के लिए 2 कचरा वैन प्रदान की हैं।

- **सामान्य संरचना को बनाए रखना:** आरसीएफ ने थल पालथी से नवगांव क्रीक के पास और चोंढ़ी नाका से किहिम थल यूनिट तक स्थानीय सड़कों की मरम्मत की है।

- **जीवंतता संवर्धन परियोजनाए :** आरसीएफ ने थल के समीप के जरुरतमंद गावों में धान, फल सैप्लिंग और मुफ्त उर्वरकों की भी आपूर्ति की है ।

- **स्वास्थ्य देखभाल:** आरसीएफ ने बाहर के गरीब मरीजों के इलाज के लिए सुश्रुत अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान की है। आरसीएफ 15 साल से अधिक समय से यह सुविधा प्रदान कर रहा है।

- **महिला अधिकारिता:** वंचित महिलाओं की आजीविका का समर्थन करने के लिए, आरसीएफ ने चेंबूर में मलिन बस्तियों की वंचित महिलाओं को मिनी आटा मिलों और सिलाई मशीनों के वितरण के लिए अस्मिता महिला मंडल को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

- **महत्वाकांक्षी जिला (उस्मानाबाद):** भारत–सरकार ने विषय आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए राष्ट्रीय प्राथमिकता पर ध्यान रखकर सीएसआर निधियों का उपयोग करने के लिए सीपीएसईज के दिशानिर्देश जारी किए हैं। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार वर्ष 2020–21 के लिए सामान्य विषय की पहचान स्वास्थ्य देखभाल और पोषण थी। कंपनी ने "स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण" हेतु सीएसआर निधि का उपयोग करने के लिए महत्वाकांक्षी जिले के रूप में "उस्मानाबाद" को चुना है। उस्मानाबाद में निम्नलिखित योजनाएँ अपनाई गईं।

  - ग्राम पंचायत बरौली, जिला उस्मानाबाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

  - जनस्वास्थ्य केंद्र रुग्ण कल्याण समिति, बेम्बली थल और जिला उस्मानाबाद को चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी गई।

  - आरसीएफ लि. ने अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों को उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इष्टतम कौशल और समाधान फाउंडेशन (OSSF) को वित्तीय सहायता प्रदान की। कुल 100 छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया।

- **कोविड 19 महामारी में सहायता :** आरसीएफ ने साल 2020–21 में 50 लाख रुपये पीएम केयर फंड में जमा किए हैं। यह एक समर्पित कोष है जिसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात स्थिति या संकट की स्थिति से निपटना है, जैसे कि कोविड–19 महामारी द्वारा उत्पन्न।

  आरसीएफ ने अलीबाग में जिला सरकारी अस्पताल को एक्स–रे मशीन, सीटी स्कैन मशीन, मेडिकल टेस्टिंग किट आदि जैसे

चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

आरसीएफ ने कोविड–19 मामलों को नियंत्रित करने के लिए चेंबूर में मलिन क्षेत्रों में वितरण के लिए ऑक्सीमीटर और थर्मल थर्मामीटर की खरीद के लिए मेसर्स श्री राधा फाउंडेशन को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। इससे लोगों को बुखार और ऑक्सीजन की कमी जैसे संभावित लक्षणों की जांच और निगरानी और निदान करने और लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता देने में मदद मिली।

- **किसान ज्ञान केंद्रः** आरसीएफ के पास दो ज्ञान केंद्र एक नागपुर (महाराष्ट्र) में और दूसरा थल (जिला–रायगढ़, महाराष्ट्र) में है। क्षेत्रीय कृषि विश्वविद्यालयों से किसानों को नियमित रूप से मार्गदर्शन दिया जाता है।

- आरसीएफ द्वारा अपने दोनों ज्ञान केंद्रों पर आयोजित किए जाने वाले मौजूदा कृषि ज्ञान कार्यक्रमों के अलावा, अखिल भारतीय स्तर पर कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के सहयोग से कृषि ज्ञान कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

- **कृषि मेला और प्रदर्शनीः** ऐसे क्षेत्रों में कृषि मेला का आयोजन किया जाता है जहां प्रमुख फसलों और नकद फसलों की खेती की जाती है। कृषि मेला के दौरान फसलों और उर्वरक उत्पादों, खेतों में उनके प्रयोग के बारे में साहित्य वितरित किया जाता है। उपायों के संवर्धित और नए पैकेज के साथ उगाए जाने वाले क्षेत्रों पर विचार करते हुए ब्लॉक/जिला स्तर विशेषकर मेलों/ग्रामीण समारोहों में कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

- **मृदा परीक्षण सेवाएंः** आरसीएफ के पास पूरे भारत में दस स्थायी और छह चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। भारतीय कृषक समुदाय के लिए प्रतिबद्धता के रूप में आरसीएफ मुफ्त में मृदा नमूनों का विश्लेषण करता है। आरसीएफ के एनपीके और माइक्रो न्युट्रिएंट मृदा नमूना विश्लेषण की क्षमता लगभग 1,18,000 मृदा नमूना है। मृदा परीक्षण दिवस आमतौर पर किसानों के खेतों में आयोजित किए जाते हैं जहां मिट्टी के नमूने संग्रह या उर्वरक के उपयोग के दौरान प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। मृदा नमूना इकट्ठा करना, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, फसल सुरक्षा जैसे कृषि से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाती है। एनपीके और माइक्रो न्युट्रिएंट तत्वों के लिए मृदा नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। मृदा विश्लेषण के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है।

- **किसान सुविधा केंद्रः** कृषक समुदाय को कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से अच्छी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए आरसीएफ ने पूरे भारत में 150 "किसान सुविधा केंद्रों" की स्थापना की गई है। इन किसान सुविधा केंद्रों की स्थापना आरसीएफ के डीलरों के साथ मिलकर की गई है। यह केंद्र, बीज नमूना एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड सौंपने, फसल बुवाई तकनीक पर परामर्श सेवाएं देने, मौसम की रिपोर्ट और ऐसी अन्य बहुत सी सेवाएं प्रदान करने के रूप में कार्य करके किसानों की सहायता करते हैं।

- **सोशल मिडिया के माध्यम से शिक्षा :** आरसीएफ ने "आरसीएफ किसान मंच" के नाम से एक फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्ट्राग्राम अकाउंट शुरु किया है। सोशल मिडिया चैनल के माध्यम से आरसीएफ नई कृषि तकनीक, विभिन्न कृषि फसलों के बारे में जानकारी, औषधीय पौधों एवं स्वास्थ्य संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता पैदा कर रहा है।

आरसीएफ ने "आरसीएफ किसान मंच" नामक एक मोबाइल अप्लिकेशन (ऐप) भी विकसित किया है। मोबाइल अप्लिकेशन मराठी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

- **किसान केयर टोल–फ्री कॉल सुविधा (1800–22–3044):** आरसीएफ किसानों की सहायता के लिए एक ग्राहक सुविधा नं. (022 – 2552 3044) और टोल–फ्री हेल्पलाइन किसान केयर नं. (1800–22–3044) चलाता है। उर्वरकों के प्रयोग, मृदा परीक्षण, फसलों, विभिन्न फसलों के बुवाई उपाय, किस्म, कीट, रोग, खरपतवार नियंत्रण, मौसम रिपोर्ट, डीलरशिप, आरसीएफ शेती पत्रिका की सदस्यता इत्यादि के उपयोग के बारे में किसानों को सूचना दी जाती है। आरसीएफ द्वारा इन सेवाओं को प्रमुख रूप से महाराष्ट्र के किसानों को दिया जाता है। लेकिन यह देखा गया है कि कॉल कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा के सीमावर्ती जिलों से आते हैं।

- **आरसीएफ शेती–पत्रिका (मराठी में मासिक किसान ज्ञान पत्रिका):** मासिक कृषि पत्रिका "आरसीएफ शेती पत्रिका" का प्रकाशन महाराष्ट्र कृषक समुदाय के लिए किया जाता है। शेती पत्रिका में कृषि से संबंधित सभी अद्यतन और वर्तमान विषयों को शामिल किया जाता है। विषयों में फसलों के बुवाई उपायों, उर्वरकों के संतुलित प्रयोग, औषधीय पौधों के महत्व, सब्जियों और फूलों की खेती के बारे में अद्यतन सूचना शामिल होती है। कन्नड़ और हिंदी में उसी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी किसानों को उपलब्ध कराया गया है।

7. संगठन के कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु प्रयास

- जैसाकि ऊपरोक्त (बिन्दु 4.2) वर्णित है, ऊर्जा बचत योजनाएं पहले से ही आरसीएफ थळ और ट्रॉम्बे इकाइयों पर कार्यान्वित की जा रही हैं, और वे कार्यान्वयन चरण में हैं।

- प्रमुख ऊर्जा बचत योजनाओं के अलावा (बिंदु 4. 2) में उल्लिखित, कुशल उपयोगिता प्रबंधन और संयंत्रों के दैनिक प्रचालन में प्रक्रिया अनुकूलन पर जोर दिया गया है।

- कम करने, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण पद्धति को अपनाने से प्राकृतिक संसाधनों की खपत को अनुकूलित करने में मदद मिली है।

- प्रदर्शन सुधार के अवसर का लाभ उठाने के लिए दोनों इकाइयों में सुझाव योजनाओं, पांच एस, गुणवत्ता सर्कल आदि जैसे कर्मचारी जुड़ाव अभियान का आयोजन किया गया।

- उर्वरक क्षेत्र में अन्य उर्वरक कंपनियों के साथ सहकार्य में अनुसंधान और विकास/नवाचारों की गतिविधियों हेतु, भारतीय उर्वरक एवं उर्वरक प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद (आईसीएफएफटीआर) के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत।

- अनुसंधान और विकास टीम नैनो फर्टिलाइजर्स, फसल विशिष्ट जैव उर्वरकों के विकास पर कार्य कर रही है और जैव उर्वरकों के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रही है।

- इनके अलावा, कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार के लिए और कार्यस्थल संबंध परामर्श कार्यक्रमों में सुधार के लिए विभिन्न पहल, मध्यावधि सुधार योजना, E1 ग्रेड से E3 ग्रेड तक पदोन्नति के लिए पेपर मूल्यांकन और अगले उच्च ग्रेड आदि के लिए पात्र सीएम/एजीएम, डीजीएम और जीएम/सीजीएम का 360 डिग्री मूल्यांकन शुरू किया गया है।

7.8 ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)

1. संगठन का संक्षिप्त विहगावलोकनः

ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) को हिंदुस्तान फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड से असम की नामरूप इकाई के डी–मर्जर के बाद 5 अप्रैल 2002 को निगमित किया गया था। इसमें दो चालू अमोनिया–यूरिया इकाइयाँ नामतः नामरूप –II और नामरूप–III हैं, जिन्हें मूल रूप से क्रमशः 1976 और 1987 में आरंभ किया गया था । इसके निगमित और पंजीकृत कार्यालय भी नामरूप में स्थित हैं।

31.03.2021 को कंपनी की शेयर पूंजी और प्रदत्त पूंजी क्रमशः 510 करोड़ रु. और 365.83 करोड़ रु. थी।

2. विजन / मिशनः

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का एक दक्ष, किफायती और पर्यावरण अनुकूल तरीके से एक महत्वपूर्ण उत्पादक बने रहना और पूर्वी भारत में कृषि सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करना। सिंगल सुपर फास्फेट (एसएस), नैनो यूरिया आदि जैसे अन्य उर्वरकों के उत्पादन को वैविध्यीकृत करना तथा आयातित यूरिया और अन्य कृषि उत्पादों के व्यापार के माध्यम से राजस्व अर्जन में भी वृद्धि करना।

3. औद्योगिक /व्यावसायिक प्रचालन (पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के अनुमान):

3.1 वास्तविक निष्पादन (संस्थापित क्षमता की तुलना में):

उत्पादन	संस्थापित क्षमता (एमटीपीए)	2020-21 (पिछला वर्ष)		2021-22 (वर्तमान वर्ष)		
		उत्पादन (मी. टन)	क्षमता उपयोग (%)	उत्पादन 27 नवम्बर, 2021 तक (मी.टन)	2021-22 के लिए अनुमान (मी.टन)	अनुमानित क्षमता उपयोग (%)
यूरिया* (नामरूप-II)	240000	2022	0.84	0	0	0
यूरिया (नामरूप-III)	270000	129858	48.10	109122	60878	170000
कुल	510000	155992	30.59	109122	60878	170000

'अमोनिया संयंत्र के संश्लेषण खण्ड में बड़ी खराबी के कारण नामरूप–।। संयंत्र 06.01.2021 से बंद रहे। इससे पहले, अनुबंधित मात्रा से अधिक प्राकृतिक गैस की अनुपलब्धता के कारण, यूरिया संयंत्र की केवल एक स्ट्रीम को 120000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की प्रभावी स्थापित क्षमता के साथ चलाया जा रहा है।

निष्पादन में प्रमुख विचलन के कारण, यदि कोई हों: संयंत्र के पुराने हो जाने के कारण उपकरण ब्रेकडाउन तथा निधि की कमी के कारण संयंत्रों का कोई उन्नयन (अपग्रेडेशन) नहीं।

3.2 वित्तीय निष्पादन

(रू. करोड़ में)

मापदंड	2020-21 वर्ष के लिए	2021-22 नवम्बर '21 तक (अनंतिम)	2021-22 (अनुमानित)
कारोबार	223.18	133.18	422.88
कर पूर्व लाभ (+/-)	(-) 137.75	(-) 81.41	(-) 96.41
निवल लाभ (+/-) (पीएटी)	(-) 137.75	(-) 81.41	(-) 96.41

3.3 विपणन निष्पादन

उत्पादन श्रेणी	विपणन	**2020-21** के दौरान बिक्री (एमटी)	नवम्बर **2021** तक बिक्री (एमटी)	**2021-22** के लिए बिक्री अनुमान (एमटी)
बीवीएफसीएल के अपने उत्पाद	नीम लेपित यूरिया	**137569.455**	**93577.905**	**170000.00**
	जैव-उर्वरक	**13.4 & 3.084**	**17.644**	**45 MT**
	वर्मी कम्पोस्ट	**80.194**	**62.705**	**100 MT**
ट्रेडेड उत्पाद	एनएफएल यूरिया	**18668**	**21235.05**	**36400.00**
	एम.ओ.पी	**8971**	**2724.8**	**18700.00**
	एस.एस.पी	**23340**	**0**	**43640.00**
	डी.ए.पी	**565**	**0**	**11350.00**
	शहरी कम्पोस्ट	**1202**	**335**	**1500.00**
	रॉक फॉस्फेट	**7598**	**0**	**7800.00**
	जिंक सल्फेट	**160**	**108.2**	**846.00**
	बोरोन	**22**	**1.2**	**110.00**
	कीटनाशी	**-**	**2.04** लाख	**7.00** करोड़ रुपये
	एचआईएल नेट	**-**	**सं. 7550**	**सं. 50000**
	मैग्नीशियम सल्फेट	**-**	**-**	**140.00**
	अमोनियम सल्फेट	**-**	**-**	**10400.00**
	मिश्रित उर्वरक	**-**	**-**	**5200.00**

कारोबारी व्यवसाय को अधिकतम करने के लिए नयी पहल के रूप में कंपनी मेसर्स हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड, मेसर्स एग्रोलाइफ साइंस कार्प. लिमिटेड और मेसर्स बीईसी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के साथ पहले ही गठजोड़ कर चुकी है।

4.1 नए निवेश और परियोजनाएं

अप्रचलित प्रौद्योगिकी और उपकरण फेल्योर के कारण बीवीएफसीएल संयंत्र कम निष्पादन कर रहे हैं। संयंत्र की क्षमता वर्तमान के न्यूनतम आर्थिक आकार से बहुत कम है और नियोजित प्रौद्योगिकी वर्तमान में संयंत्र के बराबर ऊर्जा दक्षता के लिए कोई लाभकारी नहीं है। अनुभवी और योग्य जनशक्ति की गंभीर कमी भी इसके निष्पादन को काफी हद तक प्रभावित कर रही है।

उपलब्ध प्राकृतिक गैस का सर्वोत्तम उपयोग करने और कंपनी का पुनरुद्धार करने के लिए,

पीपीपी मोड पर नामरूप में एक नए बड़े आकार के ब्राउनफील्ड अमोनिया–यूरिया संयंत्र की स्थापना तथा प्रस्तावित नए संयंत्र के चालू होने तक कंपनी के वित्तीय पुनर्गठन द्वारा अल्पावधि सततता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रस्ताव के अनुसार, इस परियोजना की 48% इक्विटी को नामांकन के आधार पर आवंटित किया जाना था और परियोजना की शेष 52% इक्विटी बोली के माध्यम से निजी / सार्वजनिक संस्था को आवंटित की जानी थी। 21 मई 2015 को आयोजित बैठक में प्रस्तावों को केंद्रीय मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त हुआ। तथापि, बोली प्रक्रिया के माध्यम से किसी निजी/सार्वजनिक साझेदार को 52% इक्विटी आवंटित करने का प्रयास किसी भी परिणाम को प्राप्त करने में विफल रहा।

कंपनी के संबंध में आत्मनिर्भर भारत की स्थिति रिपोर्ट:

1960 और 1970 के दशकों में स्थापित दो बहुत पुराने डिज़ाइन के संयंत्रों को बहुत ही कम उत्पादन लागत पर चला कर स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके कंपनी आत्मनिर्भर भारत में बहुत योगदान दे रही है। संयंत्र निकटवर्ती क्षेत्रों से केवल एपीएम प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहा है और इस तरह आयातित एलएनजी/आरएलएनजी आदि पर कोई निर्भरता नहीं है। इसके अलावा, क्योंकि संयंत्र बहुत पुराने हैं, इसलिए अधिकांश कल–पुर्जों को अब स्थानीय विक्रेताओं को तैयार करके स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाता है ।

प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

क). वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान, कंपनी ने केवल निकटवर्ती गैस/तेल क्षेत्रों से उपलब्ध सस्ते प्राकृतिक गैस का उपयोग किया है और किसी भी एलएनजी/आरएलएनजी या अन्य आयातित फीडस्टॉक का उपयोग नहीं किया है। संयंत्रों के अपने प्रभावी जीवनकाल को पार कर लेने तथा बार–बार फेल्योरों के बादजूद स्थानीय प्राकृतिक गैस के उपयोग से सस्ते स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा में उल्लेखनीय बचत की गई है, अन्यथा यूरिया कमी को पूरा करने के लिए आईपीपी दर पर आयात करना होता।

ख). आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए यूरिया के उत्पादन को तीन गुना से अधिक बढ़ाकर यूरिया आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए बड़ी क्षमता की नई आधुनिक परियोजना स्थापित करके मौजूदा संयंत्रों को बदलने का प्रस्ताव उर्वरक विभाग के विचाराधीन है।

ग). अन्य परियोजनाओं, जो अपनी फीडस्टॉक आवश्यकता के लगभग 30% के लिए आरएलएनजी पर निर्भर हैं, के विपरीत मौजूदा संयंत्र और प्रस्तावित परियोजना पूरी तरह से मेसर्स ओआईएल के निकटवर्ती क्षेत्रों से उपलब्ध घरेलू प्राकृतिक गैस पर आधारित होगी। इससे आत्मनिर्भरता योजना को बहुत बढ़ावा मिलेगा।

घ). जब देश में यूरिया उत्पादन में आत्म–निर्भरता प्राप्त हो जाएगी, तब इस परियोजना से पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार आदि को इन देशों से इनकी निकटता और अच्छी कनेक्टिविटी के कारण यूरिया निर्यात किए जाने की बहुत अधिक संभावना है। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में 2.0 लाख मी.टन से अधिक यूरिया नेपाल को पहले ही निर्यात कर दिया है। यह 'मेक इन इंडिया' के साथ–साथ 'मेक फॉर वर्ल्ड' के लिए माननीय प्रधान मंत्री के विजन को बढ़ावा देगा।

4.2 रुग्ण/कमजोर इकाइयों का पुनरुद्धार – स्थिति / कार्य योजना:

सभी नामरूप संयंत्र 1960 और 70 दशकों के

दौरान उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। इसलिए ऊर्जा की खपत आधुनिक संयंत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। जैसे–जैसे प्रौद्योगिकी अप्रचलित हो गई हैं, मशीनरी/उपकरणों के रखरखाव और प्रतिस्थापन के लिए कल–पुर्जों की उपलब्धता और अधिक मुश्किल होती जा रही है। मशीनें पुरानी होने के कारण रखरखाव की आवृत्ति और मात्रा भी अधिक है।

उर्वरक विभाग ने बीवीएफसीएल को निर्देश दिया है कि वे विभिन्न मुद्दों जैसे लीन गैस की आपूर्ति आदि के कारण बीवीएफसीएल नामरूप–II और नामरूप–III के लिए उर्जा खपत मानदंड में संशोधन की आवश्यकता के बारे में परामर्शदाता से संपर्क करें। तदनुसार, मैसर्स पीडीआईएल को दिनांक 25.09.2019 को कार्य आदेश जारी किया गया था और मैसर्स पीडीआईएल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने नामरूप–II के लिए 18.10 जी केल/मीट्रिक टन तथा नामरूप–III के लिए 13.24 जी केल/मीट्रिक टन के नए ऊर्जा खपत मानदंडों का प्रस्ताव किया है। यूरिया की रियायती कीमत और बीवीएफसीएल नामरूप–II और नामरूप–III संयंत्रों के विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड में संशोधन के लिए दिनांक 24.02.2020 को उर्वरक विभाग को कई पत्र भेजे गए थे।

5. मानव संसाधन प्रबंधन

I. जन शक्ति (01.11.2021 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कुल कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या				
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	भूतपूर्व सैनिक	शारीरिक रूप से विकलांग	अन्य पिछड़ा वर्ग
क	217	21	19	0	0	58
ख	153	10	32	0	0	52
ग	60	5	6	0	1	19
घ	12	3	2	0	0	7
कुल	442	39	59	0	1	136

II. शिकायतों का निवारणः

बीवीएफसीएल में शिकायतों के निवारण हेतु एक शिकायत निवारण समिति है। वित्त वर्ष 2021–2022 के दौरान अर्थात 1 अप्रैल 2021 से अब तक (अर्थात 01.11.2021 तक) समिति को एक कर्मचारी से एक शिकायत प्राप्त हुई है और उसका उचित निपटान निवारण कर दिया गया है।

III. अल्पसंख्यकों का कल्याण

बीवीएफसीएल नियुक्ति, पदोन्नति आदि के समय अल्पसंख्यकों का उचित ध्यान रख रहा है। भर्ती और पदोन्नति के लिए चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया जाता है।

IV- प्रशिक्षण

बीवीएफसीएल में, संयंत्र में और क्लासरूम व्याख्यान दोनों के माध्यम से इन–हाउस प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों के बेहतर निष्पादन हेतु कौशल विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। पूंजी और

प्रशिक्षण संसाधनों की सीमाओं के बावजूद, बीवीएफसीएल विभागों से प्राप्त निष्पादन संबंधी वार्षिक फीडबैक के आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करता है। इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता, प्रवेश अवधि के दौरान प्रदत्त प्रशिक्षण, परवर्ती कार्य प्रदर्शन, निष्पादन पर दी गयी संक्षिप्त फीडबैक तथा साक्षात्कार के विश्लेषण के आधार पर समय–समय पर व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकता का सर्वेक्षण किया जाता है।

इस वर्ष, बीवीएफसीएल के प्रशिक्षण विभाग ने बीवीएफसीएल के कर्मचारियों के लिए लघु अवधि के गुणवत्तापरक कार्यक्रम प्रदान करने हेतु एक प्रशिक्षण कैलेंडर शुरू किया है, ताकि मौजूदा कार्यबल के भीतर ही कौशल प्रबंधन किया जा सके और कौशलों की कमी को पूरा किया जा सके। ये कार्यक्रम आंतरिक रूप से उपलब्ध संसाधन व्यक्तियों के सौजन्य से संचालित किए जा रहे हैं और यह कर्मचारियों को उनकी जानकारी को रिफ्रेश और पुनर्जीवित करने तथा उन्हें वर्तमान चिंतन से पुनः परिचित होने और अंतर्दृष्टि एवं आत्म–समृद्धि में वृद्धि करने का अवसर प्रदान करेगा।

इसके अलावा, बीवीएफसीएल मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) और कौशल विकास मंत्रालय (एमएसडीई), भारत सरकार के राष्ट्रीय प्रशिक्षु संवर्धन योजना (एनएपीएस) पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को भी नियोजित करता रहा है।

उपर्युक्त के अलावा, बीवीएफसीएल ने वास्तविक औद्योगिकी वातावरण से परिचित कराने के उद्देश्य से कई सीएमए प्रशिक्षार्थियों के साथ–साथ कई व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को शामिल किया है।

बीवीएफसीएल ने युवाओं के कौशल विकास के एक अंग के रूप में छात्रों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक निकटवर्ती औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के साथ एक करार भी किया है।

6. सीएसआर और सतत विकासः

दिशानिर्देशों को पूरा न करने के कारण, मेसर्स ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामरूप को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत निधि रखने से छूट दी गई है। तथापि, बीवीएफसीएल स्वेच्छा से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाता है और उनमें संक्षेप में निम्नलिखित शामिल हैंः

क). बीवीएफसीएल एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एक केन्द्रीय विद्यालय और एक आदर्श उच्च विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) के अलावा एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा है। बीवीएफसीएल कॉलोनी क्षेत्र के भीतर रियायती दर पर आवास प्रदान करके एक जूनियर कॉलेज और एक असमिया माध्यम स्कूल को भी सहायता प्रदान करता है।

ख). कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए उचित उपकरणों वाला एक अस्पताल उपलब्ध है। आस–पास के लोगों और ठेका श्रमिकों को भी मामूली शुल्क पर उपचार प्रदान किया जाता है।

ग). निगम नामरूप और आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए पेयजल सुविधा, बाजार, धार्मिक/सांस्कृतिक और अन्य संस्थाओं के लिए भूमि और टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, रोजगार कार्यालय और नागरिक सुरक्षा कार्यालय जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

घ). इलाके में पूर्णतः सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए, समय–समय पर कम्पनी के विशेष कल्याण कोष से पास के शैक्षिक और सामाजिक संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि एम्प्लॉयीज एमेनिटीज फण्ड से कर्मचारियों के बच्चों को उनके शानदार शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए मेधावी पुरस्कार देने के लिए कदम उठाए गए।

ङ). स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के दौरान, बीवीएफसीएल के कर्मचारियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए कुछ जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए और सभी

कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, बीवीएफसीएल के अस्पताल और अतिथि–गृह, दैनिक बाजारों, खेल के मैदानों और बीवीएफसीएल टाउनशिप में सार्वजनिक सड़कों के किनारे सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा, "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन" के विषय में वेबिनार और उर्वरक डीलरों और विपणन कार्यालयों के साथ स्वच्छता/प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में जानकारी के प्रसार और जैव/ऑर्गेनिक उर्वरक/सिटी कम्पोस्ट के संवर्धन के उद्देश्य से वीडियो कॉन्फ्रेंस की भी व्यवस्था की गई।

7. संगठन के निष्पादन में सुधार करने की पहलः

भारत में पहली गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाई होने और सभी बुनियादी ढांचे और फीडस्टॉक आसानी से उपलब्ध होने के बावजूद, लागत प्रभावी तरीके से बीवीएफसीएल की मौजूदा इकाइयों से तर्कसंगत अच्छा उत्पादन स्तर बनाए रखना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। नामरूप–IV और नामरूप–III संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन क्रमशः 44 वर्ष और 33 वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इन संयंत्रों की संकल्पना वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से कई वर्ष पहले की गई थी। इसलिए, ये संयंत्र आजकल उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित नहीं हैं और वर्तमान समय के मानक आकार 12.70 लाख मी.टन प्रतिवर्ष के संयंत्र की तुलना में इसकी उत्पादन क्षमता भी नगण्य है। उपर्युक्त कारणों से इन संयंत्रों में ऊर्जा की खपत भी सदैव बहुत अधिक रही है। अब, 2011 में पीडीआईएल और एचटीएएस द्वारा किए गए हैल्थ स्टडी से पुष्टि की गई कि दोनों संयंत्रों ने अपना प्रभावी जीवनकाल पूरा कर लिया है।

कम क्षमता के उपयोग और उपकरणों की बार–बार मरम्मत के कारण, ये संयंत्र अपने आधुनिकीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली पर्याप्त निधि सृजित करने में विफल रहे हैं जो ऊर्जा कुशल तरीके से संयंत्र के सतत विश्वसनीय प्रचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल के दिनों में संयंत्र के निष्पादन में क्रमशः गिरावट के कारण, कंपनी को संयंत्र के सुरक्षित और स्थिर प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत है। संयंत्र की पुरानी और अप्रचलित प्रौद्योगिकी और आयु के कारण, अप्रत्याशित ब्रेकडाउनों में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में बार–बार रुकावटें आई हैं। इसके कारण निधि की गंभीर कमी हुई है।

व्यवसाय के विविधीकरण द्वारा कंपनी को विकास के पथ पर वापस लाने के लिए हाल ही में शुरू किए गए कुछ कदम और पहले के समाधान के लिए उर्वरक विभाग के साथ लंबे समय से लंबित कुछ मामलों को तेजी से उठाना।

क) नामरूप–II संयंत्रों के बंद रहने के कारण दो गैस टर्बाइन जेनरेटरों में से एक बिजली की कोई मांग नहीं होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से बेकार पड़ा है। इसलिए सभी अनुमतियां प्राप्त करने और कंपनी के लिए वित्तीय लाभ के लिए राज्य/राष्ट्रीय ग्रिड को अधिशेष कैप्टिव पावर अपलोड करने की व्यवस्था करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए हैं।

ख) मेसर्स आईआरईडीए और बीवीएफसीएल के बीच बीवीएफसीएल के लिए अपनी सलाहकार सेवाएं रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बीवीएफसीएल परिसर में रूफ टॉप और खाली जमीन क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त मॉडल विकसित किया जा सके। उत्पादित अतिरिक्त बिजली को कंपनी के लिए आगे की निधि सृजन के लिए बिक्री के लिए राज्य/राष्ट्रीय ग्रिड में भी अपलोड किया जाएगा।

ग) बीवीएफसीएल ने मुक्ता एसएसपी ब्रांड नाम से कंपनी मार्केटिंग नेटवर्क द्वारा विपणन किए जाने वाले लगभग 1.20 एलएमटी प्रति वर्ष एसएसपी का उत्पादन करने के लिए मौजूदा संयंत्रों के विभिन्न बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का उपयोग करके संयंत्र परिसर के भीतर एक नया सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट स्थापित करने की अनुमति के लिए

उर्वरक विभाग से संपर्क किया है।

घ) उत्तर पूर्वी राज्यों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, कंपनी को 40% रियायती मूल्य पर एपीएम प्राकृतिक गैस प्रदान की जा रही है। परंतु, चूंकि यूरिया पूरी तरह से सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य तंत्र के अधीन है और एफआईसीसी केवल वास्तविक चालान राशि के अनुसार यूरिया के रियायती मूल्य की गणना कर रहा है, इसलिए कंपनी को इस संबंध में भारत सरकार की नीति के अनुसार कोई वित्तीय लाभ नहीं मिल रहा है। तदनुसार, उर्वरक विभाग से प्राकृतिक गैस के नॉन–मॉप्ड मूल्य निर्धारण के अनुसार यूरिया के रियायती मूल्य की गणना शुरू करने के लिए संपर्क किया गया है, ताकि आपकी कंपनी मौजूदा संयंत्रों के उन्नयन के लिए शेष राशि का निवेश कर सके। मामला अब नियंत्रक मंत्रालय के सक्रिय विचाराधीन है।

ङ) उर्वरक विभाग ने कंपनी द्वारा भूटान को 1600 मीट्रिक टन तकनीकी ग्रेड यूरिया निर्यात करने की अनुमति पहले ही दे दी है और वास्तविक निर्यात शुरू हो गया है।

च) डिब्रूगढ़ और कोच्चि के बीच यूरिया और अन्य उर्वरकों के परिवहन की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय जल मार्गों, जो प्रगति पर है, के माध्यम से परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति के अनुसार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय से संपर्क किया गया है।

छ) बीवीएफसीएल के भारतीय बंदरगाहों पर संचालन और विभिन्न राज्यों में उसके वितरण के लिए आयातित थोक यूरिया के विपणन के लिए अगली ऑनलाइन सीमित बोली में भी भाग लेने की संभावना है। धीरे–धीरे कंपनी की अखिल भारतीय उपस्थिति के लिए ओडिशा और झारखंड राज्यों में विपणन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इससे आपकी कंपनी को वित्तीय लाभ भी प्राप्त होगा क्योंकि एक अन्य स्वदेशी निर्माण के माध्यम से यूरिया के व्यापार की तुलना में मार्जिन में वृद्धि हुई है।

ज) बीवीएफसीएल पूर्वोत्तर और आसपास के अन्य राज्यों के किसानों को "मुक्ता" यूरिया की आपूर्ति निर्बाध रखने के लिए मौजूदा संयंत्रों को बेहतर दक्षता के साथ चालू रखने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। उर्वरक विभाग के निर्देशानुसार, मेसर्स पीडीआईएल ने मेसर्स बीसीपीएल के चालू होने के बाद आपूर्ति की जा रही गैस की कमी, संयंत्रों की उम्र बढ़ना आदि जैसे विभिन्न कारकों में बदलाव के कारण मौजूदा एफआईसीसी ऊर्जा खपत मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक अध्ययन किया और उन्होंने नामरूप–III में मानदंड को 12.688 जीकैल/एमटी से बढ़ाकर 13.24 जीकैल/एमटी और नामरूप–ण्ण् में 12.61 जीकैल/एमटी से बढ़ाकर भूतलक्षी प्रभाव से 18.12 जीकैल/एमटी करने की सिफारिश की। मामले को उर्वरक विभाग के साथ उठाया गया है। आईपीपी दरों के अनुसार यूरिया के रियायती मूल्य की गणना करके विशेष छूट की अनुमति देने के लिए नियंत्रक मंत्रालय से भी संपर्क किया गया है।

झ) सीसीईए ने संयंत्रों के सुरक्षित और स्थिर संचालन के लिए आवश्यक नवीनीकरण और प्रतिस्थापन कार्यों को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये का वित्तीय सहायता अनुदान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निधि हाल ही में उर्वरक विभाग द्वारा बीवीएफसीएल को उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग नामरूप–III में क्षमता उपयोग को बढ़ाकर 100% करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जाएगा।

स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण विनियमों का अनुपालनः

क). केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम निर्देश के अनुसार, तरल प्रवाह और स्टैक गैस के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की गई थी। अपेक्षित सूचना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्दिष्ट साइट में सतत और सीधे उपलब्ध है।

ख). बीवीएफसीएल प्रचालन के लिए सहमति के नवीकरण के लिए नियमित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन कर रहा है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद इसे नवीनीकृत किया जा रहा है। 2021–22 के लिए प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त कर ली गई है।

ग). कंपनी के पास सम्पूर्ण सुविधायुक्त अग्निशमन केंद्र है जिसमें 3 ऑपरेशनल फायर टेंडर हैं। अग्नि और सुरक्षा विभाग विभिन्न लागू नियमों/क़ानूनों मानदंडों आदि के अनुसार वैधानिक अपेक्षाओं की कड़ी निगरानी कर रहा है।

घ). इसी प्रकार, उत्पन्न हुए सभी हानिकारक कचरे को केवल एमएसटीसी के माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत विक्रेताओं के जरिये निपटाया जा रहा है और हानिकारक अपशिष्ट के उत्पादन/निपटान आदि के संबंध में 5 साल के प्राधिकार के अनुसार विधिवत कार्रवाई कर रहा है।

ङ). बीवीएफसीएल के पास स्टेटिक एंड मोबाइल प्रेशर वेसल्स (अनफायर्ड) रूल्स 2016 एवं गैस सिलेंडर रूल्स 2016 के अनुसार, पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (पीईएसओ) द्वारा जारी किए गए कई लाइसेंस हैं, जिनमें दो 1500 मी.टन तरल अमोनिया हॉर्टन स्फियर, 4 क्लोरीन सिलेंडर स्टोरेज लाइसेंस और एलपीजी और पेट्रोल पंप प्रत्येक के लिए एक लाइसेंस शामिल हैं। ये लाइसेंस नियमित रूप से निरीक्षण के बाद सांविधिक अधिकारियों द्वारा नवीनीकृत किए जा रहे हैं।

च). हानिकारक रसायनों को लागू नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संभाला और संग्रहीत किया जा रहा है।

छ). प्रतिष्ठित परामर्शदाताओं को नियुक्त करके नियमित रूप से बाह्य सुरक्षा लेखा परीक्षा की जा रही है। वित्त वर्ष 2019–20 में, पहली बार वास्तविक प्रचालन स्थिति तथा अनुशंसित मानदंड और अनुज्ञेय सीमा के भीतर किसी भी विचलन, यदि कोई हो, की जाँच के लिए परामर्शदाता नियुक्त करके हेज़ॉप अध्ययन और जोखिम मूल्यांकन अध्ययन किया गया था। उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हो, करने के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट परिचालित की गई हैं।

ज). हानिकारक गैस आदि के किसी भी रिसाव से पड़ोस के क्षेत्र के निवासियों को बचाने के लिए निर्धारित प्रति वर्ष 15.00 करोड़ रुपये का सार्वजनिक देयता बीमा किया जाता है।

झ) बीवीएफसीएल नामरूप पर्यावरण की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी प्रासंगिक और लागू कानूनों/नियमों/मानकों आदि का पालन कर रहा है।

नामरूप–IV परियोजना के लिए माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के साथ बैठक

बीवीएफसीएल नामरूप में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए मेसर्स आईआरईडीए तथा बीवीएफसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

7.9 प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)

1 परिदृश्य

- प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पी डी आई एल) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग के अंतर्गत आईएसओ 9001:2015 एवं आईएसओ 45001:2018 प्रमाणित एवं आईएसओ/आईईसी 17020:2012 प्राप्त मिनी रत्न श्रेणी–1 का भारत सरकार का उपक्रम है। पीडीआईएल एक अग्रणी परामर्शी एवं अभियांत्रिकी संस्थान है जिसने भारतीय उर्वरक उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ।

छह दशकों से अधिक के अनुभव के साथ, पीडीआईएल

- उर्वरक क्षेत्र की परियोजनाओं की परिकल्पना से प्रवर्तन में लाने तक की सेवाओं से संबंधित डिजाइन,अभियंत्रणा एवं अन्य सेवाएं प्रदान करता है;
- अन्य क्षेत्रों जैसे तेल एवं गैस, परिशोधन, रसायन, मूलभूत संरचना, ऑफसाइट एवं यूटिलिटीज में सेवाएं प्रदान करता है;
- तृतीय पक्ष निरीक्षण के लिए प्रमाणित एजेंसी है और तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं नॉन–डेक्ट्रक्टिव टेस्टिंग (एनडीटी) के क्षेत्र में कार्य करता है;

31.3.2021 की स्थिति के अनुसार कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 60 करोड़ रूपये और प्रदत्त पूंजी 17.30 करोड रूपये है ।

2 विजन/लक्ष्य

2.1 विजन

एक अग्रणी अभियांत्रिकी एवं परियोजना प्रबंध परामर्शी संस्थान ।

2.2 लक्ष्य

- सभी ग्राहकों को सर्वथा उपयुक्त लागत, गुणवत्ता एवं समयबद्ध समन्वित तकनीकी वाणिज्य समाधान प्रदान करना ।
- अभियांत्रिकी परामर्श तथा परियोजना प्रबंध में सर्वोत्तम विधाओं का समावेश करते हुए विश्वस्तीय सेवाएं प्रदान करने हेतु अनवरत प्रयास करना।
- कैटलिस्ट एवं अन्य उत्पादों में ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अपने उत्पादन प्रक्रियाओं का विकास, उन्नयन एवं सतत सुधार करना

3.1 औद्योगिक /व्यावसायिक प्रचालन

3.2 वित्तीय निष्पादनः

रूपये करोड़ में

मानक	वर्ष **2020-21** के लिए	अप्रैल से सितम्बर 2021 की अवधि के लिए	**2021-22** के लिए अनुमान (संशोधित अनुमान)*
टर्नओवर	**129.68**	**43.52**	**132.48**
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	**26.25**	**(13.82)**	**5.24**
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	**19.07**	**(13.82)**	**3.92**
लाभांश भुगतान	**7.88**	-	-

*संशोधित अनुमान आंकड़ों को अभी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है ।

4 निष्पादन उपलब्धियां

4.1 नयी परियोजनाएं / निवेश

- मेसर्स ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड, नामरूप के लिए नामरूप (नामरूप–IV) में अमोनिया–यूरिया संयंत्र के लिए ईपीसीएम/पीएमसी सेवाएं ।
- भारत में कोयला/लिग्नाइट से मिथैनॉल/अमोनिया/अमोनियम नाइट्रेट परियोजनाओं के लिए परामर्शी सेवाएं।
- ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनियम परियोजनाओं एवं अमोनियम बाईकार्बोनेट परियोजनाओं के लिए अभियांत्रिकी एवं/अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं।
- भारतनेट फेस–।। की ढीली एवं क्षतिग्रस्त आपटिकल फाइबर केबल के सर्वेक्षण, आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन हेतु जांच और स्वीकृति के लिए तृतीय पक्ष एजेंसी (टीपीए) सेवाएं।
- तेल एवं गैस तथा परिशोधन क्षेत्र की विविध परियोजनाओं हेतु परामर्शी सेवाएं

4.2 रूग्ण / कमजोर इकाइयों के पुनरूद्धार की स्थिति / कार्य योजना – पीडीआईएल पर लागू नहीं ।

5 मानव संसाधन प्रबंधन

5.1 मानव शक्ति

31.3.2021 को कार्मिकों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

31.03.2021 को मानवशक्ति (नियमित, प्रबंध प्रशिक्षु सहित)				
श्रेणी	कुल मानवशक्ति	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि.व.
क	334	52	19	76
ख	22	06	01	05
ग	08	01	0	0
घ	0	0	0	0
कुल	364	59	20	81

5.2 शिकायत निवारण

पीडीआईएल में इकाई प्रधानों के कार्यालयों अर्थात नोएडा एवं वड़ोदरा में शिकायत निवारण तंत्र गठित है। प्रत्येक इकाई के परिसर में शिकायतों के लिए एक बॉक्स रखा हुआ है जिसे शिकायत निवारण तंत्र द्वारा नियमित रूप से खोला जा रहा है। आज की तारीख के अनुसार पीडीआईएल में कोई भी शिकायत लमबित नहीं है। शिकायत निवारण तंत्र का प्रदर्शन हमारी वेबसाइट पर भी किया जा रहा है।

5.3 अल्पसंख्यकों का कल्याण

समय–समय पर जारी सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार पीडीआईएल में भर्ती के समय नियोजन हेतु अल्पससंख्यक अभ्यर्थियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ।

5.4 प्रशिक्षण

पीडीआईएल ने कंपनी में सभी स्थानो पर सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में चिह्नित किया है। कोविड–19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रमुख व्यावसायिक निकायों के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी।

6 निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास

कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर) एवं सतत विकास नीति है और यह वर्ष 2007 से निगमित सामाजिक दायित्व के तहत कार्यकलाप कर रही है।

कंपनी ने अपना सीएसआर बजट कंपनी अधिनियम 2013 एवं सीएसआर के लिए सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आबंटित किया है।

7. संस्थान के निष्पादन में सुधार हेतु प्रयास

संस्थान के समग्र निष्पादन में सुधार हेतु पीडीआईएल द्वारा निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं –

i) **व्यावसायिक स्थिति में सुधार के लिए प्रयास**

- मेसर्स भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली से भारतनेट फेस–। (पैकेज 1, 2 एवं 3) की ढीली एवं क्षतिग्रस्त आपटिकल फाइबर केबल के सर्वेक्षण, आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन हेतु स्वीकृति और जांच के लिए 12.66 करोड रूपये का तृतीय पक्ष एजेंसी सेवाओं का वृहत कार्य प्राप्त किया।

- मेसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के लिए प्रस्तावित जम्मू सामान्य उपयोगकर्ता सुविधा (सीयूपी) डिपो के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं का 8.46 करोड रूपये का वृहत कार्य प्राप्त किया है।

- ग्रीन अमोनिया एवं यूरिया परियोजनाओं और रसायन परियोजनाओं जैसे नाइट्रिक एसिड, मिथैनॉल, अमोनियम नाइट्रेट इत्यादि के लिए अभियांत्रिकी और/अथवा परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाओं हेतु निविदा प्रस्तुत की।

ii) प्राप्त कार्यादेशों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने हेतु लगातार प्रयास करना।

iii) कंपनी के राजस्व अर्जन को प्रभावित किये बिना जहां संभव हो व्यय को नियंत्रित करना (व्यय की निगरानी हेतु इकाई स्तर एवं निगमित स्तर पर समितियां कार्य कर रही है)।

iv) पीडीआईएल के साथ–साथ ग्राहकों/वेंडरों/ठेकेदारों से पेपरलेस कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित करना।

v) समय पर भुगतानों की वसूली के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

पीडीआईएल द्वारा कार्यान्वयन के अंतर्गत उर्वरक परियोजनाएं

एचयूआरएल गोरखपुरः अमोनिया – यूरिया उर्वरक काम्पलैक्स

एचयूआरएल बरौनी : अमोनिया भंडारण टेंक

टीएफएल तालचेर : कोल गैसीफिकेशन परियोजना में पाइप फिटिंग

अध्याय–8

एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन

8.1 राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम)

मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का लक्ष्य मृदा स्वास्थ्य और उसकी उत्पादकता में सुधार करने हेतु मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशें करने हेतु ऑर्गेनिक खाद तथा जैव उर्वरकों के साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषकतत्वों सहित रसायनिक उर्वरकों के तर्कसंगत प्रयोग के माध्यम से एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा देना है।

एसएचएम के तहत घटकों में प्रशिक्षणों तथा प्रदर्शनियों के साथ–साथ नई अचल (स्टेटिक) मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) की स्थापना करना, नई सचल एसटीएल की स्थापना करना, मौजूदा एसटीएल का सुदृढ़ीकरण करना, नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (एफक्यूसीएल) की स्थापना करना, एफक्यूसीएल का सुदृढ़ीकरण करना, जैव–उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना करना, जैव–उर्वरक एवं आर्गेनिक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, आर्गेनिक आदानों को बढ़ावा देना शामिल है।

वर्ष 2020–21 के दौरान बजट अनुमान 324.43 करोड़ रुपये तथा संशोधित अनुमान 229.99 करोड़ रुपये की तुलना में 205.89 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 69 अचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (एसटीएल), 61 एसटीएल का सुदृढ़ीकरण, 01 जैव–उर्वरक और आर्गेनिक उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (बीओक्यूसीएल), 01 नई उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (एफक्यूसीएल), 29 एफक्यूसीएल का सुदृढ़ीकरण, 04 बीएफ/बीपी उत्पादन इकाई का कार्य संस्वीकृत किया गया था, बजट अनुमान 315.00 करोड़ रुपये (सहायता अनुदान) है।

8.2 उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985

किसानों को उनकी मृदा की आवश्यकता के अनुसार अच्छी गुणवत्ता के उर्वरक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की दिशा में भारत सरकार ने विभिन्न रसायनिक उर्वरकों की विशेषताएं एफसीओ की अनुसूची–। (भाग–क) में विनिर्दिष्ट की हैं। वर्तमान में एफसीओ के तहत 12 स्ट्रेट नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक, 5 स्ट्रेट फास्फेटयुक्त उर्वरक, 5 स्ट्रेट पोटाशयुक्त उर्वरक, 2 सल्फर उर्वरक, 19 एनपीके मिश्रित उर्वरक एवं 15 एनपी मिश्रित उर्वरक, 26 पुष्ट उर्वरक, 6 जल में घुलनशील उर्वरक तथा 23 सूक्ष्म पोषकतत्व अधिसूचित हैं। पादप पोषकतत्वों की टोलरेंस लिमिट तथा फिजिकल पैरामीटर का प्रावधान एफसीओ अनुसूची–। (भाग–ख) में दिया गया है।

आर्गेनिक तथा जैव–उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर, एज़ोस्पिरिलम, फॉस्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटाश जुटाने वाले

बैक्टीरिया (केएमबी), जिंक सोलूबिलाइजिंग बैक्टीरिया (एएनएसबी), माइकोराइजा, एसिटोबैक्टर, फॉस्फेट सॉल्यूबिलाइजिंग फंगल बायो फर्टिलाइजर और जैव–उर्वरकों के कंसोर्टिया को एफसीओ, 1985 में शामिल किया गया है। ऑर्गेनिक खाद तथा जैव समृद्ध ऑर्गेनिक खाद, शहरी कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, फास्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम), बोन मील रॉ और बोन मील रॉ, बोन मील स्टीम्ड तथा रोडोफाइट्स से प्राप्त पोटाश की विशेषताएं एफसीओ अनुसूची–IV के तहत विनिर्दिष्ट हैं। इसके अलावा, अखाद्य खली/कैस्टर ऑयल खली उर्वरकों की विशेषता एफसीओ अनुसूची–V के तहत अधिसूचित ळें

उपर्युक्त के अलावा, किसानों के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बायो–स्टिमुलेंट्स की विशिष्टियों को एफसीओ की अनुसूची–VI में शामिल करने हेतु दिशा–निर्देश 23 फरवरी, 2021 को अधिसूचित किए गए हैं। साथ ही, नये नवोन्मेषी उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए नैनो उर्वरकों की विशिष्टियां भी 20 फरवरी, 2021 को एफसीओ में अधिसूचित की गई हैं।

8.3 शहरी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने संबंधी नीति

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2014 को स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में शहरों और गांवों में सामान्य स्वच्छता और साफ–सफाई को सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया। कम्पोस्ट के रूप में शहरी अपशिष्ट का प्रसंस्करण और उपयोग भारत सरकार के 'स्वच्छ भारत अभियान' का पूर्ण रूप से संपूरक है। कम्पोस्ट भारतीय मृदा में कम जैविक कार्बन की भरपाई करने के अलावा सूक्ष्म पादप पोषकतत्वों की आपूर्ति करने और नियत फॉस्फोरस को अनलॉक करते हुए नाइट्रोजन लीचिंग में कमी सहित कई भौतिक, रासायनिक और जीव वैज्ञानिक प्रभाव डालती है। ऑर्गेनिक खाद के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (एनपीके) की अधिकतम खुराक का एकीकृत उपयोग सतत रूप से बेहतर पैदावार सुनिश्चित करता है और कुछ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी ठीक करता है।

2. कम्पोस्टिंग अपशिष्ट को उपयोगी उप–उत्पादों में परिवर्तित करके लैंडफिल/डंपसाइट में अपशिष्ट की मात्रा को कम कर सकती है। यह पर्यावरण को प्रदूषित करने के अलावा भूजल को प्रदूषित करने वाली हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों (विशेषकर मीथेन) और विषाक्त पदार्थों के उत्पादन को भी रोकता है। शहरी अपशिष्ट कम्पोस्टिंग शहरी क्षेत्रों में रोजगार भी पैदा करेगी।

3. भारत सरकार ने शहरी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने संबंधी एक नीति को अनुमोदित किया है। उर्वरक विभाग द्वारा 10.02.2016 को सरकार के अनुमोदन की सूचना देने वाली एक अधिसूचना जारी की गयी थी जिसमें शहरी कंपोस्ट के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने हेतु 1500/– रुपए प्रति एमटी की बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की गई थी। शहरी कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उर्वरक कंपनियों ने 498 गांवों को गोद लिया है। शहरी कम्पोस्ट के बेहतर समन्वय और संवर्धन हेतु राज्यों से राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित करने के लिए कहा गया है। 15 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की गई है। विपणन कंपनियों और कम्पोस्ट विनिर्माताओं द्वारा किया गया शहरी कम्पोस्ट का वर्ष–वार उत्पादन और बिक्री नीचे दी गई है।

शहरी कम्पोस्ट का वर्ष–वार उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार है:

(मी.टन में)

वर्ष	शहरी कम्पोस्ट का उत्पादन	वपणन कम्पनियों द्वारा बिक्री	वनिर्माता कम्पनियों द्वारा थोक बिक्री	कुल बिक्री
2016-17	196992.32	96584.00	-	96584.00
2017-18	340017.21	123569.87	75492.04	199061.91
2018-19	234515.70	195551.48	111078.99	306630.47
2019-20	327790.58	215725.88	111046.84	326772.72
2020-21	269110.46	259195.96	96738.679	355934.64
2021-22 (अप्रैल 2021-अक्टूबर-2021)	194385.14	170636.18	79579.26	250215.44

2 सिटी कम्पोस्ट का उत्पादन और खपत को बढ़ाने हेतु बाजार विकास सहायता को एमडीए नीति की समीक्षा तथा दिनांक 02.08.2021 को आयोजित की गई बैठक में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, सिटी कम्पोस्ट के लिए एमडीए स्कीम को बंद करने हेतु आदेश उर्वरक विभाग के दिनांक 7 सितंबर, 2021 के का.ज्ञा. सं. 11022/02/2020– पीएमआई–।। (पार्ट) के जरिये जारी कर दिया गया है।

8.4 उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग

माननीय प्रधानमंत्री ने अभिशासन तथा विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 7.9.2015 को आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेष सत्र के दौरान अपने संबोधन में शासन तथा विकास में एकीकृत अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

उर्वरक क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए उर्वरक विभाग ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) तथा परमाणु खनिज निदेशालय (एएमडी) के सहयोग से इसरो के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा "प्रतिक्षेपण स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा पृथ्वी अवलोकन आंकड़ों का उपयोग करके रॉक फास्फेट का संसाधन मानचित्रण" विषय पर तीन वर्षीय प्रायोगिक अध्ययन शुरू करने की पहल की है। प्रस्तावित अध्ययन हेतु एमओयू पर 21.08.2017 को हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। इस अध्ययन के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

- फॉस्फेट मानचित्रण हेतु प्रांरभिक डाटा संसाधन का कार्य पूरा हो गया है।
- फील्ड वर्क के दौरान एकत्रित किए गए नमूनों का स्पेक्ट्रल विश्लेषण पूरा हो गया है।
- जनवरी, 2019 के प्रथम सप्ताह में एएसटीईआर डाटा की संयुक्त प्रोसेसिंग जीएसआई के साथ की गई थी।
- रॉक नमूनों के स्पेक्ट्रल विश्लेषण, एएसटीईआर आंकड़ों (स्पेस बॉर्न एडवांस्ड मल्टिस्पेक्ट्रल डाटा) के संसाधन तथा फील्ड के नमूनों के परवर्ती स्पेक्ट्रोकेमिकल विश्लेषण से प्राप्त परिणामों के आधार पर हीरापुर–छतरपुर में रॉक फास्फेट के कुछ उल्लेखनीय क्षेत्रों या सतही अनावरण क्षेत्रों के बारे में पता लगा है।

  प्रारूप रिपोर्ट तैयार कर ली गई है तथा भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे स्वीकार करते हुए नमूनों के प्रयोगशाला विशलेषण का कार्य आरम्भ कर दिया है।

अध्याय–9

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

9.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 15.06.2005 को अनुमति दी गई थी और दिनांक 21.06.2005 को इसे अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की कुछ धाराएं अर्थात धारा 4(10), 5(1) और (2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 जो रिकार्ड/सूचना के रखरखाव और कंप्यूटरीकरण के लिए लोक प्राधिकारियों के उत्तरदायित्वों, लोक सूचना अधिकारी के पदनाम, केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के गठन, कुछ संगठनों को शामिल न करने आदि से संबंधित हैं, तत्काल प्रभाव से लागू हो गईं। सूचना का अधिकार अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के 120वें दिन अर्थात 12 अक्तूबर, 2005 से लागू हुए।

9.2 आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में इस विभाग ने सीपीआईओ व अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के संबंधित उपक्रमों को आरटीआई अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेश दिए गए हैं। अधिनियम के अनुपालन में विभाग द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:–

क. विभाग की वेबसाइट http://fert.nic.in पर सूचना का अधिकार अधिनियम के लिए अलग से लिंक एक बनाया गया है जिसमें विभाग के बारे में अधिनियम के तहत अपेक्षित सामान्य सूचना उपलब्ध कराते हुए एक हैण्डबुक उपलब्ध है।

ख. सीपीआईओ और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति के आदेशों को अपेक्षित ब्यौरे सहित विभाग की वेबसाइट पर डाला गया है और समय–समय पर इन्हें अद्यतन किया जाता है।

ग. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन देने तथा निर्धारित शुल्क जमा करने के लिए कमरा सं. जी–12, भू–तल, ए–विंग, शास्त्री भवन में उर्वरक विभाग का जन सूचना केन्द्र का एक काउंटर खोला गया है।

9.3 विभाग ने सीआईसी की वेबसाइट (http://rti.gov.in) पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीआई_एमआईएस) साफ्टवेयर पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदन और अपील का पंजीकरण करना प्रारम्भ कर दिया है।

9.4 विभाग ने डीओपीटी के आरटीआई वेब पोर्टल http://rtionline.gov.in/RTIMIS पर आरटीआई आवेदन/अपीलें प्राप्त करना शुरू कर दिया है।

9.5 वर्ष 2021 के दौरान (दिसंबर 2021 तक) वास्तविक रूप में और ऑनलाइन 563 आवेदन तथा 38 अपीलें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 545 आवेदनों तथा 37 अपीलों को उक्त वर्ष के दौरान निपटाया गया और 563 आवेदनों में से शेश 18 आवेदनों तथा 38 अपीलों में से 01 अपीलों पर आवेदकों को उत्तर भेजने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अध्याय–10

सतर्कता कार्यकलाप

10.1 इस विभाग के सतर्कता कार्यकलापों में इस विभाग के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के 9 उपक्रम तथा दो संयुक्त उद्यम शामिल हैं। सतर्कता प्रभाग के प्रमुख अपर सचिव हैं, जिन्हें इस विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता एक निदेशक/ उप सचिव, अवर सचिव और एक अनुभाग अधिकारी तथा 03 सतर्कता कर्मचारियों द्वारा की जाती है। सतर्कता संबंधी कार्यकलापों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और लोक उद्यम विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए ढांचे के अंतर्गत किया जाता है। यह विभाग शिकायतों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने और रोकथाम संबंधी दिशा–निर्देश बनाने में अति सक्रिय भूमिका निभाता है। विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास किए जाते हैं जिससे भ्रष्टाचार की संभावना में कमी आती है।

10.2 इस विभाग में 26 अक्तूबर से 01 नवंबर, 2021 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया गया। इस सप्ताह के दौरान कर्मचारियों में सतर्कता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए। सचिव (उर्वरक) द्वारा कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई और इस अवसर पर एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

10.3 वर्ष 2020 के लिए लोक सेवकों की सम्मत सूची और संदेहपूर्ण निष्ठा वाले लोक सेवकों की सूची को अंतिम रूप देकर सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इस विभाग के सतर्कता प्रभाग में 01.01.2021 की स्थिति के अनुसार प्राप्त शिकायतों के संबंध में सीवीसी सहित विभिन्न स्रोतों से 14 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। वर्ष 2021 के दौरान 4 और शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष 2021 में 06 शिकायतों का निपटान किया गया। शेष शिकायतें जांच के विभिन्न स्तरों पर हैं और प्रक्रियाधीन हैं।

अध्याय–11

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11. राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.1 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय –समय पर जारी दिशानिर्देशों के तहत संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु उर्वरक विभाग सतत प्रयत्नशील है। विभाग, इसके संबद्ध कार्यालय और 08 उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित कार्य संयुक्त सचिव (प्रशासन) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। उनकी सहायता के लिए दो उप निदेशक (रा.भा.), दो सहायक निदेशक (रा.भा), तीन वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद सृजित हैं। उर्वरक विभाग केंद्र सरकार की राजभाषा नीति को कार्यानवित करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021–2022 के दौरान हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रयासरत है।

11.2 विभाग में लगभग 270 कंप्यूटर हैं जो यूनिकोड समर्थित द्विभाषी सुविधायुक्त हैं। पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संबद्ध कार्यालय एफर्आइसीसी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कारगर उपाय किए गए हैं। इन उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:–

11.3 राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जा रहे हैं। राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए विभाग में बनाए गए जाँच बिन्दुओं के आधार पर कार्य–योजना तैयार की गई है। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर निरपवाद रूप से हिंदी में ही दिया जाता है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर भी हिन्दी में देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में मूल पत्राचार बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

11.4 हिन्दी प्रशिक्षण

विभाग ने अपने उन सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी आशुलिपि/ हिन्दी टंकण का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है जिनके पास हिंदी/हिंदी आशुलिपि/हिंदी टंकण का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है। विभाग के चार आशुलिपिकों को अभी हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण दिया जाना है। निकट भविष्य में इन्हें प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा।

11.5 राजभाषा हिन्दी से संबंधित रिपोर्टें

विभाग की तिमाही/वार्षिक रिपोर्टें तैयार की गईं और राजभाषा विभाग को भेजी गईं और इसके नियंत्रणाधीन उपक्रमों से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा की गई।

11.6 वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वर्ष 2021–22 का वार्षिक कार्यक्रम प्राप्त किया गया और उसे विभाग के सभी अनुभागों और विभाग के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/कार्यालय में परिचालित किया गया।

11.7 राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआइसी)

विभाग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है जिसके अध्यक्ष संयुक्त सचिव (प्रशासन) होते हैं। यह समिति विभाग तथा इसके संबद्ध कार्यालय एफआइसीसी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के 08 उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुइ प्रगति की तिमाही आधार पर आवधिक समीक्षा करती है। यह राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समुचित सुझाव देती है और उपायों की सिफारिश करती है।

11.8 हिन्दी सलाहकार समिति

सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सलाह देने के उद्देश्य से रसायन और उर्वरक मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति, जो रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, औषध विभाग और उर्वरक विभाग की संयुक्त समिति है, का पुनर्गठन दिनांक 11.10.2021 को कर दिया गया है।

11.9 हिन्दी में मूल टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना

हिन्दी में टिप्पण/प्रारूप लेखन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रारम्भ की गइ प्रोत्साहन योजना इस विभाग में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 5000/–रुपए के दो प्रथम पुरस्कार, 3000/–रुपए के तीन द्वितीय पुरस्कार और 2000/– रुपए के पांच तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। इस वर्ष कुल 6 (छह) प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

11.10 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मंत्रिमंडल सचिव के संदेश विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों तथा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों को परिचालित किए गए। विभाग में दिनांक 14 सितम्बर, 2021 से 28 सितम्बर, 2021 के दौरान हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी निबन्ध लेखन, हिन्दी टंकण, हिन्दी में आशुभाषण, हिन्दी टिप्पण और प्रारूप लेखन (हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषियों के लिए अलग–अलग) हिन्दी सामान्य ज्ञान तथा राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/ कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर भाग लिया और 30 अधिकारियों/कर्मचारियों ने पुरस्कार प्राप्त किए।

11.11 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में निरीक्षण

राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की देखरेख करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान विभाग के सभी अनुभागों और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/इकाइयों के 8 कार्यालयों का उर्वरक विभाग के सहायक निदेशक (रा.भा.) द्वारा निरीक्षण किया गया।

श्री उज्ज्वल कुमार, उप सचिव (राजभाषा) द्वारा हिंदी पखवाड़ा 2021 का उद्घाटन

हिंदी पखवाड़ा 2021 की विभिन्न प्रतियोगिताओं के दौरान कोविड–19 संबंधी प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया गया।

अध्याय–12

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा भाारीरिक रूप से विकलांगों का कल्याण

12.1 उर्वरक विभाग में मौजूदा स्टाफ की समूहवार कुल संख्या नीचे चित्र में दी गई है; विभाग में सेवाओं के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा), अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व) व शारीरिक रूप से विकलांग (वि) श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की भर्ती व प्रोन्नति के संबंध में सरकार के अनुदेशों को कार्यान्वित करने पर पूरा ध्यान दिया गया है।

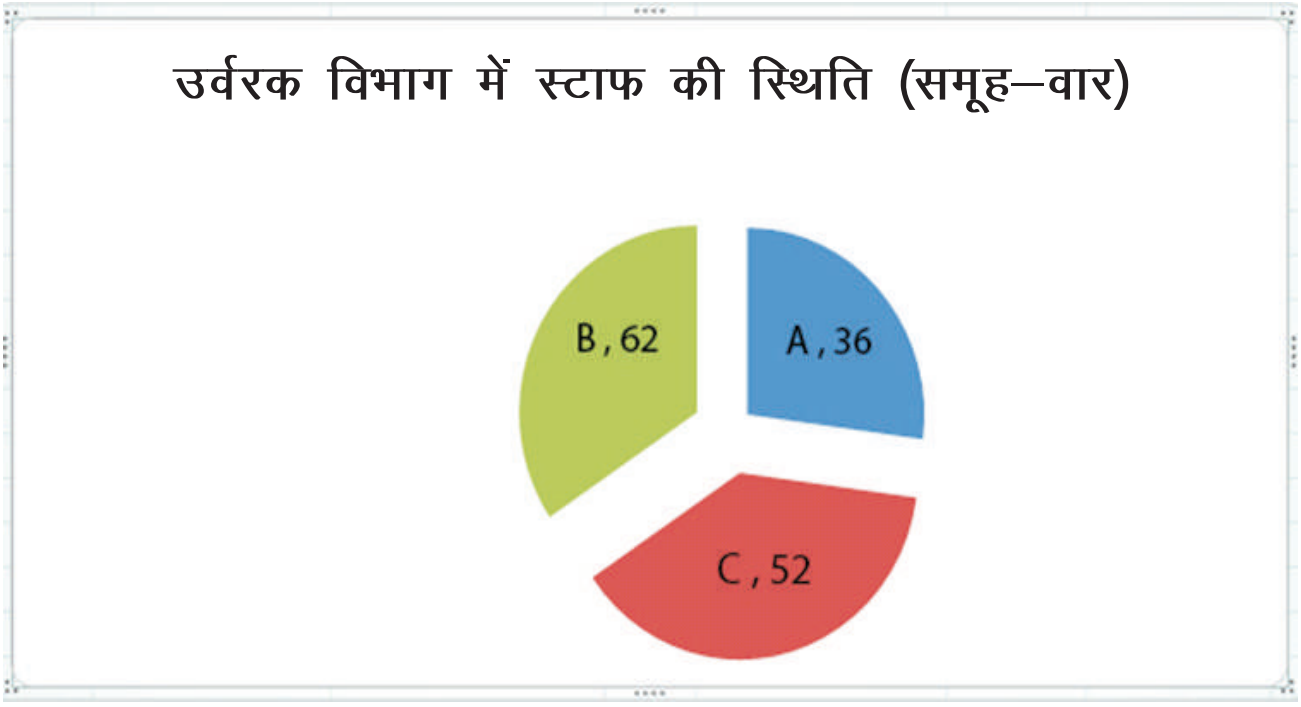

महिला सशक्तीकरण

12.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन (रोकथाम, निशेध और निवारण) अधिनियम, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) अधिनियम] की घोशणा और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निशेध और निवारण) नियमवली, 2013 [एसएचडब्ल्यूडब्ल्यू (पीपीआर) नियम] की 9.12.2013 की अधिसूचना के अनुसरण में सरकार ने 19.11.2014 को केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील नियमावली 1965 में संशोधन को अधिसूचित किया है।

12.3 मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग में यौन उत्पीड़न से संबंधित विशाखा दिशानिर्देशों के तहत उपलब्ध शिकायत समिति तंत्र का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। समिति की अध्यक्षता एक महिला अधिकारी सुश्री गीता मिश्रा द्वारा की जा रही है जो विभाग में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य हैं जिसमें से एक सदस्य की नियुक्ति विभाग के बाहर से अधिमानतः महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे एनजीओ से, की जाती है। समिति प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अवश्य बैठक करती है। वर्ष 2021–22 में (31.12.2021 तक) कोई यौन उत्पीड़न का मामला सूचित नहीं किया गया।

अध्याय–13

सेवोत्तम

13.1 सेवोत्तम मॉडल का विकास देश में लोक सेवा सुपुर्दगी की गुणता में सुधार करने के अति–महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ किया गया है। इस मॉडल के तीन घटक हैं नामतः नागरिक घोषणा–पत्र, लोक शिकायत निवारण और सेवा सुपुर्दगी में उत्कृष्टता, जिनका समग्र उद्देश्य नागरिकों को बेहतर ढंग से जानकारी देना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे बेहतर सेवा, शिकायत निवारण और निरंतर संवर्धित सुपुर्दगी प्रणाली की मांग करने में सक्षम हो सकें।

13.2 सेवोत्तम का कार्यान्वयन

13.2.1 उर्वरक विभाग प्रभावी एवं जवाबदेह प्रशासन तथा उत्कृष्ट सेवा सुपुर्दगी के लिए प्रतिबद्ध है और इसने भारत सरकार के सेवोत्तम ढांचे का पूर्ण रूप से कार्यान्वयन किया है। विभाग ने सेवोत्तम शिकायत नागरिक/ग्राहक चार्टर और सेवोत्तम शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया है। उर्वरक विभाग का नागरिक/ग्राहक चार्टर तैयार कर लिया गया है और विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

13.2.2 विभाग नागरिक/ग्राहक चार्टर में दिए गए सेवा मानकों के अनुसार नागरिकों, विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, उर्वरक उत्पादक कंपनियों, उर्वरकों के आयातकों/कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, कृषि एवं सहकारिता विभाग आदि को सेवाएं उपलब्ध कराता है जो इस प्रकार हैं:

- उर्वरक उत्पादन इकाई स्थापित करने/विस्तार करने के लिए समय पर मंजूरी देना।
- उर्वरक कंपनियों को समय पर राजसहायता का भुगतान।
- उर्वरक कंपनियों के लिए समय पर उत्पादन/आदान लक्ष्य निर्धारित करना।
- पूंजीगत माल के लिए आयातित मशीनरी और उपस्करों के संबंध में उर्वरक क्षेत्र में प्रोजेक्ट इम्पोर्ट स्कीम के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर हेतु राजस्व विभाग को सिफारिश करना।
- विक्रेताओं को बिलों का समय पर भुगतान करना।
- त्वरित शिकायत निवारण
- क्षमता विस्तार, तकनीकी उन्नयन, संयंत्रों, मशीनरी आदि के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्तावों पर निर्णय।

13.3 शिकायत निवारण तंत्र

13.3.1 शिकायतों के त्वरित निवारण और प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से विभाग में एक शिकायत

निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। संयुक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है। कर्मचारियों की शिकायतों और पेंशनधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अलग–अलग नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। सेवा प्राप्तकर्ता अपनी शिकायतें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के शिकायत पोर्टल http://pgportal.gov.in पर केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में अथवा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पेंशनधारकों के पोर्टल http://pensionersportal.gov.in/CPENGRAMS (पेंशनधारकों की शिकायतों के लिए) पर केंद्रीकृत पेंशनधारक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजी–आरएएमएस) में अथवा उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं अथवा वे विभाग के लोक शिकायत निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक अथवा ई–मेल अथवा फैक्स द्वारा शिकायत दे सकते हैं। उर्वरक विभाग में प्राप्त शिकायतों की केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) में निगरानी की जाती है। शिकायतों को उर्वरक विभाग के संबंधित सीपीएसई/प्रभागों को ऑनलाइन भेज किया जाता है और निपटान की स्थिति की पोर्टल के आधार पर निगरानी की जाती है। वर्ष 2020–21 के दौरान उर्वरक विभाग में सीधे अथवा अन्य विभागों के जरिये लोक शिकायत के 1688* मामले (इसमें पिछले वर्ष के 24 लंबित मामले शामिल हैं) (17.01.2022 तक की स्थिति के अनुसार) प्राप्त हुए हैं जिनमें से 1609* मामलों का निपटान कर दिया गया है और 79* मामलों पर उर्वरक विभाग में विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है।

*अनंतिम आंकड़े।

13.4 ई–समीक्षा

13.4.1 ई–समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री को दी गई प्रस्तुतियों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की निगरानी करने हेतु एक वास्तविक समय आधारित ऑनलाइन प्रणाली है। प्रत्येक निर्णय के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई को, जब कभी परिवर्तन होता है अथवा कम से कम प्रत्येक सप्ताह में संबंधित मंत्रालय/विभाग/एजेंसी द्वारा अद्यतन किया जाना होता है। माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सचिव ई–समीक्षा के जरिये मंत्रालयों की परियोजनाओं और योजनाओं की सीधे निगरानी करते हैं। विभाग अपने से संबंधित सामग्री को ई–समीक्षा पोर्टल में सक्रिय रूप से अद्यतन करता है और इसकी निगरानी संयुक्त सचिव/सचिव स्तर पर की जाती है।

13.5 प्रगति (अग्र–सक्रिय अभिषासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन)

13.5.1 प्रगति एक अन्य मंच है जिसके जरिए माननीय प्रधानमंत्री प्रत्येक माह केन्द्र और राज्यों के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करते हैं। विभाग अपने से संबंधित सामग्री को प्रगति पोर्टल में सक्रिय रूप से अद्यतन करता है और इसकी निगरानी संयुक्त सचिव/सचिव स्तर पर की जाती है।

13.6 **स्वच्छ भारत मिशनः** उर्वरक विभाग में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 सितंबर, 2021 से 15

सितंबर, 2021 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान निष्पादित विभिन्न कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

(i) स्वच्छता पखवाड़ा के संबंध में माननीय मंत्री (रसायन एवं उर्वरक) का संदेश उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर डाला गया।

(ii) सचिव (उर्वरक) द्वारा उर्वरक विभाग के स्टाफ को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्लास्टिक बैगों के प्रयोग को हतोत्साह करने के लिए शपथ के बाद उनको सचिव (उर्वरक) द्वारा स्टील की पानी की बोतलें वितरित की गईं।

(iii) स्वच्छता संबंधी कार्यकलापों के विशयों पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता (द्विभाशी) आयोजित की गई जिसमें उर्वरक विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। रचनात्मक और अच्छे निबंध लिखने वाले चयनित विजेताओं को नकद पुरस्कार बांटे गए।

(iv) उर्वरक विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यालय परिसर के निकटवर्ती स्थानों पर पौधारोपण किया गया।

(v) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उर्वरक विभाग के कार्यालयों द्वारा भी स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया।

अनुलग्नक
(I-XX)

अनुलग्नक-I

2020-21 के दौरान सभी प्रमुख उर्वरकों की इकाई-वार संस्था पत/पुनर्आक लत क्षमता एवं उत्पादन तथा **2021-22** के दौरान (दिसम्बर, **2021** तक) उत्पादन

(आंकड़े लाख मी.टन में)

संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	संस्था पत/पुनर्आक लत क्षमता (**01.04.2021** को)	**2020-21** के दौरान उत्पादन	**2021-22**** के दौरान (दिसम्बर, **2021** तक) उत्पादन
सार्वजनिक क्षेत्र				
एनएफएल:नांगल-II	यूरिया	4.79	5.47	3.88
एनएफएल:भटिंडा	यूरिया	5.12	5.77	3.99
एनएफएल:पानीपत	यूरिया	5.12	5.83	3.69
एनएफएल: वजयपुर	यूरिया	8.65	9.66	7.78
एनएफएल: वजयपुर वस्तार	यूरिया	8.65	11.27	6.76
कुल(एनएफएल):		32.31	37.99	26.10
बीवीएफसीएल:नामरूप-II	यूरिया	2.40	0.02	0.00
बीवीएफसीएल:नामरूप-III	यूरिया	3.15	1.30	1.12
कुल(बीवीएफसीएल):		5.55	1.32	1.12
फैक्ट:उद्योगमंडल	ए/एस	2.25	2.46	0.88
	20:20	1.49	2.16	1.27
फैक्ट:कोचीन-II	20:20	4.85	6.46	4.64
कुल(फैक्ट)		8.59	11.08	6.79
आरसीएफ:ट्रॉम्बे V	15:15:15	4.20	5.39	4.25
	यूरिया	3.30	3.39	2.64
आरसीएफ: थल	यूरिया	17.07	19.12	13.35
कुल(आरसीएफ):		27.27	27.89	20.24
एमएफएल: (चेन्नै)	यूरिया	4.87	4.81	3.79
	17:17:17	8.40	0.54	0.22
कुल(एमएफएल):		13.27	5.35	4.02
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र):		86.98	83.63	58.27
सहकारी क्षेत्र				
इफ्को:कांडला	10:26:26	5.15	8.14	3.82
	12:32:16	7.00	8.46	6.64
	डीएपी	12.00	6.23	7.62
कुल(कांडला):		24.15	22.83	18.08
इफ्को:कलोल	यूरिया	5.45	6.24	3.92
इफ्को:फूलपुर-I	यूरिया	5.51	7.06	4.58
इफ्को:फूलपुर-II	यूरिया	8.65	10.64	7.54
इफ्को:आंवला	यूरिया	8.65	11.04	9.05
इफ्को:आंवला- II	यूरिया	8.65	11.77	9.09
(इफ्को सभी इकाइयां):		61.05	69.59	52.25
इफ्को:पारादीप	डीएपी	15.00	13.01	11.29
	20:20:0-13	1.00	6.88	4.63
	10:26:26	1.60	0.00	
कुल(पारादीप):		19.20	19.88	15.92
कृभको:हजीरा	यूरिया	17.29	23.23	16.13
कुल (सहकारी क्षेत्र):		97.54	112.70	84.30
कुल (सार्व.+सह.):		184.52	196.33	142.57
नोट: ** अप्रैल 2021 से दिसम्बर, **2021** के दौरान वास्त वक उत्पादन				

स्रोत: **dbtfert.nic.in**

निजी क्षेत्र				
				(आंकड़े लाख मी.टन में)
संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	संस्था पत/पुनर्आक लत क्षमता (01.04.2021 को)	2020-21 के दौरान उत्पादन	2021-22** के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) उत्पादन
जीएसएफसी:वड़ोदरा	यूरिया	3.71	3.71	2.66अनुलग्नक-I
	ए/एस	3.74	4.87	3.66
	डीएपी	0.00	0.00	0.00
	20:20:0-13	2.00	2.51	1.70
कुल(जीएसएफसी वडोदरा):		9.45	11.09	8.01
जीएसएफसी: सक्का	डीएपी	7.22	5.66	2.54
	10:26:26	0.00	0.94	0.01
	16:20-0		0.10	0.00
	20:20:0-13	0.00	0.08	0.27
	12:32:16	0.00	1.14	0.28
कुल(जीएफएसी सक्का):		7.22	7.93	3.10
सीआईएल: वजाग	28:28	0.00	3.28	2.18
	20:20:0-13	12.30	5.01	5.36
	14:35:14	0.00	0.32	0.38
	24:24:0-8,	0.00	0.62	0.35
	10:26:26	0.00	0.52	0.27
कुल(सीआईएल वजाग):		12.30	9.75	8.54
एसएफसी:कोटा	यूरिया	3.80	4.01	2.85
केएफसीएल:कानपुर	यूरिया	7.23	6.72	5.01
जेडएसीएल:गोवा	यूरिया	3.99	4.66	3.12
	डीएपी	3.93	0.00	0.00
	19:19:19	3.93	0.69	0.45
	28:28-0		0.21	0.06
	10:26:26	0.00	2.35	1.06
	12:32:16	0.00	0.28	0.00
कुल (जेडएसीएल):		11.85	8.19	4.69
स्पिक:तुतीकोरिन	यूरिया	6.20	6.20	5.50
ग्रीनस्टार फर्टिलाइजर ल.	डीएपी	3.47	1.19	1.56
	20:20:0-13	2.59	2.41	1.57
कुल(स्पिक+जीएफएल):		12.26	9.80	8.64
एमसीएफएल:मंगलोर	यूरिया	3.80	3.54	3.35
	डीएपी	2.20	1.16	0.43
	20:20:0-13	0.40	1.42	1.57
कुल(एमसीएफएल):		6.40	6.11	5.35
जीएनएफसी:भरूच	यूरिया	6.37	6.43	4.91
	20:20:0-13	1.43	1.67	1.13
कुल(जीएनएफसी):		7.79	8.10	6.04
सीआईएल:एन्नोर	16:20	3.00	1.86	2.08
	15:15:15-0		0.02	0.15
	20:20:0-13	0.00	0.24	0.00
कुल(सीएफएल:एन्नोर):		3.00	2.12	2.23
टैकेम/डीएफसीएल:तलोजा	24:24:0,	6.00	2.36	1.59
	10:26:26	0.00	2.08	1.07
	12:32:16	0.00	0.57	0.29
	20:20:0-13	0.00	1.40	1.47
	14:28-0		0.16	0.24

	16:16:16,	0.00	0.00	
	8:21-21			0.20
कुल:डीएफसीएल		6.00	6.56	4.85
आईआरसी एग्रो/ टीसीएल:हल्दिया	डीएपी	2.79	2.23	0.00
	10:26:26	5.12	4.12	3.33
	12:32:16	0.00	0.29	0.43
	14:35:14	0.00		0.11
	16:20:0-13			0.11
	14:28:0-0			0.54
	14-35-14	0.00	0.06	0.00
कुल(टीसीएल):		7.91	6.70	4.53
सीआईएल:काकीनाड़ा	डीएपी	19.25	1.83	1.51
	12:32:16	0.00	0.00	0.46
	10:26:26	0.00	2.02	1.86
	28:28	0.00	2.93	0.98
	14:35:14	0.00	3.44	2.00
	17:17:17	0.00	0.00	0.00
	20:20-0-13	0.00	6.05	4.40
	15-15-15-9		0.24	0.42
	14:28:14	0.00	0.00	0.00
कुल(काकीनाड़ा):		19.25	16.50	11.61
एनएफसीएल:काकीनाड़ा	यूरिया	5.97	5.28	5.53
एनएफसीएल:काकीनाड़ा वस्तार	यूरिया	5.97	2.16	1.61
कुल(एनएफसीएल):		11.95	7.43	7.14
ग्रा सम/आईजीएफएल:जगदीशपुर	यूरिया	8.65	10.95	8.46
हिंडाल्को:दाहेज	डीएपी	4.00	0.05	0.00
सीएफसीएल:गड़ेपान-I	यूरिया	8.65	11.15	7.78
सीएफसीएल:गड़ेपान-II	यूरिया	8.65	9.62	7.34
सीएफसीएल:गड़ेपान-III	यूरिया	12.70	12.70	10.12
कुल(सीएफसीएल):		29.99	33.47	25.25
यारा/टीसीएल:बबराला	यूरिया	8.65	11.55	9.79
केएफएल/केएसएफएल:शाहंजहापुर	यूरिया	8.65	10.74	6.91
पीपीएल:पारादीप	डीएपी	7.20	6.39	5.68
	20:20:0-13	0.00	2.75	2.96
	12:32:16	0.00	0.27	0.32
	10:26:26	0.00	0.82	0.75
कुल(पीपीएल):		7.20	10.23	9.72
मैटिक्स ग्रुप कॉर.	यूरिया	12.70	0.00	3.11
आरएफसीएल	यूरिया	12.70	0.00	2.03
एचयूआरएल-गोरखपुर	यूरिया	12.70		
एचयूआरएल-बरौनी	यूरिया	12.70		
एचयूआरएल- संदरी	यूरिया	12.70		
मध्य प्रदेश एग्रो ल.	डीएपी			0.03
	20:20:0-13			0.19
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	124.00	49.35	40.20
कुल (निजी क्षेत्र):		381.02	237.34	188.27
कुल (सार्वजनिक+सहकारी+निजी):		565.54	433.66	330.83

नोट:** अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान वास्त वक उत्पादन
स्रोत: **dbtfert.nic.in**

अनुलग्नक-II

2020-21 के दौरान सभी उर्वरकों की उत्पाद-वार क्षमता एवं उत्पादन तथा 2021-22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) उत्पादन			
उत्पाद का नाम	संस्था पत/पुनराक लत क्षमता (01.04.2021 को)	2020-21 के दौरान उत्पादन	2021-22** के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) उत्पादन
यूरिया	283.74	246.03	187.39
ए/एस	5.99	7.33	4.54
डीएपी	77.06	37.74	30.66
एसएसपी	124.00	49.35	40.20
20:20:0-13	28.75	39.03	31.15
15:15:15	4.20	5.64	4.82
20.8:20.8	0.00	0.00	0.00
17:17:17	8.40	0.54	0.22
14:28-0	0.00	0.16	0.77
10:26:26	11.87	20.98	12.17
12:32:16	8.60	11.00	8.42
12:32:16:0.5जेडएन	0.00	0.00	0.00
14:35:14	0.00	3.83	2.49
19:19:19	3.93	0.69	0.45
28:28	0.00	6.42	3.22
24:24:0,	6.00	2.97	1.93
16:16:16,	0.00	0.00	0.00
यूएपी 20:20	0.00	0.00	0.00
8:21-21	0.00	0.00	0.20
16:20	3.00	1.96	2.19
कुल:	565.54	433.66	330.83
म श्रत:	74.75	93.21	68.04
2020-21 के दौरान सभी उर्वरकों की क्षेत्र-वार क्षमता एवं उत्पादन तथा 2021-22 के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) उत्पादन			
क्षेत्र का नाम	संस्था पत/पुनर्आक लत क्षमता (01.04.2021 को)	2020-21 के दौरान उत्पादन	2021-22** के दौरान (दिसम्बर, 2021 तक) उत्पादन
सार्वजनिक	86.98	83.63	58.27
सहकारी	97.54	112.70	84.30
निजी	381.02	237.34	188.27
कुल:	565.54	433.66	330.83

नोट:** अप्रैल, 2021 से दिसम्बर, 2021 के दौरान वास्त वक उत्पादन
स्रोत: **dbtfert.nic.in**

अनुलग्नक-III

यूरिया, डीएपी और मिश्रित उर्वरकों का वर्ष-वार उत्पादन			
			(आंकड़े लाख मी.टन में**)**
वर्ष	यूरिया	डीएपी	म श्रत उर्वरक
2001-02	191.78	50.95	49.09
2002-03	187.26	52.41	48.59
2003-04	192.03	47.32	45.14
2004-05	202.63	51.85	53.67
2005-06	200.98	46.28	67.66
2006.07	203.08	48.52	74.63
2007-08	198.57	42.12	58.50
2008-09	199.22	29.93	68.48
2009-10	211.12	42.47	80.38
2010-11	218.80	35.37	87.27
2011-12	219.84	39.63	77.70
2012-13	225.75	36.47	61.80
2013-14	227.15	36.11	69.13
2014-15	225.85	34.44	78.32
2015-16	244.75	37.87	83.01
2016-17	242.01	43.65	79.66
2017-18	240.23	46.50	82.57
2018-19	238.99	38.99	89.98
2019-20	244.55	45.50	86.61
2020-21	246.03	37.74	93.21
2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक)	187.39	30.66	68.03

स्रोत: dbtfert.nic.in

अनुलग्नक-IV

2015-16 से 2021-22 के दौरान यूरिया का संयंत्र-वार वास्तविक उत्पादन (दिसम्बर, 2021 तक)

(आंकड़े लाख मी.टन में)

संयंत्र का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (दिसम्बर,2021 तक)
	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक
सार्वजनिक क्षेत्र							
एनएफएल:नांगल-II	5.46	5.02	5.43	5.42	5.75	5.47	3.88
एनएफएल:भटिं ा	5.48	5.68	5.63	6.03	5.62	5.77	3.99
एनएफएल:पानीपत	5.67	5.43	5.60	5.82	5.52	5.83	3.69
एनएफएल:विजयपुर	9.90	10.58	10.44	10.59	9.84	9.66	7.77
एनएफएल:विजयपुर विस्तार	11.46	11.39	10.88	11.75	10.53	11.27	6.76
कुल(एनएफएल):	**37.98**	**38.10**	**37.97**	**39.60**	**37.27**	**38.00**	**26.09**
बीवीएफसीएल:नामरूप-II	0.66	0.60	0.58	0.58	0.46	0.02	0.00
बीवीएफसीएल:नामरूप-III	2.56	2.50	2.12	2.29	1.10	1.30	1.12
कुल(बीवीएफसीएल):	**3.23**	**3.11**	**2.70**	**2.86**	**1.56**	**1.32**	**1.12**
आरसीएफ:ट्रॉम्बे V	4.52	4.08	4.41	3.92	3.25	3.39	2.64
आरसीएफ: थल	20.98	21.44	20.61	19.84	20.22	19.12	13.35
कुल(आरसीएफ)	**25.50**	**25.52**	**25.02**	**23.75**	**23.47**	**22.51**	**15.99**
एमएफएल: (चैन्ने)	4.09	4.68	4.19	3.94	3.45	4.81	3.79
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र):	**70.80**	**71.41**	**69.88**	**70.16**	**65.75**	**66.63**	**49.99**
सहकारी क्षेत्र							
इफ्को:कलोल	6.01	6.02	6.02	6.02	6.02	6.24	3.92
इफ्को:फूलपुर	7.58	6.32	7.26	6.71	7.50	7.06	4.57
इफ्को:फूलपुर विस्तार	10.54	9.92	9.55	10.48	12.16	10.64	7.54
इफ्को:आंवला	11.33	10.69	8.96	11.22	12.20	11.04	9.05
इफ्को:आंवला विस्तार	11.23	10.34	9.31	11.18	10.87	11.77	9.09
कुल (इफ्को):	**46.68**	**43.27**	**41.09**	**45.62**	**48.75**	**46.75**	**34.17**
कृभको:हजीरा	22.68	23.53	22.54	23.42	23.31	23.23	16.13
कुल सहकारी क्षेत्र:	**69.36**	**66.81**	**63.64**	**69.04**	**72.05**	**69.99**	**50.30**
कुल (सार्व.+सह.):	**140.15**	**138.21**	**133.51**	**139.20**	**137.80**	**136.61**	**100.29**
निजी क्षेत्र:							

जीएसएफसी: बड़ोदरा	3.61	3.59	3.11	3.71	3.21	3.71	2.66
एसएफसी: कोटा	4.01	3.94	4.10	3.90	3.87	4.01	2.85
केएफसीएल (ीआईएल):कानपुर	7.17	7.23	7.23	6.73	7.23	6.72	2.30
जे एसीएल: गोवा	4.00	4.65	4.73	4.09	2.33	4.66	3.12
स्पिक:तूतीकोरिन	6.20	5.63	6.59	6.52	5.50	6.20	5.50
एमसीएफ: मंगलोर	3.80	3.80	4.20	3.50	3.80	3.54	3.35
जीएनएफसी: भरूच	6.91	6.90	6.49	6.45	6.91	6.43	4.91
ग्रासिम/आईजीएफ: जगदीशपुर	12.08	11.61	11.84	11.37	11.15	10.95	8.46
एनएफसीएल: काकीना ।-।	6.31	7.88	7.98	3.89	3.28	5.28	5.53
एनएफसीएल: काकीना ।-।।	7.11	7.10	7.92	1.96	3.65	2.16	1.61
सीएफसीएल: गड़ेपान-।	10.91	9.66	11.38	11.33	9.51	11.15	7.78
सीएफसीएल: गड़ेपान-।।	10.35	10.36	9.56	9.87	10.45	9.62	7.34
सीएफसीएल: गड़ेपान-।।।				3.83	12.70	12.70	10.12
यारा/टीसीएल: बबराला	12.31	12.14	12.48	13.01	12.84	11.55	9.78
केएफएल/केएसएफएल: शाहजहांपुर	9.83	9.32	9.01	10.64	10.34	10.74	6.91
मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	3.10
कुल निजी क्षेत्र:	**104.60**	**103.79**	**106.72**	**100.80**	**106.75**	**109.42**	**85.32**
कुल (सार्व.+सह.+निजी):	**244.75**	**242.01**	**240.23**	**239.99**	**244.55**	**246.03**	**182.61**

स्रोत: dbtfert.nic.in

अनुलग्नक-V

उर्वरक विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों की सूची

क

1. नामोदिष्ट माध्यम एजेंसी के माध्यम से उर्वरकों के आयात सहित उर्वरकों के उत्पादन के लिए योजना बनाना।
2. कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर उर्वरकों के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और आपूर्ति श्रृंखलाएं।
3. नियंत्रित एवं नियंत्रणमुक्त उर्वरकों हेतु रियायत योजना का प्रशासन एवं राजसहायता का प्रबंधन तथा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के लिए रियायत की राशि तय करना।
4. उर्वरक (संचलन नियंत्रण) आदेश, 1973 को लागू करना।
5. यूरिया से संबंधित नीति और मूल्य–निर्धारण मामले।
6. उर्वरक पीएसयू के विनिवेश से संबंधित मामले।
7. उर्वरक परियोजनाओं, संयुक्त उद्यम/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों से संबंधित सभी मामले।
8. नई उर्वरक परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता।
9. उर्वरकों की कच्ची सामग्री की आपूर्ति और उपलब्धता और उर्वरकों के विपणन से संबंधित मामले।
10. आयातित उर्वरकों की हैंडलिंग के लिए पारिश्रमिक दर का निर्धारण।
11. योजना, निगरानी और उर्वरक उत्पादन के मूल्यांकन से संबंधित कार्य।
12. उर्वरक क्षेत्र में डब्ल्यूटीओ से संबंधित सभी मामले।
13. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)।

ख

एफआईसीसी (उर्वरक उद्योग समन्वय समिति): जो उर्वरक विभाग का एक संबद्ध कार्यालय है, जो यूरिया उत्पादन के लागत पहलुओं और स्वदेशी यूरिया पर राजसहायता के संवितरण और निर्धारण का कार्य करता है।

अनुलग्नक-VI

विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों का विवरण

क्र.सं.	संयुक्त उद्यम परियोजना-देश	%सामया सहित संयुक्त उद्यम भागीदार	उतपाद और परियोजना की स्थिति
1.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर्स कं. (ओमिफ्को), ओमान	ओमान ऑयल कं. (ओओसी-50%), इफको (25%) एवं कृभको (25%)	16.52 लाख मी.टन यूरिया एवं 2.48 लाख मी.टन अमोनिया उत्पादन 2006 में शुरू किया गया
2.	आईसीएस सेनेगल, सेनेगल	आईसीएस सेनेगल और इफको परिसंघ	5.5 लाख मी.टन फॉस्फोरिक एसिड। उत्पादन 1984 में शुरू हुआ तथा उठान करार 2033 तक वैध है।
3.	जेपीएमसी-इफको संयुक्त उद्यम, जॉर्डन	जेपीएमसी एवं इफको	4.8 लाख मी.टन फॉस्फोरिक एसिड वाणिज्यिक उत्पादन दिसम्बर 2014 में शुरू हुआ।
4.	आईएमएसीआईडी, मोरक्को	ओसीपी - मोरक्को, चंबल एवं टीसीएल प्रत्येक 33%	4.25 लाख मी.टन फॉस्फोरिक एसिड। उत्पादन 1997-98 में शुरू हुआ।
5.	ट्यूनीशिया- इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी (टीआईएफईआरटी), ट्यूनीशिया	जीसीटी (ट्यूनीशिया), सीएफएल (अब सीआईएल) एवं जीएसएफसी (भारत)	3.60 लाख मी.टन फॉस्फोरिक एसिड। वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 2014 में शुरू हुआ।

अनुलग्नक-VII

क्र.सं.	इकाई	पुनराकलित क्षमता (मी.टन)
	गैस आधारित इकाइयां	
1	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि (बीवीएफसीएल)-नामरूप-II	240000
2	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लि (बीवीएफसीएल)-नामरूप-III	315000
3	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको)-आंवला-I	864600
4	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको)-आंवला-II	864600
5	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको)-फूलपुर-I	551100
6	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको)-फूलपुर-II	864600
7	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव (इफको)-कलोल	544500
8	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-विजयपुर-I	864600
9	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-विजयपुर-II	864600
10	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-नांगल	478500
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-पानीपत	511500
12	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)- भटिण्डा	511500
13	कृषक भारती कोऑपरेटिव (कृभको)-हजीरा	1729200
14	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-थल	1706760
15	राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-ट्राम्बे	330000
16	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि (एनएफसीएल)-काकीनाडा-I	597300
17	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि (एनएफसीएल)-काकीनाडा-II	597300
18	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)-गड़ेपान-I	864600
19	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)-गड़ेपान-II	864600
20	यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्रा.लि.(वाईएफआईपीएल)-बबराला	864600
21	कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएफएल)-शाहजहांपुर	864600
22	कानपुर फर्टिलाइजर्स एण्ड सीमेंट लिमिटेड (केएफसीएल)-कानपुर	722700
23	श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी)-कोटा	379500

24	जुआरी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड (जेडएसीएल)-गोवा	399300
25	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जीएनवीएफसी)-भरूच	636900
26	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि (जीएसएफसी)-वड़ोदरा	370590
27	ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड-जगदीशपुर	864600
28	मैट्रिक्स फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड-पानागढ़**	1270500
29	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि.(सीएफसीएल)-गड़ेपान-III	1270500
30	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)-मणलि	486750
31	मंगलोर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)-मंगलोर	379500
	नेफ्था आधारित इकाइयां	
32	सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्पिक)-तूतीकोरिन	620400

अनुलग्नक-VIII

सं0 12012/3/2006-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 8 मार्च, 2007

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति,
8वां तल, सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली

विषय: यूरिया उत्पादन इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण योजना के चरण-।।। हेतु नीति

महोदय,

मुझे इस विभाग के पत्र सं0 12019/5/98-एफपीपी दिनांक 30 जनवरी, 2003 तथा सं0 12019/19/2003 एफपीपी दिनांक 29-7-2003 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा दिनांक 1-4-2003 को लागू की गई नई मूल्य निर्धारण योजना(एनपीएस) के चरण-I और ।। की मुख्य विशेषताएं सूचित की गई थीं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सूचित किया गया था कि चरण-।।। की पद्धति पर चरण-। और चरण-।। के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि आगे दिए गए पैराओं में निहित अनुसार कुछ संशोधनों सहित एनपीएस के चरण-।।। को कार्यान्वित किया जाए।

(क) अवधि

2. नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-।।। की नीति 1-10-2006 से 31-3-2010 तक प्रभावी होगी। चरण-।। की नीति को 30-9-2006 तक बढ़ाया गया है। एनपीएस के चरण-।।। के दौरान यूरिया के अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहित करने की नीति अधिसूचना की तारीख से लागू होगी और तब तक इकाइयों द्वारा उनकी क्षमता के 100% से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन सरकार और इकाई के बीच 65:35 के अनुपात में निवल लाभ को बाटने की मौजूदा नीति द्वारा अधिशासित होगा।

(ख) यूरिया इकाइयों का समूह बनाना

3. एनपीएस के चरण-।।। के दौरान यूरिया इकाइयों की रियायत दरों की गणना करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे :-

(i) मौजूदा छः समूहों का वर्गीकरण अनुलग्नक-। में दिए अनुसार जारी रहेगा।

(ii) 31-3-2003 तक सभी लागत को बढ़ाने के बाद समूह का ओसत बनाया जाएगा।

(iii) दिनांक 31-3-2003 तक यूरिया इकाइयों की मूल रियायत दरों की गणना करने के लिए 92 पूर्व नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों के लिए 93% तथा 92 पूर्व गैस, 92 उपरान्त नेफ्था तथा मिश्रित ऊर्जा आधारित संयंत्रों के लिए 98% के क्षमता उपयोग स्तर पर विचार किया जाएगा।

(iv) गैस की परिवहन लागत की गणना करके उसका अलग से भुगतान किया जाएगा।

(v) एनपीएस के चरण-I के दौरान अपनाए गए पैटर्न पर तय किए गए अनुसार 1-4-2003 तक सभी यूरिया इकाइयों की अद्यतन नोशनल रियायत दरें 1-10-2006 से शुरू होने वाले एनपीएएस के चरण-III के दौरान प्रत्येक यूरिया इकाई को देय रियायत दर की गणना के आधार पर होंगी। एनपीएस के चरण-III में किसी इकाई को बाहरी इकाई का लाभ नहीं दिया जाएगा।

(vi) प्रत्येक इकाई के लिए इस प्रकार तय की गई मूल रियायत दर पर वास्तविक आधार पर परिवर्तन लागत के घटकों पर केवल वृद्धि और कमी दी जाएगी बशर्ते चरण-III में पूर्व-निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड दिए गए हों।

(vii) कम पूंजीगत संबंधित प्रभारों (सीआरसी)के लिए 92-पूर्व नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित रियायत दरों से 50 रुपए/मी.टन की तथा अन्य इकाइयों से 75 रुपए/मी.टन की कटौती की जाएगी।

(viii) एनपीएस के चरण-II के दौरान प्रत्येक यूरिया इकाई की संबंधित पूर्व-निर्धारित ऊर्जा खपत मानदण्ड या वर्ष 2002-03 के दौरान प्राप्त वास्तविक ऊर्जा खपत जो भी कम हो, को एनपीएस के चरण-III के मानदण्ड के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(ix) एनपीएस के चरण-III के दौरान प्रयुक्त फीड/ईंधन की भारित औसत की मूल दर के अनुसार पूर्व-निर्धारित मानदण्डों पर ऊर्जा बचत का भुगतान किया जाएगा।

(ग) <u>बन्द पड़ी इकाइयों द्वारा यूरिया उत्पादन को पुन: प्रारंभ करना</u>

4. वर्तमान में उत्पादन न कर रही यूरिया इकाइयों अर्थात आरसीएफ-ट्राम्बे-V, फैक्ट-कोचीन और डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड(डीआईएल) कानपुर उत्पादन को पुन: प्रारंभ करने की अनुमति प्राकृतिक गैस/एलएनजी/सीबीएम/कोयला गैस का इस्तेमाल करने पर दी जाएगी। उत्पादन पुन: शुरू होने पर इन इकाइयों की मूल रियायत दर समूह के चरण-III की रियायत दर होगी जिससे वे संबंधित है, या उनकी निजी रियायत दर को सभी लागत के लिए 31-3-2003 तक अद्यतन बनाया जाएगा और तत्पश्चात् फीडस्टॉक बदलने के लिए समायोजित किया जाएगा, जो भी कम हो।

(घ) <u>गैर-गैस आधारित इकाइयों को एनजी/एलएनजी में परिवर्तित करना</u>

5. (i) सभी कार्यात्मक नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों को 3 वर्ष की अवधि में परिवर्तित किया जाना चाहिए (इनमें से श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी) कोटा को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है। उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर सरकार गैर-गैस आधारित यूरिया इकाइयों द्वारा उत्पादित उच्च लागत यूरिया पर राजसहायता नहीं दी जाएगी और ऐसी इकाइयों की रियायत की दर प्रचलित आयात सममूल्य (आईपीपी) की न्यूनतम दर या उनकी निजी दर पर सीमित होगी। गैस प्राप्त न करने वाली इकाइयों को कोल बेड मिथेन (सीबीएम) और कोयला गैस जैसे वैकल्पिक फीडस्टॉक की संभावनाओं की खोज करनी होगी।

(ii) गैस में परिवतित करने के लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, चूंकि इकाइयों द्वारा परिवर्तन के लिए किए गए निवेश को कोई मान्यता नहीं दी जाएगी, अत: नेफ्था तथा एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों के लिए 5 वर्ष की निर्धारित अवधि हेतु ऊर्जा दक्षता को नहीं लिया जाएगा। एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों के लिए पूंजीगत राजसहायता पर विचार किया जाएगा जिसके लिए उर्वरक विभाग, व्यय विभाग(डीओई) वित्त मंत्रालय के परामर्श से एक अलग योजना अधिसूचित करेगा।

(iii) गैर-गैस आधारित यूरिया संयंत्रों को प्राकृतिक गैस(एनजी)/तरलीकृत प्राकृतिक गैस(एलएनजी) में परिवर्तन करने के लिए पेट्रोलियम सचिव की अध्यक्षा में एक समिति, जिसमें योजना आयोग, उर्वरक विभाग और व्यय विभाग के सचिव शामिल हैं, का गठन किया गया है ताकि गैर-गैस आधारित इकाइयों को गैस में परिवर्तित करने के लिए कनेक्टिविटी और गैस की आपूर्ति की सुविधा दी जा सके तथा गैस के मूल्य को पारदर्शी ढ़ग में निर्धारित करके पारदर्शी करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जा सके।

(ड.) अतिरिक्त यूरिया उत्पादन के लिए प्रोत्साहन

6. देश में अतिरिक्त यूरिया के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) इकाई की पुन:आकलित यूरिया क्षमता के 100% से अधिक का उत्पादन करने के लिए सरकार से किसी अनुमति की जरूर त नहीं होगी।

(ii) मौजूदा पुन: आकलित क्षमता के 100 % के बीच के सभी उत्पादन की यदि सरकार को अनुमोदित उत्पादन योजना के अनुसार जस्रत होगी तो इसे सरकार और इकाई के बीच क्रमश: 65:35 के अनुपात में प्रोत्साहित किया जाएगा, बशर्ते कि इकाइयों को दी जाने वाली कुल राशि के परिवर्तन लागत के घटक में शामिल करने के बाद इकाई की निजी रियायत दर पर निर्धारित किया जाए।

(iii) 110% से अधिक का उत्पादन करने वाली इकाइयों को मुआवजा उनकी रियायत दर पर किया जाएगा बशर्ते कि आईपीपी को समग्र रूप से निर्धारित किया जाएगा।

(iv) यूरिया इकाइयों की पुन: आकलित क्षमता के 100% से अधिक अतिरिक्त यूरिया प्राप्त करते समय प्रापण की गुणावगुण आर्डर प्रणाली का पालन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसी इकाइयों जो न्यूनतम लागत पर यूरिया की आपूर्ति करती हैं, प्रापण में वरियता दी जाएगी ।

(v) अनुमेय फीडस्टॉक/ईंधन की लागत सरकार द्वारा किसानों को बिक्री के लिए अपेक्षित यूरिया के बढ़े हुए उत्पादन के उपयोग पर यूरिया के वार्षिक वास्तविक उत्पादन की खपत के वास्तविक अनुपात के संदर्भ में गैस/एलएनजी/नेफ्था आदि के अनुपात में होगी। गैर-कृषि बिक्री/आयात के लिए ऊर्जा/आदान तथा अधिशेष अमोनिया महंगे फीड/ईंधन आधार पर आबंटित की जाएगी ।

(vi) यह देखते हुए कि सरकार किसानों को सीधे बिक्री के लिए अतिरिक्त उत्पादन की किसी मात्रा की जरूरत नहीं है, संबंधित इकाइयां बकाया मात्रा का निर्यात, मिश्रित उत्पादकों को बिक्री आदि के जरिए निपटान कर सकती है जिसके लिए उर्वरक विभाग की पूर्व अनुमति की जरूरत नही होगी।

(vii) सरकार अतिरिक्त उत्पादन पर राजसहायता नहीं देगी यदि इसकी कृषि खपत के लिए जरूरत नहीं है।

(च) वितरण और संचलन मुद्दे

7. जिला स्तर पर यूरिया के संचलन के लिए निम्नलिखित उपायों को लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

(i) सरकार स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर 50% तक के उत्पादन को यूरिया स्टॉक के प्रत्यक्ष संचलन संबंधी प्राधिकार को बनाए रखेंगी।

(ii) राज्यों को नियोजित यूरिया आवक अर्थात जिलावार, माह-वार और आपूर्ति-वार प्रपत्र में नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त यूरिया की सम्पूर्ण मात्रा को आबंटित करना होगा।

(iii) प्रत्येक इकाई को जिलों में जिला स्तर स्टॉक प्लाइंट को बनाए रखेगा जहां उसे यूरिया की आपूर्ति करनी होगी। ये जिला स्तरीय स्टॉक प्वांइट प्राथमिक गोदाम होंगे।

(iv) व्यक्तिगत इकाइयों को राजसहायता की प्रतिपूर्ति नियंत्रित और नियंत्रणमुक्त यूरिया दोनों के लिए जिला स्तर पर नियोजित संचलन के अनुरूप होगी। देशभर में यूरिया के संचलन और वितरण की निगरानी एक ऑन-लाइन कंप्यूटर आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाएगी। मौजूदा भुगतान प्रणाली की समय-सीमा अर्थात् 45 दिनों का पालन किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यूरिया इकाइयों को राजसहायता जारी करने के लिए राज्य सरकारों से किसी प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी। राजसहायता तभी दी जाएगी जब यूरिया जिलों में पहुंच जाएगा।

(v) विभाग राज्य संस्थावत एजेंसियों/उर्वरक कंपनियों के माध्यम से उनकी मौसमी आवश्यकता के 5% तक की सीमा तक बफर स्टॉक का संचलन करेगा।

(vi) ब्लॉक स्तर पर यूरिया की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग राज्यों के कृषि विभाग के माध्यम से कार्य करेगा।

8. एनपीएस-III के अंतर्गत यूरिया इकाइयों को भाड़ा प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जाएगी:-

(i) प्राथमिक भाडे की प्रतिपूर्ति रेल संचलन की वास्तविक दूरी के आधार पर की जाएगी;

(ii) रेल भाड़े की प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय के अनुसार होगी।

(iii) प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक के लिए सड़क दूरी प्राथमिक गौदाम तक वास्तविक दूरी के अनुसार होगी तथा प्रति टन कि.मी. दरों में मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक (एचएसडी तेल, मोटर टायर ट्रक चेसीस और सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के भारित औसत) द्वारा वृद्धि की जाएगी;

(iv) सड़क वाहनों पर 9 मी.टन की अधिकतम ट्रकभार सीमा संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रभाव को दूर करने के लिए प्राथमिक भाड़े के सड़क घटक पर 33% की एक बारगी वृद्धि की जाएगी।

(v) टैरिफ कमीशन से गौण संचलन के मामले में सड़क परिवहन के लिए औसत दूरी तथा सड़क परिवहन के लिए प्रति टन कि.मी. आधार दरों को निर्धारित करने का अनुरोध किया जाएगा। इन दरों को डब्ल्यूपीआई(मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक) द्वारा प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा;

(vi) टैरिफ कमीशन द्वारा दूरी और दरों को अंतिम रूप दिए जाने तक गौण भाड़ा, जिसे एनपीएस के चरण-I और II के दौरान 2002-2003 की दरो पर स्थिर कर दिया गया था, को 2002-2003 से डब्ल्यूपीआई (मिश्रित सूचकांक) में वृद्धि/कमी के अनुसार बढ़ाया जाएगा;

(vii) नीति के अनुसार परिकलित और दिया गया भाड़ा इकाइयों द्वारा खर्च किए गए वास्तविक भाड़ा व्यय से अधिक नहीं होना चाहिए;

(viii) विशेष भाड़ा राजसहायता के लिए मौजूदा योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर को आपूर्तियां की जाती रहेंगी।

(छ) उच्च लागत इकाइयों से संबंधित नीति(आईपीपी से अधिक उत्पादन करने पर)

9. नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित 8 इकाइयों, जिनकी उत्पादन लागत मौजूदा आईपीपी से अधिक हैं, की उच्च उत्पादन लागत को हतोत्साहित करने से, उनकी गैस में शीघ्र परिवर्तित करने के उद्देश्य से इन इकाइयों को 100% क्षमता तक उत्पादन करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते कि वे गैस में परिवर्तित करने के लिए एक सहमत समय-तालि का का पालन करें और गैस/एलएनजी/सीबीएम/कोयला गैस के लिए अनुबंध करें। यदि वे ऐसा नहीं करते है तो उन्हें पहले वर्ष (1-4-2007 रियायत दर और परिवर्तन लागत घटक (अर्थात् क्षमता उपयोग के 93% से अधिक की संतुलित निर्धारित लागत के 75 % तक) के बीच अंतर का केवल 75% और दूसरे वर्ष (1-4-2008) के बाद से 93% क्षमता उपयोग के बाद निर्धारित लागत का 50% ही दिया जाएगा ।

(ज) यूरिया के आयात की नीति

10. विनिर्दिष्ट राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) अर्थात् खनिज और धातुव्यापार निगम(एमएमटीसी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी) और इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) के जरिए यूरिया के आयात की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी।

(झ) विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाने संबंधी नीति

11. ऐसे देशों जहां गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, में संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र लगाने को बढ़ावा देने के लिए यूरिया के उत्पादन हेतु, संयुक्त उद्यमों को विदेशों में स्थापित किया जाएगा बशर्ते कि सरकार गुण व गुण आधार पर विदेशों में संयुक्त उद्यमों के समय दीर्घविधि वापस खरीद का समझौता करे प्रोत्साहन दें तदनुसार, दीर्घावधि उर्वरक संबंधी आपूर्तियों को कारगर ढंग से बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निवेश और विदेशों में संयुक्त उद्यम लगाना शामिल होंगे।

(ञ) अन्य उपाय

12. बैगों की लागत

बैगों की लागत, जिसे एनपीएस के चरण-I और II के दौरान स्थिर कर दिया गया था, कि पिछले तीन वर्षो में हुई मूल्य वृद्धि के लिए बैंगो की चल भारित औसत लागत के आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ष 2006-2007 के लिए प्रत्येक इकाई के लिए बैगों की लागत भारित औसत वर्ष 2002-03 के प्रारभ से तीन वर्ष होगी और तदनुसार तीन वर्ष के लिए तय की जाएगी।

13. आदानों पर कर

चरण-III के लिए यह निर्णय लिया गया है कि आरपीएस के अंतर्गत मान्य आदानों पर बिक्री कर और अन्य करों का वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाएगा। जहां मूल्य संवर्धित (वैट) लागू किया गया है, इसमें ऐसे समायोजित उपर्युक्त करों का उस सीमा तक मान्यता दी जाएगी जिस सीमा तक वे मूल्य संवर्धित नहीं हैं।

नीति की व्याखया से संबंधित किसी मुद्दे/विवाद के मामले में उर्वरक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। उपर्युक्त प्रावधान एनपीएस के चरण-III के दौरान या अलग आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जारी रहेंगे।

भवदीय

हस्ता/-
(दीपक सिंघल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-।-क

यूरिया इकाइयों का छह समूहों में वर्गीकरण

क्र.सं.	समूह का नाम	इकाई का नाम
i	1992 से पूर्व गैस आधारित इकाइयां	1. ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल)-नामरूप-।।। 2. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन (इफको)-आंवला-। 3. इंडो-गल्फ जगदीशपुर 4. कृषक भारती कॉपरेटिव (कृभको)-हजीरा 5. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल)-विजयपुर-। 6. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफ)-ट्राम्बे-V
ii	1992 के बाद गैस आधारित इकाइयां	1. नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल)-काकीनाड़ा-। 2. चंबल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)-गड़ेपन-। 3. टाटा केमिकल्स लिमिटेड (टीसीएल) बाबराला 4. ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (ओसीएफएल) -कृभको श्याम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (केएसएफएल)-शाहजहांपुर 5. एनएफसीएल -काकीनाड़ा -।। 6. इफको - आंवला - ।। 7. एनएफएल - विजयपुर - ।।
iii	1992 से पूर्व नाफ्था आधारित इकाइयां	1. फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स -ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट)-कोचीन 2. डकन्स इड्रेस्टीज लिमिटेड (डीआईएल) कानपुर 3. इफको - फूलपूर -। 4. मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)- मंगलौर 5. मद्रास फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एमएफएल) मनाली 6. श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एसएफसी) - कोटा 7. साउदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसपीआईसी)-तूतीकोरिन 8. जुआरी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जेडआईएल)-गोवा
	1992 के बाद नाफ्था आधारित इकाइयां	1. इफको - फूलपूर - ।। 2. सीएफसीएल - गड़ेपन-।।
v	एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयां	1. गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी लिमिटेड (जीएनवीएफसी)-भरूच 2. एनएफएल-नांगल 3. एनएफएल-भटिंडा 4. एनएफएल-पानीपत
vi	मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाइयां	1. गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (जीएसएफसी)-वडोदरा 2. इफको - कलोल 3. आरसीएफ-थल

•उत्पादन नहीं कर रही हैं।

अनुलग्नक -II

(वचनबंध का नमूना)

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति

जबकि भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन कमिटी (एफआईसीसी) द्वारा प्रशासित की जाने वाली मूल्य निर्धारण योजना को सभी यूरिया का उत्पादन करने वाली इकाइयों में दिनांक 1.4.2003 से लागू करने का निर्णय लिया है तथा ऐसी योजना का उद्देश्य दक्षता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित यूरिया उद्योग के सतत तथा विकास को सुनिश्चित करना है।

और जबकि योजना की व्यापक विशेषताएं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में चरण-I तथा II के लिए निर्धारित की गई उर्वरक विभाग ने दिनांक 30.01.2003 के पत्र संख्या 12019/5/98-एफपीपी को वर्तमान योजना पत्राचार सं. ईडी/एफआईसीसी/94/2002 दिनांक 4 जून, 2002 को बदलने के लिए इसे जारी किया तथा नई मूल्य निर्धारण योजना III की सूचना दिनांक मार्च, 2007 के पत्र संख्या ईडी/एफआईसीसी/XXदिनांक .....मार्च, 2007 के द्वारा दी गई।

हम..... (जिसकी अभिव्यक्ति में सभी हमारे उत्तरधिकारी तथा वारिस शामिल होंगे) एतद्वारा यूरिया का उत्पादन कर रही इकाइयों के लिए मूल्य निर्धारण योजना के विभिन्न प्रावधानों में निहित सभी नियम एवं शर्तों जिसकी सूचना हमें उर्वरक विभाग के दिनांक 30.01.2003 पत्र सं. I 12019/5/98-एफपीपी तथा उसके अनुलग्नकों सहित दिनांक 08 मार्च, 2007 के पत्र संख्या 12012/3/2008-एफपीपी के माध्यम से दी गई है तथा उर्वरक विभाग/एफआईसीसी द्वारा योजना को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर तैयार किए गए नियमों अधिसूचनाओं तथा विनियमों को भी स्वीकार तथा उनका अनुपालन करने का वचन तथा वादा करते हैं।

इसके अलावा हम इस योजना के तहत ऐसे खाते या निधि के माध्यम से तथा सरकार/एफआईसीसी द्वारा समय-समय पर निर्धारित या निदेश दिए गए तरीके से आवधिक वित्तीय संव्यवहार करने का वचन तथा वादा करते है।

इसके अलावा हम उर्वरक उद्योग समन्वय समिति, जो रियायत दरों को निर्धारित किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी है के निर्णयों का अनुपालन करने का वचन तथा वादा करते हैं।

निदेशक मंडल..... द्वारा पारित दिनांक .....के संकल्प सं. .....के अनुसरण में निष्पादित दिनांक ..... सामान्य मुख्तारनामा के धारक के रूप में हमारी ओर से दिनांक .....को हमारे प्रतिनिधि श्री/श्रीमती..... के द्वारा हस्ताक्षरित

उपस्थिति में

हस्ताक्षरित

के लिए तथा की ओर से

गवाह:

1.

2.

मुख्तारनामा

अनुलग्नक-IX

सं.12012/3/2010-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
*****

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2014

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफआईसीसी),
8वां तल, सेवा भवन,
नई दिल्ली

विषय: मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए आशोधित एनपीएस-III

महोदय,

मुझे मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए आशोधित एनपीएस-III के संबंध में भारत सरकार का अनुमोदन सूचित करने का निदेश हुआ है।

2. आशोधित एनपीएस-III की अवधि:

आशोधित एनपीएस-III नीति को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जाएगा। तत्पश्चात् प्रचलित ऊर्जा परिदृश्य, उत्पादन और आपूर्ति परिदृश्य, यूरिया मूल्यों के अंतर्राष्ट्रीय रुझान आदि को ध्यान में रखते हुए नीति की समीक्षा की जाएगी।

3. यूरिया इकाइयों की रियायत दरें

यूरिया इकाइयों की रियायत दरों का आकलन एनपीएस-III और इसके संशोधनों के अनुरूप निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन जारी रहेगा:-

3.1 अतिरिक्त नियत लागत

(क) मौजूदा यूरिया इकाइयों को वर्ष 2002-03 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 350 रुपए/मी.टन की अधिकतम अतिरिक्त नियत लागत (चार घटकों अर्थात् वेतन एवं मजदूरी, संविदा मजदूरी,विक्रय व्यय तथा मरम्मत एवं रखरखाव में वृद्धि के लिए) या नियत लागत के उपर्युक्त चार घटकों की वास्तविक वृद्धि, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह सभी यूरिया

इकाइयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर्ष 2012-13 के लिए उपर्युक्त चार घटकों के लिए प्रमाणित लागत आंकड़ों पर आधारित होगी।

(ख) केएफसीएल और बीवीएफसीएल इकाइयों के संबंध में, जिनके वर्ष 2002-03 या 2012-13 के संबंध में चार घटकों के लागत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, 521 रुपए/मी.टन (वर्ष 2002-03 के दौरान भारित उद्योग औसत) के अतिरिक्त नवीनतम वर्ष के लिए प्रमाणित लागत आंकड़ों के अनुसार इन चार घटकों में वास्तविक वृद्धि, जो अधिकतम 350 रुपए/मी.टन है, की अनुमति दी जाएगी।

3.2 <u>न्यूनतम नियत लागत</u>

उपर्युक्त 3.1 (क) और (ख) के मुआवजे को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012-13 के दौरान विद्यमान वास्तविक नियत लागत या 2300 रुपए/मी.टन की न्यूनतम नियत लागत जो भी कम हो, का भुगतान किया जाएगा। यह सभी यूरिया इकाइयों द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रभावित नियत लागत आंकड़े पर आधारित होंगी।

3.3 <u>30 वर्ष पूरे करने तथा गैस में परिवर्तित होने वाले यूरिया संयंत्रों को विशेष मुआवजा</u>

जिन इकाइयों ने गैस में परिवर्तित कर लिया है और जो 30 वर्ष से अधिक पुरानी हैं, उन्हें गैस आधारित यूरिया संयंत्रों के लिए 150 रुपए/मी.टन के विशेष मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। यह उपर्युक्त पैरा 3.1 और 3.2 के अतिरिक्त हैं।

3.4 नई क्षमता की वृद्धि के बाद यथासमय पुरानी और अक्षम इकाइयों को हटाने का निर्णय लिया गया है।

4. <u>उच्च लागत इकाइयों से उत्पादन को जारी रखना</u>

उच्च लागत नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों नामतः स्पिक तूतीकोरिन, एमएफएल मणलि और एमसीएफएल मैंगलोर का प्रचालन आशोधित एनपीएस-।।। के अंतर्गत तब तक जारी रहेगा जब तक इन इकाइयों को गैस और कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाती है या जून 2014 तक, जो भी पहले हो, जिसके बाद नेफ्था आधारित संयंत्रों के लिए राजसहायता का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, ग्रीनफील्ड निवेश में कोई क्या नेफ्था आधारित संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. <u>नेफ्था और एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों की प्रतिपूर्ति</u>

नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस के महंगे फीड/ईंधन स्टॉक की मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी और वर्तमान में लागू 100% नेफ्था/एफओ/एलएसएचएस सहित वास्तविक आदान मिश्रण के आधार पर ऊर्जा बचत के लिए इन इकाइयों को प्रोत्साहित करने की मौजूदा प्रणाली जून 2014 या ऐसे समय तक जब तक कि वे गैस में परिवर्तित न हो जाएं, में जो भी पहले हो, तक जारी रहेगी।

6. <u>गैस में परिवर्तित होने वाली नेफ्था इकाइयों के पूर्व निर्धारित ऊर्जा मानदण्ड को जारी रखना</u>

फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था से गैस में परिवर्तित करने के लिए निवेश के आंकड़े और प्रत्येक इकाई से परिवर्तन के बाद वास्तविक ऊर्जा के आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर उर्वरक विभाग, व्यय विभाग के परामर्श से उस अवधि की गणना करेगा जिसके लिए मौजूदा पूर्व निर्धारित मानकों की अनुमति दी जाएगी जोकि परिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा ताकि प्रत्येक इकाई ऊर्जा बचत के जरिए निवेश और उसके ब्याज की वसूली कर पाने की स्थिति में हो सके।

7. <u>एनपीएस-।।। के अंतर्गत अधिसूचित संशोशित प्रावधानों को जारी रखना</u>

एनपीएस-।।। के अंतर्गत्अधिसूचित निम्नलिखित संशोधित प्रावधान जारी रखेंगे:

(क) आधार रियायत दरों के अंतर्गत गणना की गई 10% मानकीय नियत लागत से एनपीएस-।।। के अंतर्गत समूह औसत सिद्धांत के कारण प्रत्येक यूरिया इकाई की लागत में कमी के संबंध में जिससे समूह औसत के कारण उत्पन्न होने वाली मूल्य-निर्धारण विसंगति दूर होती है, दिनांक 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं.12012/19/2007 के पैरा (ii) में यथानिहित प्रावधान।

(ख): यूरिया की बफर स्टॉकिंग योजनाओं के विस्तृत मानदण्डों के संबंध में 10 जुलाई, 2009 की अधिसूचना सं.12012/19/2007-एफपीपी के पैरा (iii) में यथानिहित प्रावधान।

(ग): आरसीएफ-ट्राम्बे इकाई द्वारा यूरिया उत्पादन को बहाल करने के संबंध में दिनांक 6 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं.12014/1/2008-एफपीपी में यथानिहित प्रावधान।

(घ) मौजूदा यूरिया इकाइयों को पुन: शुरू करने के लिए एनपीएस-।।।-नीति के संशोधन के संबंध में दिनांक 6 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं.12014/1/2008-एफपीपी में निहित प्रावधान। जून, 2013 में डीआईएल/केएफसीएल-कानपुर को एलएनजी पर पुन: उत्पादन शुरू करने के लिए दी गई अनुमति को उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

(ड.) एफओ/एलएसएचएस यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करने की नीति के संबंध में दिनांक 6 मार्च, 2009 की अधिसूचना सं.12014/1/2008-एफपीपी; एनएफएल की बठिण्डा, नांगल और पानीपत स्थित ईंधन तेल/लो सल्फर हेवी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस में परिवर्तन हेतु दिनांक 8 फरवरी, 2010 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रावधान करना; गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की ईंधन तेल/लो सल्फर हेवी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित यूरिया इकाई को प्राकृतिक गैस (एनजी) में परिवर्तित करने के लिए दिनांक 14 दिसंबर, 2009 को अधिसूचनाओं के अंतर्गत प्रावधान।

8. 92 के बाद के नेफ्था आधारित समूहों नामत: इफको फूलपुर-।। और सीएफसीएल-।। में दो इकाइयों के क्षमता उपयोग को गैस आधारित इकाइयों के सममूल्य पर 95% से बढ़ाकर 98% किया गया है। एफआईसीसी द्वारा इन इकाइयों के लिए नियत लागत के समूह औसत का पुन: निर्धारण किया जाए।

9. <u>पुन: आकलित क्षमता से अधिक उत्पादन</u>

(क) पुन: आकलित क्षमता (आरए) से अधिक उत्पादन को वर्तमान में आईपीपी के संबंध में लाभ बंटवारे द्वारा इस प्रकार शासित किया जाता है:

(i) <u>पुन: आकलित क्षमता 100% से अधिक और 110% तक होने पर:</u>
सरकार और इकाई के बीच आईपीपी के संबंध में लाभ के बंटवारे का अनुपात 65:35 है जो रियायत दर के अधीन है।

(ii) <u>पुन: आकलित क्षमता का 110% से अधिक और कट-ऑफ स्तर तक होने पर:</u> आईपीपी की समग्र क्षमता की ऊपरी सीमा के अधीन, रियायत दर पर।

(iii) <u>कट-ऑफ स्तर के बाद:</u> 85% आईपीपी पर।

(ख) कट-ऑफ स्तरों पर उत्पादन का निर्धारण 2003-04 से 2006-07 तक के दौरान उच्चतम प्राप्त मीट्रिक टन प्रति दिन (एमटीपीडी) के आधार पर निवेश नीति (सं.120212/12/2007-एफपीपी, दिनांक 04.09.2008) के अंतर्गत किया जाता है। अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन देने की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। निवेश नीति 2008 के अनुसार कट-ऑफ स्तर को बिना किसी परिवर्तन के जारी रखा जाएगा।

10. <u>वितरण और संचलन:</u>

यूरिया के वितरण और संचलन का नियंत्रण मालभाड़ा और संचलन नीति और समय-समय पर उसमें किए गए संशोधनों द्वारा किया जाएगा। यूरिया का संचलन उर्वरक विभाग द्वारा तैयार की गई मासिक आपूर्ति योजना के अनुसार किया जाता रहेगा। आयातित और स्वदेशी दोनों यूरिया के संपूर्ण 100% संचलन और वितरण को मासिक आपूर्ति योजना के जरिए संचलन प्रभाग द्वारा विनियमित किया जाएगा।

11. <u>यूरिया का आयात:</u>

मौजूदा एसटीई के जरिए आयात के प्रावधान, जैसा कि दिनांक 8 मार्च, 2007 की अधिसूचना की मौजूदा यूरिया नीति के पैरा 10 में दिया गया है, को यदि आवश्यक हो, तो तब तक जारी रखा जा सकता है जब तक इसकी समीक्षा न कर ली जाए।

12. <u>विदेश में संयुक्त उद्यम</u>

एनपीएस-III नीति के अंतर्गत शामिल विदेश में संयुक्त उद्यम लगाने की योजना को नई निवेश नीति 2012 में शामिल किया जाएगा।

13. <u>आदानों पर कर</u>

राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर लगाए गए नए करों के मान्यता देने और आरपीएस के अंतर्गत मान्यता नहीं दिए गए करों के संबंध में 08 मार्च, 2007 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित नीति जारी रहेगी।

14. अधिसूचना सं. 12012/3/2006-एफपीपी दिनांक 08 मार्च, 2007 द्वारा जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित एनपीएस-III नीति दिनांक 17 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं.12012/9/2009-एफपीपी द्वारा अगला आदेश होने तक उर्वरक विभाग द्वारा अनंतिम आधार पर विस्तार किया गया था। एनपीएस-III नीति को इस अधिसूचना की तारीख तक जारी रखा जाएगा।

15. इस नीति की व्याख्या के संबंध में कोई मुद्दा/विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उर्वरक विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

भवदीय,

हस्ता./-
(सतीश चन्द्र)
संयुक्त सचिव
दूरभाष: 23386800

अनुलग्नक-X

सं. 12012/1/2015-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
25 मई, 2015

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफ/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टीसीएल/जेडएसीएल/इंडोगल्फ/स्पिक/केएसएफसीएल/एमसीएफएल/एफसीआईएल/एचएफसीएल/फैक्ट/आईपीएल/मैटिक्स/केएफसीएल

विषय: विद्यमान गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए नई यूरिया नीति-2015

महोदय,

मुझे इस विभाग के दिनांक 2 अप्रैल, 2014 के पत्र सं. 12012/3/2010-एफपीपी का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा आशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस)-III की मुख्य विशेषताओं को 02.04.2014 से एक वर्ष के लिए लागू करने हेतु संसूचित किया गया था। नई यूरिया नीति-2015 को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है जैसाकि आगामी पैराग्राफों में वर्णित है।

1. <u>अवधि</u>

नई यूरिया नीति-2015 1 जून, 2015 से 31.03.2019 तक प्रभावी रहेगी। विद्यमान आशोधित एनपीएस-III और नई निवेश नीति 2008 के प्रावधान 31 मई, 2015 तक जारी रहेंगे।

2. <u>यूरिया इकाइयों का समूहन</u>

2.1 विद्यमान गैस आधारित यूरिया इकाइयों को निम्नलिखित तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाएगा;

i. समूह-I में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 5.0 जीकैल/मी.टन से 6.0 जीकैल/मी.टन के बीच में है।

क. एनएफएल-विजयपुर-I एवं II, कृभको-हजीरा, इंडोगल्फ-जगदीशपुर, इफको-आंवला-I एवं II, केएसएफएल-शाहजहांपुर, सीएफसीएल गडेपान-I एवं II, टीसीएल-बबराला, एनएफसीएल-काकीनाडा-I एवं II और इफको-फूलपुर-II (तेरह इकाइयां).

ii. समूह-II में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 6.0 जी कैल/मी.टन से 7.0 जी कैल/ मी.टन के बीच है।

क. इफको-कलोल, जीएसएफसी-बड़ौदा, आरसीएफ-थाल और जीएनवीएफसी-भरूच (चार इकाइयां)

iii. समूह-।।। में निम्नलिखित यूरिया इकाइयां सम्मिलित हैं जिनका पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक 7.0 जी कैल/मी.टन से अधिक है।

क. एनएफएल-नंगल, एनएफएल-पानीपत, एनएफएल-बठिंडा, जैडएसीएल-गोवा, एसएफसी-कोटा, आरसीएफ ट्रॉबे-V, इफको-फूलपुर-। और केएफसीएल-कानपुर (8 इकाइयां)

2.2 एमएफएल-मणलि, एमसीएफएल-मंगलौर, स्पिक तूतीकोरिन, बीवीएफसीएल-नामरूप-।। और बीवीएफसीएल-नामरूप-।।। इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी क्योंकि ये इकाइयां देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई नहीं हैं।

2.3 बीवीएफसीएल- नामरूप-।। और बीवीएफसीएल-नामरूप-।।। को नई उच्च दक्षता वाली इकाई की संस्थापना की दृष्टि से बंद किया जाना प्रस्तावित है और उन पर उनके पुनर्संरचना प्रस्ताव के अंतर्गत अलग से कार्रवाई की जाएगी। तब तक यह इकाइयां आशोधित एनपीएस-।।। के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेंगी।

2.4 उपर्युक्त पैरा 2.1 में उल्लिखित पच्चीस इकाइयां 01 जून, 2015 से 31 मार्च, 2018 तक प्रत्येक समूह के लिए नियत संशोधित ऊर्जा मानकों के आधार पर रियायती दरें निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी:

3. तीन वर्षों (2015-16 से 2017-18 तक) के लिए संशोधित मानक

3.1 वर्ष 2015-16 (01 जून, 2015 तथा इसके आगे), 2016-17 और 2017-18 के संशोधित ऊर्जा मानक, एनपीएस-।।। के पूर्व निश्चित ऊर्जा मानकों की साधारण औसत और वर्ष 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान प्राप्त औसत वास्तविक ऊर्जा खपत या एनपीएस-।।। के पूर्व निश्चित ऊर्जा मानक, जो भी कम हो, होंगे।

3.2 2018-19 के लिए ऊर्जा मानक

क) समूह-। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक 5.5 जी कैल/मी.टन होंगे जिसमें टीसीएल-बबराला शामिल नहीं है। टीसीएल-बबराला के लिए एनपीएस-।।। के विद्यमान पूर्वनिश्चित ऊर्जा खपत मानक अर्थात् 5.417 जीकैल/मी.टन जारी रहेंगे।

ख) समूह ।। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक 6.2 जी कैल/मी.टन होंगे।

ग) समूह ।।। के लिए

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इस समूह के ऊर्जा खपत मानक 6.5 जी कैल/मी.टन होंगे।

3.3 एनएफएल की बठिंडा, नंगल और पानीपत तथा गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की भरूच स्थित यूरिया इकाइयों के लिए उर्वरक विभाग द्वारा जारी एफओ/एलएसएचएस यूरिया इकाइयों को प्राकृतिक गैस में बदलने संबंधी वर्तमान प्रावधान लागू रहेंगे।

3.4 जो इकाइयां नेफ्था से गैस में परिवर्तित हो गई हैं, यथा जैडएसीएल और केएफसीएल, उन्हें नेफ्था से गैस में परिवर्तन के लिए किए गए निवेश की वसूली के लिए एनपीएस-।।। के पूर्वनिश्चित

मानकों पर ऊर्जा खपत पर बचत मिलती रहेगी। ऐसी सभी इकाइयों से आंकड़े प्राप्त किए जाएंगे और इन आंकड़ों के आधार पर उर्वरक विभाग, व्यय विभाग से परामर्श करके, उस अवधि की गणना करेगा जिसके लिए वर्तमान पूर्व निश्चित मानक अनुमत्य होंगे जो कि परिवर्तन की तारीख से पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, ताकि प्रत्येक इकाई ऊर्जा बचतों से, ब्याज सहित निवेश की वसूली करने की स्थिति में हो जाए।

4. अन्य परिवर्ती लागत उदाहरणार्थ थैले की लागत, जल प्रभार एवं वैद्युत शुल्क और नियत लागत के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण एनपीएस-।।। और आशोधित एनपीएस-।।। के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. पुन: निर्धारित क्षमता (आरएसी) से अधिक उत्पादन के लिए, इकाइयां अपने से संबंधित परिवर्ती लागत और सभी स्वदेशी यूरिया इकाइयों के प्रति मी.टन नियत लागतों के न्यूनतम एक समान प्रति मी.टन प्रोत्साहन के लिए हकदार होगी जोकि आयात क्षमता मूल्य और सरकार द्वारा आयातित यूरिया पर व्यय किए जाने वाले अन्य अनुषंगी प्रभारों की भारित औसत के अध्यधीन होगी।

6. रियायत दर की वृद्धि/कमी, नीम लेपित यूरिया, वितरण और संचलन, यूरिया आयात और यूरिया उत्पादन के लिए आदानों पर कर, मालभाड़ा प्रतिपूर्ति के संबंध में अन्य सभी विद्यमान नीति, इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सभी मार्ग निर्देशों के अनुसार जारी रहेंगे।

7. प्रचालनात्मक मुद्दों के संबंध में यदि नीति में किसी ऐसे आशोधन की आवश्यकता होती है जिससे नीति के मूल ढांचे अर्थात् गैस के एकत्रीकरण और ऊर्जा दक्षता लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं होता हो और वह सरकार के लिए वित्तीय दृष्टि से लाभकारी हो तो उर्वरक विभाग को इस मामले में व्यय विभाग से परामर्श करके निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

भवदीय,

हस्ता./
(शाम लाल गोयल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011-23388481

प्रतिलिपि:
कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति,
8वां मंजिल, सेवा भवन, आर के पुरम, नई दिल्ली

प्रति इन्हें भी:

सचिव (पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय) के प्रधान निजी सचिव/सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एसएलजी) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एसकेएल) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (एचएलएस) के प्रधान निजी सचिव।

अनुलग्नक-XI

सं.12018/4/2014-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 जून, 2015

कार्यकारी निदेशक,
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति(एफआईसीसी),
8वां तल, सेवा भवन,
नई दिल्ली

विषय: नेफ्था को फीडस्टॉक के रूप में प्रयोग करते हुए मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमएफएल)-मणलि, मंगलोर केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एमसीएफएल)-मंगलोर और सदर्न पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (स्पिक)-तूतीकोरिन से, इन यूरिया निर्माता इकाइयों को गैस की संयोजकता और उपलब्धता होने तक, यूरिया के उत्पादन को जारी रखना।

महोदय,

इस विभाग के दिनांक 7 जनवरी 2015 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सक्षम प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित इन तीन संयंत्रों को निम्नलिखित शर्तों पर फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का प्रयोग करके प्रचालन जारी रखने का अनुमोदन दे दिया है:-

1. विद्यमान प्रावधानों पर एमएफएल-मणलि, एमसीएफएल-मेंगलोर और स्पिक-तूतीकोरिन को गैस पाइप लाइन अथवा अन्य किसी साधन से इन संयंत्रों को गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाने तक प्रचालन की अनुमति है।

2. ये इकाइयां इस अधिसूचना की तारीख (17 जून, 2015) से संशोधित ऊर्जा मानदण्डों के आधार पर राजसहायता की पात्र होंगी जो एनपीएस-III के पूर्व स्थापित उर्जा मानदण्ड और वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान प्राप्त निम्नतम वास्तविक ऊर्जा खपत के साधारण औसत अथवा एनपीएस-III के पूर्व स्थापित ऊर्जा मानदंडों, जो भी कम हो, के अनुसार होगी।

3. इन संयंत्रों के लिए रियायत दर, आरएलएनजी पर राज्य कर (वैट, प्रवेश कर) घटाने के पश्चात् हालिया परिवर्तित संयंत्रों को आरएलएनजी की सुपुर्दगी लागत अथवा नेफ्था/एफओ पर राज्य

कर (वैट, प्रवेश कर) घटाने के पश्चात् नेफ्था/एफओ से यूरिया के उत्पादन की लागत, जो भी कम हो, के भारित औसत पर प्रतीकात्मक रूप से निर्धारित की जाएगी।

4. अन्य परिवर्तनीय लागत यथा थैले की लागत, जल प्रभार और विद्युत प्रभार और नियत लागत के लिए मुआवजे का निर्धारण एनपीएस-।।। और आशोधित एनपीएस-।।। के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

5. उर्वरक विभाग, तिमाही आधार पर गैस प्राप्त करने के लिए इन तीन नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों की गैस की अपूर्ति के ढांचे और तैयारी की प्रगति की समीक्षा करेगा।

6. एमसीएफएल और स्पिक के लिए क्रमश: 17 अप्रैल, 2015 और 24 अप्रैल, 2015 से उत्पादन नियिमत किया जाता है और 16 अप्रैल, 2015 को विद्यमान प्रावधानों के अनुसार इस अवधि के लिए, इस अधिसूचना के जारी होने (17 जून 2015) तक ये इकाइयां यूरिया उत्पादन पर राजसहायता प्राप्त करने की पात्र होंगी।

7. वित्त वर्ष 2018-19 से इन इकाइयों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत मानदंड यूरिया के 6.5 जी.कैल/मी.टन होंगे।

भवदीय,

हस्ता.
(विजय रंजन सिंह)
निदेशक (उर्वरक)
दूरभाष: 011-23386398

<u>प्रतिलिपि:</u>

1. निदेशक (संचलन)
2. सीएमडी-एमएफएल
3. एमडी-एमसीएफएल
4. सीईओ-स्पिक

अनुलग्नक-XII

सं0 12012/1/2015-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28 मार्च, 2018

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/
एनएफसीएल/सीएफसीएल/वाईएफआईएल/जेडएसीएल/जीआईएल/स्पिक/केएफएल/एमसीएफएल/केएफसीएल

सभी यूरिया विनिर्माता इकाइयां

विषय: नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के तहत ऊर्जा मानकों में संशोधन।

महोदय,

मुझे नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 के कार्यान्वयन के संबंध में इस विभाग के पत्र सं.12012/1/015-एफपीपी दिनांक 25 मई, 2015 तथा गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी प्राप्त होने तक एमएफएल, एमसीएफएल और स्पिक द्वारा यूरिया उत्पादन हेतु फीडस्टॉक के रूप में नेफ्था का उपयोग जारी रखने के संबंध में पत्र सं.12018/4/2014-एफपीपी दिनांक 17 जून, 2015 के संदर्भ में, सभी यूरिया विनिर्माता इकाइयों (बीवीएफसीएल को छोड़कर) को प्रदत्त लक्ष्य ऊर्जा मानदण्डों के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णयों पर अनुमोदन संसूचित करने का निदेश हुआ है:-

(i) 11 यूरिया विनिर्माण इकाइयों अर्थात् वाईएफआईएल, एनएफएल-विजयपुर-II, जीआईएल, सीएफसीएल-गडेपान-I और II, इफको-आंवला-II, आरसीएफ-थाल, इफको कलोल, इफको-आंवला-I, इफको-फूलपुर-I और II के लिए एनयूपी-2015 के पैरा 3.2 में यथा-उल्लिखित लक्ष्य ऊर्जा खपत मानदंड 1 अप्रैल 2018 से प्रवृत्त होंगे।

(ii) शेष 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों, अर्थात् एनएफएल विजयपुर-I, कृभको-हजीरा, केएफएल-शाहजहांपुर, एनएफसीएल काकीनाडा-I, एनएफसीएल काकीनाडा-II, जीएनएफसी-भरुच,

जीएसएफसी-वड़ोदरा, एनएफएल-बठिण्डा, एनएफएल-नांगल, एनएफएल-पानीपत, एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, आरसीएफ ट्रॉम्बे-V, जैडएसीएल-गोवा के लिए नई यूरिया नीति-2015 के मौजूदा मानदंडों को आगे 2 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 31 मार्च 2020 तक निम्नलिखित दंडों के साथ बढ़ाया जा सकता है:

(क) एनयूपी-2015 के ऊर्जा मानदंडों और लक्ष्य ऊर्जा के बीच अंतर की 2% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना प्रथम वर्ष के लिए अर्थात् 2018-19 के लिए लगाया जा सकता है।

(ख) एनयूपी-2015 के ऊर्जा मानदंडों और लक्ष्य ऊर्जा के बीच अंतर की 5% ऊर्जा के समतुल्य जुर्माना दूसरे वर्ष के लिए अर्थात् 2019-20 के लिए लगाया जा सकता है।

(ग) यूरिया विनिर्माण इकाइयां 2018-19 से 2019-20 तक बढ़ाई गई अवधि के दौरान लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को अनिवार्यत: प्राप्त करें अन्यथा चूककर्ता इकाइयों पर व्यय विभाग के परामर्श से अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।

(iii) उक्त लक्ष्य ऊर्जा मानदंडों को 31 मार्च 2025 तक जारी रखा जा सकता है। इस दौरान, नीति आयोग के अंतर्गत एक विशेषज्ञ निकाय 01 अप्रैल 2025 से प्राप्त किए जाने वाले ऊर्जा मानदंडों की सिफारिश करने का कार्य करेगा।

(iv) तीन नेफ्था आधारित यूरिया इकाइयों अर्थात् एमएफएल, एमसीएफएल, स्पिक को भी दिनांक 17 जून 2015 की नीतिगत अधिसूचना के पैरा (2) के तहत मौजूदा ऊर्जा मानदंडों के लिए अन्य दो वर्ष के लिए अर्थात् 31 मार्च 2020 तक के लिए अथवा इन इकाइयों के पाइपलाइन कनैक्टिविटी प्राप्त कर लेने तक, जो भी पहले हो, अनुमति दी जा सकती है। दिनांक 8 मार्च 2007 की एनपीएस-III नीति के पैरा 3(viii) और 5(ii) के अनुसार गैस पाइपलाइन कनैक्टिविटी की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि के लिए ऊर्जा दक्षता की कोई मॉपिंग नहीं होगी।

भवदीय,

हस्ता./-
(धर्मपाल)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23386800

प्रतिलिपि:

कार्यकारी निदेशक
उर्वरक उद्योग समन्वय समिति
8वीं मंजिल, सेवा भवन, आरके. पुरम, नई दिल्ली

अनुलग्नक-XIII

सं. 12012/1/2015-एफपीपी (खण्ड-III)
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 07 जुलाई, 2020

सेवा में,

एनएफएल, कृभको, केएफएल, एनएफसीएल, जीएनएफसी, जीएसएफसी, एसएफसी, केएफसीएल, आरसीएफ, जेडएसीएल के सभी सीएमडी/एमडी

विषय: नई यूरिया नीति-2015 के तहत ऊर्जा मानकों का संशोधन।

महोदय,

मुझे विद्यमान गैस आधारित यूरिया विनिर्माण इकाइयों के संबंध में दिनांक 25 मई, 2015 के विभाग के पत्र सं. 12012/1/2015-एफपीपी और उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 मार्च, 2018 के पत्र का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यय विभाग के परामर्श से नई यूरिया नीति-2015 के अधीन विद्यमान ऊर्जा मानकों को 14 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के लिए अर्थात एनएफएल विजयपुर-I, कृभको-हजीरा, केएफएल-शाहजंहापुर, एनएफसीएल-काकिनाड़ा-I, एनएफसीएल-काकिनाड़ा-II, जीएनएफसी-अरुच, जीएसएफसी-वड़ोदरा, एनएफएल-बठिंडा, एनएफएल-नांगल, एनएफएल-पानीपत, एसएफसी-कोटा, केएफसीएल-कानपुर, आरसीएफ ट्रॉबे-V, जेडएसीएल-गोवा, के लिए 06 महीने की अगली अवधि हेतु अर्थात 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जिसमें एनयूपी-2015 के एनयूपी ऊर्जा मानकों तथा लक्ष्य ऊर्जा मानकों के बीच के अंतर का 10% बढ़ाया हुआ दण्ड भी शामिल है।

2. यह भी नोट किया जाए कि 30 सितंबर, 2020 के बाद कोई विस्तार नहीं किया जाएगा और एनयूपी-2015 के अनुसार लक्ष्य ऊर्जा मानकों को विस्तारित अवधि के अंत तक अर्थात 01 अक्टूबर, 2020 तक लागू किया जाएगा। अत: उपर्युक्त यूरिया विनिर्माण इकाइयों को एततद्वारा यह निदेश दिया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लक्ष्य ऊर्जा मानकों को प्राप्त करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए।

भवदीय,

(धर्मपाल)
अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23386800

आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति:

1. ईडी, एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, आर.के. पूरम, नई दिल्ली
2. उप निदेशक, पीएफसी-I (श्रीमती शलाका कुजूर), व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली: को आई.डी. नोट सं. 06(07)/पीएफ-II/2011 दिनांक 12 जून, 2020 के संदर्भ में
3. निदेशक, एनआईसी, उर्वरक विभाग: उर्वरक विभाग की वेब-साइट पर यह अधिसूचना अपलोड करने के अनुरोध के साथ

प्रति सूचनार्थ:

माननीय मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री (रसायन और उर्वरक) के निजी सचिव, सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/ अपर सचिव एंव वित्तीय सलाहकार के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (पीएस) के प्रधान निजी सचिव/ संयुक्त सचिव (जीएस) के प्रधान निजी सचिव

अनुलग्नक-XIV

सं0 12012/39/2011-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 02 जनवरी, 2013

सेवा में

राज्य सरकारों के सभी मुख्य सचिव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टीसीएल/जेडएसीएल/इण्डोगल्फ/स्पिक/केएसएफसीएल/एमसीएफएल/एफसीआईएल/एचएफसीएल/फैक्ट/आईपीएल/मैटिक्स/केएफसीएल

यूरिया विनिर्माता सभी इकाइयां

विषय: नई निवेश नीति - 2012

महोदय,

मुझे यूरिया क्षेत्र में नए निवेश की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नई निवेश नीति-2012 (एनआईपी-2012) हेतु भारत सरकार के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है। एनआईपी-2012 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. यह यूरिया इकाइयों को भुगतान की जाने वाली राशि के लिए न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य का ढांचा प्रदान करती है जिसकी गणना संबंधित यूरिया इकाइयों के गैस सुपुर्दगी मूल्य (प्रभारों एवं करों सहित) के आधार पर की जाएगी। प्रत्येक यूरिया इकाई का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य गणना किए गए आयात सममूल्य (आईपीपी) (अनुलग्नक-1) के संबंध में प्रभावी होगा। निवेश नीति-2008 के अंतर्गत यूरिया के लिए परिभाषित आईपीपी औसत लागत एवं मालभाड़ा मूल्य है जिसमें कोई प्रयोज्य सीमा शुल्क तथा बंदरगाह पर हैंडलिंग और बैगिंग प्रभार शामिल नहीं है। यदि संगणित आईपीपी (देय) संबंधित गैस लागत के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के बीच है तो वह आईपीपी (देय) होता है जिसका प्रयोग किया जाएगा। यदि आईपीपी (देय) अधिकतम या न्यूनतम से क्रमश: अधिक या कम है, तो अधिकतम या न्यूनतम मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, स्वीकार्य होगा।

2. मानदण्ड, जिसके अनुसार संयंत्रों को विभिन्न श्रेणियों नामत: पुनरुत्थान, विस्तार, पुनरुद्धार और ग्रीनफील्ड के अंतर्गत रखा जाएगा, निम्न अनुसार होंगे:

2.1 <u>पुनरुत्थान परियोजनाएं</u>: अमोनिया-यूरिया उत्पादन की मौजूदा कड़ी में पूंजीगत निवेश के जरिए मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में कोई सुधार या उत्तरोत्तर वृद्धि को मौजूदा इकाइयों के पुनरुत्थान के रूप में माना जाएगा।

2.2 <u>विस्तार या ब्राउनफील्ड परियोजनाएं</u>: मौजूदा उर्वरक संयंत्रों के परिसर में कुछ सामान्य उपयोगिताओं का उपयोग कर नए अमोनिया-यूरिया संयंत्र (एक पृथक नई अमोनिया-यूरिया कड़ी) की स्थापना, विस्तार परियोजना के रूप में माना जाएगा। निवेश 3000 करोड़ रुपए की न्यूनतम सीमा से अधिक होना चाहिए।

2.3 <u>बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार:</u> बरौनी, दुर्गापुर और हल्दिया में हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल) की तीन बंद यूरिया इकाइयां, और फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफसीआईएल) की सिंदरी, तलचर, रामागुण्डम, गोरखपुर और कोरबा की पांच बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार करने का प्रस्ताव किया जा रहा है जो 'बंद यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार के अंतर्गत आएंगी।

2.4 <u>ग्रीनफील्ड परियोजनाएं:</u> यदि किसी यूरिया इकाई की स्थापना, किसी ऐसे परियोजना स्थल पर की जाती है जहां भूमि अधिग्रहण के बाद भण्डारण सुविधाओं, परिवहन सुविधाओं, जल एवं मलव्ययन उपचार आदि सहित अमोनिया-यूरिया संयंत्र के निर्माण के लिए पहले से इसी प्रकार की निर्माण सुविधाएं मौजूद न हो तो उसे ग्रीनफील्ड परियोजना माना जाएगा।

3. <u>ग्रीनफील्ड/एचएफसीएल और एफसीआईएल की बंद परियोजनाओं का पुनरुत्थान</u>

(i) ग्रीनफील्ड/पुनरुत्थान यूरिया इकाइयों के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक सुपुर्दगी गैस मूल्य पर:

(क) यूरिया का न्यूनतम मूल्य 305 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया नियत किया जाता है।

(ख) यूरिया का अधिकतम मूल्य 335 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया नियत किया जाता है।

(ii) सुपुर्दगी गैस मूल्य में प्रत्येक 0.1 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के लिए निम्नानुसार तदनुरुपी परिवर्तन होगा :

(क) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य तक 2 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन न्यूनतम और अधिकतम मूल्य।

(ख) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक के सुपुर्दगी गैस मूल्य के लिए 2 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन न्यूतनम मूल्य।

(iii) ग्रीनफील्ड/एचएफसीएल तथा एफसीआईएल की बंद यूरिया इकाइयों के पुनरुत्थान से यूरिया को 95% आईपीपी (सीएण्डएफ) की एकसमान दर पर मान्यता दी जाएगी जो कि उपर्युक्त 3(i) और 3(ii) में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम फ्लोटिंग मूल्य के अधीन है।

4. <u>पर्याप्त विस्तार या ब्राउनफील्ड परियोजनाएं</u>

(i) विस्तार/ब्राउनफील्ड यूरिया इकाइयों के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक के सुपुर्दगी गैस मूल्य पर:

(क) यूरिया का न्यूनतम मूल्य 285 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया नियत किया जाता है।

(ख) यूरिया का अधिकतम मूल्य 310 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया नियत किया जाता है।

(ii) सुपुर्दगी गैस मूल्य में प्रत्येक 0.1 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के लिए निम्नानुसार तदनुरुपी परिवर्तन होगा :

(क) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य तक 2 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन न्यूनतम और अधिकतम मूल्य।

(ख) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक के सुपुर्दगी गैस मूल्य के लिए 2 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन न्यूतनम मूल्य।

(iii) विस्तार/ब्राउनफील्ड यूरिया इकाइयों से यूरिया को 90% आईपीपी (सीएण्डएफ) की एकसमान दर पर मान्यता दी जाएगी जोकि उपर्युक्त 4 (i) और 4 (ii) में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम फ्लोटिंग मूल्यों के अधीन है।

5. <u>पुनरुद्धार परियोजनाएं</u>

(i) नई पुनरुद्धार यूरिया इकाइयों के लिए 7.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक सुपुर्दगी गैस मूल्य पर -

(क) यूरिया का न्यूनतम मूल्य 245 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया किया जाता है।

(ख) यूरिया का अधिकतम मूल्य 255 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन यूरिया नियत किया जाता है।

(ii) सुपुर्दगी गैस मूल्य में प्रत्येक 0.1 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के लिए निम्नानुसार तदनुरुपी परिवर्तन परिवर्तन होगा:

(क) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य तक 2.2 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन न्यूनतम और अधिकतम मूल्य।

(ख) 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से अधिक के सुपुर्दगी गैस मूल्य के लिए 2.2 अमेरिकी डॉलर न्यूनतम मूल्य।

(iii) पुनरुद्धार यूरिया इकाइयों से यूरिया को आईपीपी (सीएण्डएफ) के 85% की एकसमान दर पर मान्यता दी जाएगी जोकि उपर्युक्त 5(i) और 6(ii) में उल्लिखित न्यूनतम और अधिकतम फ्लोटिंग मूल्य के अधीन है। यह "कट ऑफ" बिंदु के ऊपर सभी उत्पादन पर लागू होंगे।

(iii-क) <u>कट-ऑफ मात्रा</u> - एनपीएस के अंतर्गत उनके पुन: आकलित क्षमता के बाद मौजूदा इकाइयों से उत्पादित यूरिया, अथवा पिछले चार वर्षों (2003-07) में 330 दिनों के लिए किसी इकाई द्वारा अधिकतम प्राप्त क्षमता जो भी अधिक हो (कट ऑफ मात्रा), को मौजूदा इकाई के पुनरुत्थान के अंतर्गत उत्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है। तथापि, पुनरुद्धार मात्रा के अंतर्गत उत्पादित यूरिया उपर्युक्त छूट के लिए तभी पात्र होगी जब यूनिट का कुल उत्पादन कट ऑफ मात्रा का 105 प्रतिशत या पुन: आकलित क्षमता का 110 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, को पार कर जाए।

(iv) कट-ऑफ मात्रा के बाद उत्पादन हेतु किसी प्रशासित मूल्य-निर्धारण प्रणाली (एपीएम) गैस पर विचार नहीं किया जाएगा।

(v) ऐसी यूरिया इकाइयों जिनका पुनरुद्धार हुआ है और जो निवेश नीति 2008 के प्रावधानों का पहले से लाभ उठा रही हैं वे निवेश नीति 2008 के अंतर्गत बनी रहेंगी। निवेश नीति 2008 के

अंतर्गत किसी इकाई के लिए 4.88 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू (लागू कर सहित आधार मूल्य) से गैस मूल्य के दुगना होने पर व्यय विभाग के परामर्श से उस नीति के अंतर्गत उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

(vi) पहले से पुनरुत्थान की गई इकाई द्वारा यदि इसके बाद किसी प्रकार का पुनरुत्थान किया जाता है तो उस पर मूल पुनरुत्थान पर लागू पुनरुत्थान नीति के समान पात्रता पर विचार किया जाएगा। यदि वर्ष 2008 की नीति के अंतर्गत किसी इकाई में आगे पुनरुत्थान किया जाता है और अतिरिक्त मात्रा वर्तमान उत्पादन के 10% से अधिक है *(पिछले तीन वर्ष में लगातार किसी एक वर्ष की अवधि में अधिकतम उत्पादन, जो एनआईपी-2008 नीति के कार्यान्वयन के बाद पिछले वर्षों की समान अवधि में उत्पादित मात्रा से कम नहीं होनी चाहिए)*, तो यूरिया इकाई 5 (i, ii और iii) में उल्लिखित अनुसार छूट का विकल्प चुन सकती है। ऊपर चर्चा किए गए अनुसार एक बार मौजूदा उत्पादन के 10% के बाद अतिरिक्त उत्पादन हेतु इकाई पर नई निवेश नीति के लागू होने पर इकाई (मौजूदा और नई संयुक्त) से संपूर्ण पुनरुत्थान उत्पादन को एनआईपी-2012 के अनुसार मान्यता दी जाएगी। इकाई को नए बढ़े उत्पादन के शुरू होने के तीन महीनों के अंदर विकल्प देना होगा।

6. <u>यदि सुपुर्दगी गैस मूल्य 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पार कर जाता है तो अधिकतम मूल्य तथा आईपीपी का प्रभावी न होना</u>

यदि सुपुर्दगी गैस मूल्य 14 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू पार कर जाता है तो इकाइयों (पुनरुद्धार, विस्तार, ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड या पुनरुत्थान) को 3(ii)(ख), 4(ii)(ख) और 5(ii)(ख) में उल्लिखित अनुसार सुपुर्दगी गैस मूल्य के आधार पर केवल न्यूनतम मूल्य का ही भुगतान किया जाएगा। अन्य सभी स्थितियां जैसे आईपीपी के संदर्भ में यूरिया का अधिकतम मूल्य और मान्यता गैर-प्रचालनात्मक हो जाएगी।

7. <u>प्रचालन संबंधी सिद्धांत</u> - नीति का प्रचालन करने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव किया जाता है:

7.1 पिछले तीन माह के दौरान औसत गैस मूल्य के आधार पर न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की वृद्धि/कमी की गणना प्रत्येक तिमाही में की जाएगी। तदनुसार, प्रत्येक संयंत्र के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए देय आईपीपी की भी गणना की जाएगी।

7.2 सुपुर्दगी गैस का मूल्य एमओपीएनजी/केंद्रीय पीएसयू/राज्य पीएसयू द्वारा यथा प्रमाणित अनुसार सुपुर्दगी गैस मूल्य के आधार पर गणना की जाएगी।

7.3 यह नीति गैस अर्थात् प्राकृतिक गैस/(घरेलू/आरएलएनजी) और सीबीएम पर आधारित यूरिया इकाइयों पर लागू होगी। सीबीएम के मामले में, सार्वजनिक एजेंसी द्वारा दिए गए अनुसार सीबीएम के समकक्ष प्राकृतिक गैस के मूल्य पर विचार किया जाएगा। कोयला गैसीकरण पर आधारित बंद यूरिया इकाइयों का पुनरुद्धार तथा कोयला गैसीकरण पर आधारित ग्रीनफील्ड परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस मूल्य के बराबर पहुंचने के बाद सीबीएम के समान छूट की जाएगी।

7.4 ग्रीनफील्ड, पुनरुद्धार, ब्राउनफील्ड और विस्तार यूरिया इकाइयों के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य नियत करते समय यह माना गया है कि यूरिया इकाई की तुलना में सीएबीएम गैस के वास्तविक मिश्रण की सुपुर्दगी लागत 6.5 अमेरिकी डालर/एमएमबीटीयू से कम नहीं होगी।

8. निवेश नीति की समयावधि

8.1 यह प्रस्ताव है कि केवल इकाइयां, जिनका उत्पादन इस नीति की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष के अंदर शुरू होता है, इस नीति के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। इस नीति के अंतर्गत इकाइयों को उत्पादन के प्रारंभ होने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के लिए गारंटीयुक्त वापस खरीद की छूट उपलब्ध होगी। तत्पश्चात् इकाइयां उस समय विद्यमान यूरिया नीति द्वारा अधिशासित होंगी।

9. दानेदार यूरिया/लेपित यूरिया का अधिदेश देना

9.1 यूरिया के उपयोग में दक्षता सुधार हेतु उत्पाद प्रबंधन नीति के भाग के रूप में देश में सभी नई यूरिया क्षमता को दानेदार या लेपित/पुष्ट यूरिया के रूप में यूरिया का उत्पादन करने के लिए अधिदेशित किया जाता है। दानेदार संयंत्र तथा बढ़ती प्रचालन लागत के कारण अतिरिक्त निवेश को ध्यान में रखते हुए दानेदार यूरिया का उत्पादन करने वाले सभी संयंत्रों-ग्रीनफील्ड/पुनरुद्धार/ब्राउनफील्ड के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा मूल्यों में 10 अमेरिकी डॉलर प्रति मी.टन की अतिरिक्त राशि की अनुमति दी जाती है।

9.2 वर्तमान नीति के भाग के रूप में नीम लेपित/जिंकयुक्त यूरिया के मामले में अतिरिक्त 5%/10% अतिरिक्त एमआरपी की अनुमति दी जाए।

10. संयुक्त उद्यम इकाइयां

10.1 विदेश में स्थापित संयुक्त उद्यम इकाइयों के लिए यूरिया उठान करार के संबंध में निर्णय प्रचलित आईपीपी, घरेलू गैस का मूल्य और उपलब्धता, संयुक्त उद्यम को प्रस्तावित की जा रही गैस की लागत और देश में यूरिया के मांग-आपूर्ति अंतर के आधार पर मामला दर मामला आधार पर लिया जाएगा। तथापि, मार्गदर्शी सिद्धांत ऐसा होना चाहिए कि संयुक्त उद्यम से लागत एवं भाड़ा आधार पर प्रस्तावित आपूर्ति 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की गैस लागत पर घरेलू ग्रीनफील्ड इकाइयों के लिए न्यूनतम मूल्य के बराबर या उससे कम होना चाहिए। इस प्रकार विदेशों में स्थित संयुक्त उद्यम के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की गैस मूल्य के समतुल्य न्यूनतम मूल्य प्रदान करने का वास्तविक अर्थ 6.5 अमेरिकी डालर प्रति एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी मूल्य पर आयातित गैस प्राप्त करना है जिससे भारत सरकार को काफी बचत होगी। विदेश में स्थित संयुक्त उद्यम के लिए न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित करते समय, बशर्ते कि अधिकतम न्यूनतम मूल्य घरेलू इकाइयों के लिए 6.5 अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के सुपुर्दगी गैस मूल्य के अनुरूप हो, संभावित समय और अधिक लागत लगने आदि जैसे जोखिम शामिल करने जैसे दृश्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उच्चतर प्रतिलाभ पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक मामले में सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

11. पूर्वोत्तर में इकाइयों के लिए छूट

11.1 पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित की जाने वाली इकाइयों के लिए गैस के मूल्य-निर्धारण के संबंध में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विशेष छूट उस क्षेत्र में किसी नए निवेश के लिए भी उपलब्ध होगी। यदि सुपुर्दगी मूल्य (विशेष छूट की अनुमति देने के बाद) 6.5

अमेरिकी डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से कम हो जाता है तो लागू न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों में उपयुक्त समायोजन किया जाएगा, जो कि वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

2. वर्ष 2012-13 के लिए घोषित बजट प्रावधानों के अनुसार, संरचनात्मक क्षेत्र में पीपीपी के समर्थन के लिए स्कीम के अन्तर्गत व्यवहार्यता अन्तर वित्त-पोषण (वीजीएफ) के लिए उर्वरक क्षेत्र में पूंजी निवेश को पात्र बनाया गया है। तथापि, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में यूरिया इकाइयों को किसी वीजीएफ की अनुमति नहीं होगी। यदि वीजीएफ के अंतर्गत प्रोत्साहन पूर्वोत्तर जैसे दुर्गम क्षेत्रों/कठिन भूभाग में स्थापित की जा रही उर्वरक इकाइयों या ऐसी इकाइयां, जो कोयला गैसीकरण पर आधारित हैं, और जहां अंतर्निहित कैपेक्स काफी अधिक है, को देने की आवश्यकता है तो मामला दर मामला आधार पर व्यय विभाग के साथ परामर्श करके उर्वरक विभाग द्वारा उसकी जांच की जाएगी।

13. यूरिया परियोजना की स्थापना के लिए व्यापक चरण अनुलग्नक-2 में दिए गए हैं। चूंकि नीति में सरकार द्वारा यूरिया इकाइयों को राजसहायता का भुगतान करने/प्रोत्साहन देने की परिकल्पना की गई है अत: सभी यूरिया इकाइयां, जो देश में यूरिया इकाइयों की स्थापना करने की योजना रखती हो, को परियोजना के प्रत्येक चरण के शुरू और पूरा होने की सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी चाहिए जैसाकि अनुलग्नक-2 में दिया गया है। इसके लिए देश में मांग और उत्पादन के अंतर तथा नए निवेशों से यूरिया के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली गैस की लागत का आकलन भी करना अपेक्षित है।

14. यह नीति अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

भवदीय,

हस्ता./-
(सतीश चन्द्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23386800

प्रतिलिपि:

1. व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक मामले विभाग, कृषि और सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक-नीति एवं संवर्धन विभाग, योजना आयोग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव।
2. महानिदेशक, भारतीय उर्वरक संस्था, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067
3. उर्वरक विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग एवं एफआईसीसी कार्यालय, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
4. निदेशक (एनआईसी)

प्रति इन्हें भी भेजी जाए:-

श्रीमती अनु गर्ग, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली।

अनुलग्नक–1

आयात सममूल्यः माह के लिए आयात सममूल्य/विचाराधीन माह के तीन महीने पूर्व के प्रचलित मूल्यों के आधार पर निम्नानुसार निकाली जाएगी –

आयात सममूल्य (आईपीपी): किसी विशेष महीने के लिए आयात सममूल्य (आईपीपी) पिछले तीन महीनों के दौरान भारत में आयात किए गए यूरिया के वास्तविक औसत सीआईएफ मूल्य तथा पिछले तीन महीनों में उर्वरक पत्रिकाओं में दिए गए आईपीपी से कम होगा। जैसाकि विवरण नीचे दिया गया है:

आईपीपी X=पोत पर्यन्त निशुल्क अरब की खाड़ी + मालभाड़ा

जहां,

आईपीपी X= माह के लिए आयात सममूल्य (X)

पोत पर्यन्त अरब की खाड़ी = पिछले तीन महीनों (X-1) से (X-3) के दौरान नीचे दी गई तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए यूरिया का औसत पोत पर्यन्त मूल्य।

मालभाड़ा = पिछले तीन महीनों (X-1) से (X-3) तक के दौरान नीचे दी गई तीन पत्रिकाओं में एजी के लिए औसत मालभाड़ा।

भारतीय रुपए में मूल्य निकालने के लिए विनिमय दर को तीन महीनों की औसत के रूप में लिया जाएगा। आईपीपी मूल्य निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली तीन उर्वरक पत्रिकाएं नीचे दी गई हैं:

(क) फर्टिलाइजर मार्केट बुलेटिन, यूके;

(ख) फर्टिलाइजर वीक ब्रिटिश सल्फर, यूके द्वारा; और

(ग) फर्टिकॉन वीकली नाइट्रोजन फाक्स, यूके।

अनुलग्नक–2

यूरिया परियोजना के मुख्य चरण

अमोनिया–यूरिया परियोजना की स्थापना के लिए मुख्य चरण निम्नलिखित हैं:–

(क) पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट

(ख) तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट और कंपनी के निदेशक मंडल से इसका अनुमोदन।

(ग) परियोजना स्थानों का अंतिम रूप से चयन।

(घ) एमओईएफ से पहले चरण का पर्यावरण अनुमोदन।

(ड.) तकनीकी मूल्यांकन एवं चयन अथवा ईपीसी (एलएसटीके) निविदा तैयारी एवं मूल्यांकन।

(च) विस्तृत/बैंक–स्वीकार्य परियोजना/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना एवं कंपनी के निदेशक मंडल से अनुमोदन।

(छ) पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तैयार करना और एमओईएफ से अंतिम मंजूरी।

(ज) परियोजना के लिए कच्ची सामग्री और उपयोगिता अनुबंध

(झ) ईपीसीएम अथवा ईपीसी (एलएसटीके) कान्ट्रेक्टर को निश्चित करना।

(ञ) वित्तीय समापन करना।

(ट) ईपीसीएम अथवा ईपीसी कान्ट्रेक्टर को कार्य सौंपना।

(ठ) विभिन्न संस्थाओं के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर करना।

(ड.) ईपीसीएम अथवा ईपीसी कान्ट्रेक्टर को मोबीलाइजेशन अग्रिम।

(ढ़) प्राप्त वास्तविक प्रगति – 25%

(ण) प्राप्त वास्तविक प्रगति – 50%

(त) प्राप्त वास्तविक प्रगति – 75%

(थ) परियोजना को चालू करना और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना।

अनुलग्नक-XV

सं.12012/4/2019-यूपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रैल, 2021

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
प्लॉट नं.24, फिल्म सिटी,
सेक्टर-16ए, नोएडा-201301

विषय: तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग से उत्पादित यूरिया के लिए विशेष राजसहायता नीति।

मुझे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह संसूचित करने का निदेश हुआ है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 20 अप्रैल, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में यह अनुमोदित किया है कि तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) द्वारा कोयला गैसीकरण मार्ग से उत्पादित यूरिया के लिए उत्पादन शुरू करने की तारीख से 08 वर्ष की अवधि के लिए साम्या पर 12% कर-पश्चात आईआरआर प्रदान करते हुए रियायत दर/राजसहायता का निर्धारण किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता./-
(निरंजन लाल)
निदेशक (यूपीपी)
दूरभाष: 011-23383814

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
3. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. सचिव, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. सीईओ, नीति आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रस्तुत:

सचिव (उर्वरक) के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (एपीएस) के निजी सचिव/आर्थिक सलाहकार (उर्वरक) के प्रधान नीति सचिव/निदेशक (एफएण्डए)-एफआईसीसी, संयुक्त निदेशक (सीई)-एफआईसीसी

अनुलग्नक-XVI

अनुलग्नक-XVI

सं.12012/20/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04 सितंबर, 2017

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक

आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/केएफएल/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टाटा/जेडएसीएल/जीआईएल/स्पिक/एमएफसीएल

विषय: यूरिया बैग के आकार और उससे जुड़ी सामग्री को युक्ति संगत बनाना।

महोदय,

मुझे यूरिया के विद्यमान 50 किग्रा. के बैग के स्थान पर 45 किग्रा. के बैग की शुरूआत करने के संबंध में सरकार के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है।

2. यूरिया इकाइयों को विद्यमान 50 किग्रा. के बैगों का निपटान करने तथा अपने संयंत्रों में आवश्यक परिवर्तन करने हेतु उन्हें उपरोक्त नीति के निर्बाध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 6 माह की समय-सीमा दी जाती है।

3. ऐसे बैगों का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बाद में अधिसूचित किया जाएगा। नीम लेपित यूरिया के 45 किग्रा. के प्रत्येक बैग पर यूरिया उत्पादकों द्वारा अतिरिक्त 5% भी प्रभारित किया जाएगा।

भवदीय,

हस्ता./-
(धर्मपाल)
अपर सचिव (उर्वरक)
दूरभाष: 23386800

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव (आईएनएम), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, एजीसीआर भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10-शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।

5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा खण्ड, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. वेतन और लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
7. निदेशक (एफएण्डए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
8. निदेशक (सीई), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
9. वित्त-II डेस्क, उर्वरक विभाग।
10. वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एनआईसी को।
11. गार्ड फाइल।

हस्ता./-
(धर्मपाल)
अपर सचिव (उर्वरक)
दूरभाष: 23386800

अनुलग्नक-XVII

सं.12012/6/2016-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 28 मार्च, 2018

सेवा में,

सभी यूरिया निर्माता इकाइयों के सीएमडी/एमडी/अध्यक्ष

महोदय/महोदया,

विषय: निजी एजेंसियों और संस्थागत एजेंसियों द्वारा प्रभावित यूरिया की बिक्री के संबंध में डीलर/वितरण मार्जिन में 01 अप्रैल, 2018 से संशोधन।

स्वदेशी के साथ-साथ आयातित दोनों ही यूरिया की बिक्री के लिए डीलर/वितरण मार्जिन की दरों, जिसमें अंतिम बार दिनांक 18 जून, 1999 की अधिसूचना सं.12012/10/99-एफपीपी-II के द्वारा संशोधन किया गया था, के संशोधन का मामला कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी ट्रेड के साथ-साथ संस्थागत एजेंसियों के द्वारा यूरिया की बिक्री हेतु 01 अप्रैल, 2018 से यूरिया के डीलर/वितरण मार्जिन को संशोधित कर 354/- रुपये/मी.टन की दर पर संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. यह भी नोट किया जाए कि डीलरों को डीलर/वितरण मार्जिन का भुगतान केवल पीओएस डिवाइस के द्वारा बेची गई मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सुनीता बंसल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23388891

प्रतिलिपि:-

1. सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के प्रधान सचिव।
2. ईडी., एफआईसीसी, आरके. पुरम, सेवा भवन, नई दिल्ली।
3. वेतन और लेखा अधिकारी, पीएओ, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10-शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
5. सहकारी समितियों के संयुक्त सचिव-सह-केन्द्रीय रजिस्ट्रार।
6. कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

प्रति निम्न को भी:-

1. अपर सचिव (डीपी), संयुक्त सचिव (एटी)।
2. निदेशक (संचलन)/निदेशक (एफए)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (सीई) (एफआईसीसी)।
3. निदेशक (एनआईसी)/डीओएफ-वेबसाइट हेतु/उप निदेशक (राजभाषा)-हिन्दी अनुवाद हेतु।
4. निदेशक (एफए)।

अनुलग्नक-XVIII

सं.12012/20/2007-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 25 मई, 2015

सेवा में,

सीएमडी/एमडीज़
आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/फैक्ट/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/
एनएफसीएल/सीएफसीएल/टाटा/जेडएसीएल/इण्डो-गल्फ/स्पिक/
केएसएफएल/एमसीएफएल/केएफसीएल/एसएफसी

विषय: देश में संपुष्ट एवं लेपित यूरिया की उत्पादन और उपलबधता को प्रोत्साहित करने के लिए नीति-के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उर्वरक विभाग के दिनांक 02 जून, 2008, 11 जनवरी, 2011, 07 जनवरी, 2015 तथा 24 मार्च, 2015 के समसंख्यक पत्र संख्या के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि नीम लेपित यूरिया के रूप में राजसहायता प्राप्त यूरिया के अपने कुल उत्पादन का 100% उत्पादन करना यूरिया के सभी स्वदेशी उत्पादकों के लिए अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।

2. दिनांक 02 जून, 2008 और उसके पश्चात् 07 जनवरी, 2015 के पत्र की अन्य निबंधन और शर्तें वही रहेंगी।

आपका,

हस्ता./-
(विजय रंजन सिंह)
निदेशक (उर्वरक)
दूरभाष 23386398

1. सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और सचिव (कृषि)।
2. सचिव व्यय विभाग, राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सीईओ, नीति आयोग।
3. डीजी, एफएआई।
4. विभाग की सभी जानकारी एनआईसी ने वेबसाइट पर अपलोड करना।
5. गार्ड फाइल।

अनुलग्नक-XIX

सं0 12012/2/2008-एफपीपी
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

.....

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 जुलाई, 2008

सेवा में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
आरसीएफ/एमएफएल/बीवीएफसीएल/एनएफएल/कृभको/इफको/जीएसएफसी/जीएनवीएफसी/एसएफसी/एनएफसीएल/सीएफसीएल/टीसीएल/जैडआईएल/इंडो गल्फ/एसपीआईसी/केएसएफएल/एमसीएफएल/फैक्ट/एफसीआईएल/एचएफसीएल/आईपीएल

संलग्न सूची के अनुसार एसएसपी के उत्पादक

विषय: उर्वरक राजसहायता व्यवस्था के अंतर्गत सभी उर्वरकों पर एक-समान भाड़ा राजसहायता नीति

महोदय,

मुझे विभाग द्वारा स्वदेशी यूरिया के लिए चलाई जा रही नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-।।। (एनपीएस-।।।) और पीएण्डके उर्वरकों पर रियायत योजना के अंतर्गत शामिल राजसहायता प्राप्त सभी उर्वरकों पर एक-समान मालभाड़ा राजसहायता नीति के लिए सरकार के अनुमोदन की सूचना देने का निदेश हुआ है। यह नीति संविदा दायित्वों, यदि कोई हों, की शर्त पर आयातित यूरिया पर भी लागू होगी। इस नीति की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

क) उर्वरकों के परिवहन के लिए रेल भाड़ा व्यय का भुगतान वास्तविक दूरी पर आधारित वास्तविक व्यय के अनुसार दिया जाएगा।

ख) निकटतम रेल रैक प्वाइंट से ब्लाक तक या उत्पादन इकाई/बंदरगाह से सीधे सड़क द्वारा ब्लाक तक के लिए सड़क भाडे में दो तत्व शामिल होंगे - दूरी तथा प्रति किलोमीटर दर। राजसहायता का यह तत्व दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा।

i) जिले में प्रत्येक ब्लाक की दूरी जिले की औसत दूरी (निकटतम रेल रैक प्वाइंट से ब्लाक मुख्यालय तक की दूरी का औसत) पर आधारित होगी।
ii) प्रति किलोमीटर सड़क भाड़े का भुगतान देश में प्रत्येक राज्य के लिए मौजूदा प्रति किलोमीटर औसत दर के आधार पर भुगतान किया जाएगा जिसे एनपीएस-।।। के अंतर्गत स्वदेशी यूरिया के लिए भाड़ा राजसहायता की प्रतिपूर्ति हेतु एफआईसीसी द्वारा अपनाई जा रही है।
iii) इसे भूतलक्षी प्रभाव से 1.4.2008 से कार्यान्वित किया जाएगा।

ग) जैसाकि एनपीएस-।।। के अंतर्गत पहले ही किया जा रहा है, प्रति किलोमीटर मानकीय दर में मिश्रित सड़क परिवहन सूचकांक (एचएसडी ऑयल के डब्ल्यूपीआई की भारित औसत, मोटर टायर, ट्रक चेसी और अन्य वस्तुएं) के आधार पर वृद्धि/कमी की जाएगी।

घ) ऐसी उत्पादन इकाइयां (विशेषकर एसएसपी इकाइयां), जहां रेलवे साइडिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है, को उपर्युक्त पैरा में की गई गणना के अनुसार वास्तविक दूरी तथा प्रति टन प्रति किलोमीटर दर के आधार पर उनकी इकाई से नवीनतम रेल रैक प्वाइंट तक सड़क परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।

ड.) ब्लाक स्तर तक भाड़ा राजसहायता का भुगतान मासिक जिला वार/ब्लाक संचलन योजनाओं के आधार पर उर्वरकों के वास्तविक संचलन के अनुसार किया जाएगा। राजसहायता तभी जारी की जाएगी जब मासिक योजना के अनुसार उर्वरक जिला/ब्लाक में पहुँच जाएगा। मासिक योजना के 10% से अधिक की किसी अतिरिक्त आपूर्ति पर राजसहायता जिले में उसके प्राप्त होने के 120 दिन बाद ही दी जाएगी बशर्ते कि इसकी बाद की मासिक योजना में गणना की जाए।

च) राज्य सरकारें एफएमएस में संचलन योजना में दर्शाए अनुसार उर्वरकों की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार होंगे। उनके पास उर्वरकों की प्राप्तियों की पुष्टि या इंकार करने के लिए 30 दिन होंगे, जिसके बाद इसे भाड़ा राजसहायता के भुगतान के उद्देश्य के लिए पुष्टि प्राप्त हुई मानी जाएगी। तथापि, किसी कमी की रिपोर्ट मिलने की स्थिति में भाड़ा राजसहायता में अंतर को उचित रूप से वसूल किया जाएगा।

छ) इस नीति को 1 अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। जहां उर्वरकों के रियायत मूल्य में निर्धारित भाड़ा राजसहायता शामिल है, वहां 1 अप्रैल से अधिसूचना की तारीख तक किए गए भुगतान का समायोजन इस नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले भाड़ा राजसहायता के अनुसार किया जाएगा। एसएसपी के लिए पहले चरण को 1 अक्तूबर, 2008 से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

ज) जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष भाड़ा प्रतिपूर्ति योजना को वापस लिया जाता है क्योंकि अब भाड़ा वास्तविक दूरी पर आधारित होगा।

2. उत्पादक/आयातक मासिक आधार पर मालभाड़ा राजसहायता का दावा निर्धारित प्रपत्र में अलग से करेंगे। इस प्रपत्र का परिचालन दिशा-निर्देशों सहित अलग से किया जाएगा। मालभाड़ा दावों के लिए एफएमएस के अंतर्गत एक मालभाड़ा मॉड्यूल पर अलग से कार्य किया जा रहा है और इसे शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा। इस बीच, औसत प्रति टन दरों के आधार पर मालभाड़े का नीचे दिए अनुसार भुगतान करने का प्रस्ताव है:

I)	स्वदेशी यूरिया	-	616 रुपए/मी0टन
ii)	आयातित यूरिया	-	850 रुपए/मी0टन
iii)	स्वदेशी डीएपी/एमएपी	-	770 रुपए/मी0टन
iv)	आयातित डीएपी/एमएपी/टीएसपी	-	850 रुपए/मी0टन

v)	एमओपी	-	623 रुपए/मी0टन
vi)	मिश्रित उर्वरक	-	616 रुपए/मी0टन
vii)	एसएसपी (1.10.08 से)	-	616 रुपए/मी0टन

3. पीएण्डकके उर्वरकों के लिए आधार रियायत दरों और अंतिम रियायत दरों में 1 अप्रैल, 2008 से और एसएसपी के लिए 1 अक्तूबर, 2008 से मालभाड़ा घटक शामिल नहीं होगा। स्वदेशी यूरिया पर मालभाड़ा राजसहायता के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना चरण-I।। के प्रावधान 1 अप्रैल, 2008 से संशोधित समझे जाएंगे।

4. उत्पादकों/आयातकों को मालभाड़ा राजसहायता का पात्र होने के लिए उर्वरक निगरानी प्रणाली (एफएमएस) के अंतर्गत देश में विभिन्न जिलों/ब्लाकों में उर्वरकों के संचलन और प्राप्ति के विवरण के प्रावधानों को सुनिश्चित करना होगा।

5. उपर्युक्त नीति अगला आदेश जारी होने तक लागू होगी।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23381294

प्रतिलिपि:

1. सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव
2. सचिव, व्यय विभाग राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, वाणिज्य विभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, योजना आयोग
3. महानिदेशक, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, 10, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067
4. उर्वरक विभाग और एफआईसीसी कार्यालय के सभी अधिकारी/अनुभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी:

श्रीमती विनी महाजन, संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

अनुलग्नक

रियायत योजना के अंतर्गत एसएसपी के उत्पादकों की सूची

1. फॉस्फेट कंपनी लि0., पश्चिम बंगाल
2. टाटा केमिकल्स लि0., पश्चिम बंगाल
3. जुबिलेंट ऑर्गेनॉसिस लि0., उत्तर प्रदेश
4. कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स लि0., तमिलनाडु
5. खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0., मध्य प्रदेश
6. रामा फॉस्फेटस लि0., मध्य प्रदेश
7. बीईसी फर्टिलाइजर्स लि0., छत्तीसगढ़
8. धरमसी मोरारजी केमिकल्स लि0., महाराष्ट्र
9. रामा कृषि रसायनी, महाराष्ट्र
10. लिबर्टी फॉस्फेटस एण्ड फर्टिलाइजर्स लि0., राजस्थान
11. तीस्ता एग्रो लि0., पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक-XX

वर्ष 2010–11 से 2021–22 तक के लिए पोषक–तत्व एनपीकेएस के लिए प्रति कि.ग्रा. एनबीएस दरें दर्शाने वाला विवरण

(क) वर्ष 2010–11 से 2020–21 तक के लिए पोषक–तत्व एनपीकेएस के लिए प्रति कि.ग्रा. एनबीएस दरें

एनबीएस दरें (रुपए प्रति कि.ग्रा.)													
पोषक–तत्व	1 अप्रैल–31 दिसंबर 2010 तक *	1 जनवरी–31 मार्च 2011**	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
'एन' (नाइट्रोजन)	23.227	23.227	27.153	24.000	20.875	20.875	20.875	15.854	18.989	18.901	18.901	18.789	18.789
'पी' (फॉस्फेट)	26.276	25.624	32.338	21.804	18.679	18.679	18.679	13.241	11.997	15.216	15.216	14.888	45.323
'क' (पोटाश)	24.487	23.987	26.756	24.000	18.833	15.500	15.500	15.470	12.395	11.124	11.124	10.116	10.116
'एस' (सल्फर)	1.784	1.784	1.677	1.677	1.677	1.677	1.677	2.044	2.240	2.722	3.562	2.374	2.374

*रैक प्वाइंट से खुदरा स्थलों तक द्वितीयक भाड़ा के लिए 300/– रुपए प्रति मी. टन सहित

** 300/– रुपए प्रति मी. टन द्वितीयक भाड़ा को छोड़कर, जिसके लिए प्रति टन प्रति कि.मी. आधार पर अलग से भुगतान किया जा रहा था।

(ख) वर्ष 2010-11 से 2021-22 तक के लिए विभिन्न पीएंडके उर्वरकों पर प्रति मी.टन राजसहायता :

क्र.सं.	उर्वरक ग्रेड (एफजी) (एन पी के एस पोषक–तत्व)	2010-11		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
		1.4.2010 से 31.12.2010	1.1.2011 से 31.3.2011											01.04.2021 से31.09.2021	01.10.22 से 31.03.22
1	**डीएपी** (18-46-0-0)	16268	15968	19763	14350	12350	12350	12350	8945	8937	10402	10402	10231	24231	24231*
2.	**एमएपी** (11-52-0-0)	16219	15879	19803	13978	12009	12009	12009	8629	8327	9991	9991	9809	25635	25635
3.	**टीएसपी** (0-46-0-0)	12087	11787	14875	10030	8592	8592	8592	6091	5519	6999	6999	6848	20849	20849
4.	**एमओपी** (0-0-60-0)	14692	14392	16054	14400	11300	9300	9300	9282	7437	6674	6674	6070	6070	6070
5.	**एसएसपी** (0-16-0-11)	4400	4296+200	5359	3676	3173	3173	3173	2343	2166	2734	2826	2643	7513	7513
6.	16-20-0-13	9203	9073	11030	8419	7294	7294	7294	5451	5729	6421	6530	6292	12379	12379
7.	20-20-0-13	10133	10002	12116	9379	8129	8129	8129	6085	6488	7177	7286	7044	13131	13131+
8.	20-20-0-0	9901	9770	11898	9161	7911	7911	7911	5819	6197	6823	6823	6735	12822	12822
9.	28-28-0-0	13861	11678	16657	12825	11075	11075	11075	8147	8676	9553	9553	9430	17951	17951
10.	10-26-26-0	15521	15222	18080	14309	11841	10974	10974	9050	8241	8739	8739	8380	16293	16293+
11.	12-32-16-0	15114	14825	17887	13697	11496	10962	10962	8615	8101	8917	8917	8637	18377	18377+
12.	14-28-14-0	14037	13785	16602	12825	10789	10323	10323	8093	7753	8464	8464	8215	16737	16737
13.	14-35-14-0	15877	15578	18866	14351	12097	11630	11630	9020	8593	9529	9529	9258	19910	19910

14.	15-15-15-0	11099	10926	12937	10471	8758	8258	8258	6685	6507	6786	6786	6569	11134	11134
15.	17-17-17-0	12578	12383	14662	11867	9926	9359	9359	7576	7375	7691	7691	7445	12619	12619
16.	19-19-19-0	14058	13839	16387	13263	11094	10460	10460	8467	8242	8596	8596	8321	14103	14103
17.	**अमोनियम सल्फेट** (20.6-0-0-23)	5195	5195	5979	5330	4686	4686	4686	3736	4408	4501	4694	4398	4398	4398
18.	16-16-16-0(1.7.2010 **से**)	11838	11654	13800	11169	9342	8809	8809	7130	6941	7239	7239	7007	11876	11876
19.	15-15-15-9 (1.10.2010 **से**)	11259	11086	13088	10622	8909	8409	8409	6869	6709	7031	7107	6783	11348	11348
20.	24-24-0-0 (1.10.10 से 29.5.12 तक और 22.6.2012 से)	11881	11724	14278	10993	9493	9493	9493	6983	7437	8188	8188	8082	15387	15387
21.	24-24-0-8 (12.11.13 से 14.2.15 तक) एस पर खाजसहायता के बिना	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	9493	9493	9493	6983	7437	8188	8188	8002	15387	15387
22.	14-28-0-0 (1.4.2020 **से**)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	6799	15321	15321
23.	8-21-21 (1.4.2021 **से**)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	13145	13145
24.	9-24-24 (1.4.2021 **से**)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	14996	14996
25.	**पीडीएम**(0-0-14.5-0) (1.10.2021 **से**)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

8769/मी.टन रुपये की अतिरिक्त राजसहायता
+ 2000/मी.टन रुपये अतिरिक्त राजसहायता

लागू नहीं का अर्थ है कि यह एनबीएस व्यवस्था में शामिल नहीं है।

(ग) वर्ष 2010–11 से 2020–21 के दौरान सूक्ष्म पोषक–तत्वों नामतः बोरोन (बी) और जिंक (जेडएन) से संपुष्ट/लेपित पीएण्डके उर्वरकों पर क्रमशः 300 रूपये प्रति मी.टन और 500 रूपये प्रति मी.टन की अतिरिक्त राजसहायता मुहैया कराई जाती है।